बी टी रणदिवे

पी राममूर्ति

चित्तब्रत मजूमदार

सी आइ टी यू

12वें अखिल भारतीय महाधिवेशन के दस्तावेज

सी आइ टी यू प्रकाशन

के रमानी

अमल घोष दस्तीदार

सी कन्नन

मई 2007

मूल्य 15 रुपये

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के लिए
एम के पंधे द्वारा
13-ए राउज एवेन्यू
नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित

प्रोग्रेसिव प्रिन्टर्स
ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया
दिल्ली-110095 से मुद्रित

प्रस्तावना

बेंगलूर में 21 जनवरी, 2007 को समाप्त हुए सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के सभी दस्तावेजों का संकलन तैयार करके हम इस पुस्तिका का प्रकाशन कर रहे हैं। इस अवसर पर छः ह कमिशन दस्तावेजों पर भी बहस की गई थी। हम महाधिवेशन के इन सभी कमिशन दस्तावेजों को भी प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। हम, इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के 3–5 नवम्बर, 2006 को विशाखापत्तनम में सम्पन्न आठवें सम्मेलन के दस्तावेजों का संकलन करके उनका प्रकाशन करेंगे।

समकालीन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सीआइटीयू का दृष्टिकोण और रुख क्या है? महाधिवेशन के दस्तावेजों में इसका समावेश किया गया है; इसके फलस्वरूप ये दस्तावेज आने वाले समय में हमारे संघर्षों में मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। दूसरे श्रमिक संघों, शिक्षा विदों तथा शोध कार्य करने वाले विद्वतजनों के लिए भी यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा।

हमारे लिए यह भारी दुःख का विषय है कि हमारे महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजूमदार का बेंगलूरू महाधिवेशन में दोबारा महासचिव चुने जाने के एक मास के भीतर असामयिक निधन हो गया। उन्होंने अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद महाधिवेशन के दौरान महासचिव की रिपोर्ट पर बहस के समय प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों के अनुसार रिपोर्ट में तबदीलियां एवं सुधार करने के काम में असाधारण दिलचस्पी ली थी; हम मुक्त कण्ठ से इसकी सराहना करते हैं। वास्तव में, उन्होंने ही भर्ती होने के लिए अस्पताल जाने से पूर्व इस प्रकाशन के सभी विषयों और ढांचे को अंतिम रूप दे दिया था।

हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने की दिशा में इस प्रकाशन का अधिक से अधिक उपयोग करने के मामले में हमारी राज्य समितियां, औद्योगिक महासंघ और सम्बद्ध श्रमिक संघ कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ेंगे। इसका हमें पूरा यकीन है। उन्हें बारहवें महाधिवेशन में लिए गए फैसलों की रोशनी में भावी कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। राज्य समितियों ने महाधिवेशन की रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज अपने–अपने प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। उनका कुछेक स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। हम आशा करते हैं कि सभी राज्य समितियां महाधिवेशन के इन दस्तावेजों जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है, का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचानें के लिए जरूरी कदम उठाएंगी।

एम के पन्धे
अध्यक्ष

21 मार्च, 2007

विषय सूची

		पृष्ठ
1.	सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन पर एक नज़र	5
2.	स्वागत भाषण	11
3.	अध्यक्षीय भाषण	15
4.	महासचिव की रिपोर्ट	35
5.	कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे काम	91
6.	महाधिवेशन के प्रस्ताव	93
7.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल	121
8.	क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट	127
9.	अध्यक्ष का समापन भाषण	131
10.	सीआइटीयू सचिव मण्डल, जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के नव–निर्वाचित सदस्य	137

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन पर एक नज़र

रांची, झारखण्ड में 15–18 जुलाई, 2006 को सम्पन्न जनरल कौंसिल की बैठक में सीआइटीयू के बारहवें अखिल भारतीय महाधिवेशन का आयोजन बेंगलूरू, कर्नाटक में करने का निर्णय लिया गया था।

बेंगलूरू के टाउन हाल में 3 जुलाई, 2006 को बारहवें महाधिवेशन के लिए एक स्वागत समिति का गठन किया गया। सीआइटीयू के उपाध्यक्ष तथा कर्नाटक राज्य समिति के महासचिव कामरेड वी जे के नायर को उसका अध्यक्ष जबकि सीआइटीयू की राज्य समिति के सचिव कामरेड एस प्रसन्न कुमार को उसका महासचिव बनाया गया। अनेक उपसमितियों का गठन किया गया जिन्हें महाधिवेशन के आयोजन एवं तैयारियों से जुड़े अनेक दायित्व सौंपे गए।

महाधिवेशन की शुरूआती कार्रवाई के तौर पर सीआइटीयू नेताओं के नेतृत्व में देश के चारों कोनों से चार जत्थे बेंगलूरू के लिए रवाना हुए थे। इन जत्थों ने अमृतसर, मुम्बई, कोलकाता तथा तिरुवनंथपुरम से अपनी–अपनी यात्राओं की शुरूआत की थी। देश के चारों क्षेत्रों में घूमते हुए इन जत्थों की ओर से अनेक जगहों पर अनेक सभाओं और रैलियों का आयोजन किया और इस तरह ये सभी जत्थे 17 जनवरी को बेंगलूरू में महाधिवेशन स्थल पर पहुंच गए। उनकी ओर से विभिन्न राज्यों, जिला एवं औद्योगिक केन्द्रों में सभाओं का आयोजन किया गया जिन्हें समाज की सभी श्रेणियों की ओर से जोरदार प्रत्युत्तर मिला। सभी जगहों पर लोगों ने उत्साह के साथ इन जत्थों का स्वागत किया। महाधिवेशन का आरम्भ सूर्यनारायण राव नगर में इन जत्थों के स्वागत के साथ हुआ।

महाधिवेशन का आयोजन बेलारी रोड, बेंगलूरू के बहुत विशाल मैदान में किया गया था। महाधिवेशन स्थल का नामकरण कर्नाटक में श्रमिक आंदोलन के लोकख्यात नेता कामरेड सूर्यनारायण राव के नाम पर किया गया था। उसके प्रवेश द्वारों का नामकरण दिवंगत नेताओं सर्वसाथी सी कन्नन, के रमणि तथा अमल घोष दस्तीदार के नामों पर किया गया था।

ये सभी दिवंगत नेता सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल के पूर्व सदस्य थे।

महाधिवेशन का प्रारम्भ में लाल वर्दियों में सुसज्जित वालंटियरों ने रंगा रंग एवं भव्य परेड की और सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे को गार्ड आफ आनर पेश किया। इसके पश्चात् उन्होंने प्रतिनिधियों और वहां इकट्ठा हुए लोगों की विशाल संख्या की ओर से लगाए जा रहे आकाश गुंजाऊ नारों के बीच सीआइटीयू का ध्वज फहराया। सीआइटीयू सचिव मण्डल के सदस्यों और राज्यवार प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं ने शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रमिक आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की।

स्वागत समिति के अध्यक्ष वीजेके नायर ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उनके बाद सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे अध्यक्षीय भाषण दिया। कामरेड पन्धे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत सहित भूमण्डल के सभी देशों में मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों द्वारा नव–उदारवादी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और यह आवाज दिन–प्रतिदिन ऊंची होती चली जा रही है।

श्रमिक संघों के विश्व महासंघ के महासचिव जार्ज मावरिकोस, आइएलओ उप–क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक लेयला टेगमो रेड्डी की ओर से महाधिवेशन की सफलता के लिए भ्रातश संदेश भेजा गया। दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं ने भी उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया जिनमें ऐक्टू के नेता आर शंकर, एटक के महासचिव गुरूदास दासगुप्त, इंटक के उपाध्यक्ष एम अध्यंताया, टीयूसीसी के नेता शिवशंकर, यूटीयूसी–एलएस के नेता के राघाकृष्णा शामिल थे।

महाधिवेशन में कुल 2439 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें से 297 महिलाएं थीं। ये प्रतिनिधि देश के सभी राज्यों से आए थे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों संगठित एवं असंगठित, निजी एवं सार्वजनिक, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

बारहवें महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पधारने वाले अन्तर्राष्ट्रीय

प्रतिनिधिमण्डलों की संरचना दुनिया भर के मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की दुलर्भ अभिव्यक्ति को प्रतिबिम्बित करती थी। ये प्रतिनिधि अपनी–राजनीतिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर इस भूमण्डल के सभी कोनों से आए थे। डब्ल्यूएफटीयू तथा आइसीएफटीयू से सम्बद्ध श्रमिक संगठनों, अनेक स्वतंत्र श्रमिक संगठनों ने विश्व के अनेक भागों से बेंगलूरू पहुंच कर सीआइटीयू के महाधिवेशन में शिरकत की। इन प्रतिनिधियों की संख्या 56 थी; वे 28 देशों से आए थे और वे 38 संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जिन देशों का प्रतिनिधित्व महाधिवेशन में हुआ उनमें फ्रांस, इटली, यूके, हंगरी, मैक्सीको, क्यूबा, जापान, रूस, स्पेन, ग्रीस, अमरीका, आस्ट्रिया, सीरिया, मिश्र, लीबिया, आस्ट्रेलिया, मार्शियस, बंगला देश, पाकिस्तान, नेपाल, श्री लंका, चीन, वियतनाम, उजबेकिस्तान, थाईलैंड, साईप्रस तथा वेनजुएला इत्यादि शामिल हैं। इनके अलावा आइएलओ के निदेशक लेयला टेगमो रेड्डी ओर आइएलओ के बरिष्ठ विशेषज्ञ फांग सुल आहन ने भी महाधिवेशन में भाग लिया।

सीआइटीयू के महासचिव चित्तब्रत मजुमदार ने प्रतिनिधि सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश की। कोषाध्यक्ष रणजीत बसु ने अपनी रिपोर्ट के साथ–साथ वर्ष 2003 से लेकर 2005 के लेखा वक्तव्य भी पेश किए।

महासचिव की रिपोर्ट पर विभिन्न राज्यों के 51 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों तथा उद्योगों से सम्बन्धित वक्ताओं ने सेवा योजकों–प्रशासन की बर्बर एवं प्रतिशोध की कार्रवाईयों के खिलाफ विभिन्न सेक्टरों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलने वाले भीषण संघर्षों के बारे में अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में श्रम अधिकारों पर हमलों के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त प्रतिरोधी संघर्ष को और तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।

भ्रातश जन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के नेता नुरुल हुडा, अखिल भारतीय खेतिहर श्रमिक यूनियन के सच्चिव सुनीत चोपड़ा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुध ा सुंदरारमन, डीवाइएफआई के नेता महेश त्यागी, एसएफआइ के नेता अरुण कुमार ने प्रतिनिधि सत्र को सम्बोधित किया। भ्रातश श्रमिक संगठनों के जिन नेताओं ने महाधिवेशन का अभिनन्दन किया उनमें राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ के नेता एस मुत्थु सुन्दरम, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ के नेता के के एन कुट्टी,

ऑल इंडिया इंश्योरेंस इम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता एन एम सुन्दरम, नेशनल फैडरेशन ऑफ पोस्टल इम्पलाईज़ के नेता सी सी पिल्ले, ऑल इंडिया डिफैंस इम्पलाईज़ फैडरेशन के नेता साइलो भट्टाचार्य, बैंक इम्पलाईज़ फैडरेशन ऑफ इंडिया के नेता प्रदीप विश्वास, आल इंडिया रिजर्व बैंक इम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता समीर घोष, आल इंडिया रूरल बैंक इम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता दिलीप मुखर्जी और एफएमआरएआई के महासचिव डी पी दुबे शामिल हैं।

महाधिवेशन में कामकाजी महिलाओं पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सीआइटीयू की सचिव के हेमलता ने "कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर कार्यो का घोषणा पत्र" महाधिवेशन के सामने पेश किया जो विशाखापत्तनम में 3–5 नवम्बर, 2006 को आयोजित कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित दस्तावेज पर आधारित था। विभिन्न राज्यों और उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले 27 प्रतिनिधियों ने इस पर बहस में भाग लिया।

महाधिवेशन का चौथा दिन कमिशनों में बहस के काम में लाया गया। ये कमिशन देश में श्रमिक आंदोलन के लिए निर्णायक महत्त्व के छःह विभिन्न विषयों पर बनाए गए थे। इनके विषय इस प्रकार थे, 1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनः हाल ही की कुछ घटनाएं और एकता का सुदृढ़ीकरण, 2) न्यायपालिका और भारत का श्रमिक वर्ग, 3) ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र–श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण, 4) ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के खतरे, 5) विशेष आर्थिक अंचल (सेज़), 6) विश्व व्यापार संगठनः वर्तमान मुद्दे और चुनौतियां। इन कमिशनों की अध्यक्षता सर्वसाथी ए के पद्मनाभन, काली घोष, रघुनाथ सिंह, मर्सिकुट्टी अम्मा, देबेन भट्टाचार्य तथा एस वीरैय्या ने की जबकि स्वदेश देवराय, के हेमलता, जीवन राय, तपन सेन, डब्ल्यू आर वरद राजन तथा दीपंकर मुखर्जी ने इन्हें बहस के लिए पेश किया और बाद में बहस का समापन किया। सभी कमिशनों में बहस में लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया; उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए और सम्बन्धित विषयों पर टिप्पणियां कीं। सीआइटीयू सचिव मण्डल प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों तथा टिप्पणियों पर विचार करके कमिशन के दस्तावेजों को अंतिम रूप देगा।

महाधिवेशन ने विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्ताव पारित किए। ये सभी विषय प्रासंगिक थे। ये प्रस्ताव हैं:–1) कर्नाटक के श्रमिक वर्ग का अभिनन्दन; इसे

सीआइटीयू के सचिव डब्ल्यू आर वरद राजन ने पेश किया जबकि सीआइटीयू की कर्नाटक राज्य समिति के महासचिव प्रसन्न कुमार ने इसका अनुमोदन किया। 2) खेतिहर श्रमिकों के लिए तत्काल सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग; यह प्रस्ताव सीआइटीयू की सचिव हेमलता ने पेश किया जबकि सीआइटीयू के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने इसका अनुमोदन किया। 3) पेन्शन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक के खिलाफ; यह प्रस्ताव सीआइटीयू के सचिव डब्ल्यू आर वरद राजन ने पेश किया जबकि राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ के महासचिव सुकोमल सेन ने इसका अनुमोदन किया। 4) पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में; यह प्रस्ताव सीआइटीयू के सचिव एस वीरैय्या ने पेश किया जबकि बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के महासचिव गोबिन्द गुहा ने इसका अनुमोदन किया। 5) मूल्य वृद्धि पर; यह प्रस्ताव सीआइटीयू के सचिवों के रविन्द्रनाथ तथा के एल बजाज ने पेश किया और उसका अनुमोदन किया। 6) देश से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए सीआइटीयू की उड़ीसा राज्य समिति के महासचिव बिष्णु मोहंती ने प्रस्ताव पेश किया और सीआइटीयू के सचिव एस के बख्शी ने उसका अनुमोदन किया। 7) औषध उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार, मूल्यों में कमी लाने और अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता पर एक प्रस्ताव सीआइटीयू की कार्य समिति के सदस्य पी के गांगुली ने पेश किया जबकि एफएमआरएआइ के नेता आर विश्वनाथन ने उसका अनुमोदन किया। 8) ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति पर सीआइटीयू के सचिव जीवन राय ने प्रस्ताव पेश किया और सीआइटीयू की राजस्थान राज्य समिति के महासचिव रवीन्द्र शुक्ला ने उसका अनुमोदन किया। इनके अलावा महाधिवेशन में दूसरे अनेक प्रस्ताव पारित किए गए जो अर्थव्यवस्था तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं तथा मुद्दों से सम्बन्ध रखते थे।

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का समापन किया और उसके बाद महाधिवेशन में महासचिव की रिपोर्ट, कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर कामों के बारे में घोषणा पत्र और लेखा वक्तव्य सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए।

महाधिवेशन में 35 सदस्यीय सैक्रेटेरिएट, 425 सदस्यीय जनरल कौंसिल तथा 125 सदस्यीय कार्य समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। एम के पन्धे, चित्तब्रत मजुमदार तथा रणजीत बसु को फिर से अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष चुन लिया गया।

सीआइटीयू के पूर्व महासचिव और हमारे आंदोलन के प्रख्यात नेता कामरेड समर मुखर्जी ने स्वागत समिति की ओर से प्रकाशित विशेष सोविनियर विमोचन किया। सीआइटीयू के पूर्व उपाध्यक्ष कामरेड आर उमानाथ ने इसकी पहली प्रति प्राप्त की। कामरेड समर मुखर्जी ने अपने संक्षेप भाषण में प्रतिनिधियों को स्मरण कराया कि सीआइटीयू ने अपने संविधान में समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया है। उन्होंने सभी साथियों को आह्वान किया कि वे मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अथक संघर्ष करें।

सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने अपने प्रेरणादायी भाषण से बारहवें महाधिवेशन का समापन किया।

महाधिवेशन का समापन बेंगलूरू के मध्य में स्थिति गवर्नमैंट आर्टस् कालेज के मैदान में एक विशाल जन सभा के साथ हुआ। जन सभा में हजारों मजदूरों और मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों ने भाग लिया जिनमें कामकाजी महिलाओं की उल्लेखनीय संख्या थी। सीआइटीयू की कर्नाटक राज्य समिति के नेताओं वी जे के नायर, एस प्रसन्न कुमार, बी माधव, मारुति मानपडे, जी श्री रामा रेड्डी तथा एस वरलक्ष्मी के अलावा सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे तथा महासचिव चित्तब्रत मजुमदार इत्यादि नेताओं ने जन सभा को सम्बोधित किया।

स्वागत भाषण

प्रिय साथियों, गणमान्य अतिथियो, भ्रातृ प्रतिनिधिगण और अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के प्रतिनिधियो,

बंगलौर में होने जा रहे सीआइटीयू के इस महत्त्वपूर्ण अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पधारे आप सभी साथियों का मैं स्वागत समिति तथा बंगलौर शहर की ओर से पूरी गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं।

औपनिवेशिक शासन के समय बंगलौर एक महत्त्वपूर्ण सैनिक छावनी हुआ करता था; विकास के अनेक चरणों में से गुजर कर यह शहर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपने इस मौजूदा चरण में पहुंचा है। आज यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आकर्षण का एक बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका है। सामंत युग में विजय नगर साम्राज्य के समय से ही इस शहर ने मजबूती के साथ विकास किया था। शासक बदलते गए पर इसकी विकास यात्रा पूर्वतः जारी रही। सुलतान शाही में ही यहां तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर हुआ। उस समय यहां 'मिसाइल' का प्रारम्भिक रूप विकसित किया जा चुका था। उन मिसाइलों का उपयोग ब्रिटिश सेनाओं पर हमलों के समय जम कर किया गया था। यह शहर एक छावनी से विकसित होता हुआ पेन्शन भोगियों का स्वर्ग बन गया और इसके चलते आगे चल कर 'गार्डन' टाउन की बुनियाद पड़ गई। आगे चल कर यह शहर कपड़ा उद्योग के मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र के रूप में विकसित हुआ और अपने उत्पाद बिन्नी फैबरिक्स के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही साथ इस शहर ने रेशम उत्पादन, सिल्क, अगरबत्ती इत्यादि का विकास भी किया। हवाई अड्डा होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां लड़ाकू विमानों की सर्विसिंग हुआ करती थी। इस प्रक्रिया में इसने सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों के मामले में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शहर के रूप में विकास किया है। यह शहर इलेक्ट्रानिक्स, एयरोस्पेस उद्योग का एक बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। वर्तमान में इस 'भारत की सिलिकोन वैली' के रूप में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया में बंगलौर का वर्तमान में 'विशाल बंगलूरू' बन चुका है।

इस प्रक्रिया में अनेक महान व्यक्तित्व इस शहर से जुड़ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख कैम्पा गोवडा थे। उन्होंने बंगलौर का निर्माण किया और इसके चार गुम्बदों की स्थापना का काम किया। इन्हीं में से एक गुम्बद अथवा टावर के निकट हम यह सभा कर रहे हैं। एक बार शिवाजी ने इस पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था; हैदर अली तथा टीपू ने बाद में इसका और

विकास किया। सुप्रसिद्ध लाल बाग जहां संयोगवश इस महाधिवेशन के अंतिम दिन बेहद प्रसिद्ध 'फूलों की प्रदर्शनी' का आयोजन होने जा रहा है, का विकास भी उन्हीं की ओर से किया गया था। जिन ब्रिटिश सिपाहियों ने यहां काम किया था, उनमें विंस्टन चर्चिल भी शामिल हैं। एम विश्वेश्वरैय्या, सी वी रमन और अनेक सुप्रसिद्ध इंजीनियर एवं वैज्ञानिक इस शहर में रहे और उन्होंने इस शहर को और विकसित करने में सहायता दी। टाटा इंस्टीच्यूट जिसे आज भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम पर जाना जाता है होमी भाभा, विक्रम साराभाई, डी डी कोसाम्बी, सतीश धवन तथा अनेक अन्य महान व्यक्तियों की गतिविधियों का केन्द्र रहा है।

इस औद्योगिक विकास यात्रा और शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ ही साथ इस शहर ने देश के लगभग सभी कोनों में रहने वाले श्रमजीवी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कलासिपलायम जहां सुलतानों के समय पहली 'मिसाइलें' बनाई गई थीं, के समय से लेकर एचएएल, आइटीआइ, बीईएल, एचएमटी इत्यादि की श्रमिक बस्तियों जहां आधुनिक सर्वहारा ने जन्म लिया है, तक इस शहर ने आज के आइटी एवं बीटी कारोबारियों के एचआर क्षमता का विकास किया है। यही नहीं, इस शहर ने न केवल अपने देश अपितु विश्व के अनेक भागों के नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित किया है; उन सबने इसके विकास में अपना योगदान दिया है।

श्रमिक वर्ग का विकास उसके संघर्षों और सत्ताधारी श्रेणियों की ओर से दिए गए प्रत्युत्तर की प्रक्रिया में हुआ। इसी प्रक्रिया में इस महान शहर का राजनीतिक स्वरूप उभर कर सामने आया है। कपड़ा उद्योग के श्रमिक अपने रोजगार की स्थितियों में सुधार लाने के लिए संघर्ष की अग्रिम पंक्तियों में रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी खुद को व्यस्त रखा था। उनमें से अनेक श्रमिकों ने चालीस के दशक में शहादत हासिल की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय इंजीनियरिंग संस्थान के श्रमिकों ने 1980–81 में बहुत बड़ी हड़ताल की थी; यह हड़ताल पूरे चार महीने जारी रही थी; यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी, इसमें संदेह नहीं। इस हड़ताल ने राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी अवधि में माइको एवं आइटीसी श्रमिकों की ओर से भी संघर्ष किए गए; इन संघर्षों ने आगे चल कर दूसरे संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिनमें वस्त्र उद्योग के श्रमिकों का संघर्ष, बीपीएल श्रमिकों, हेजाला फायरिंग एवं टोयटा के श्रमिकों का संघर्ष भी शामिल है। ये सभी संघर्ष अभी पिछले वर्ष ही किए गए थे।

इन संघर्षों के परिणामस्वरूप अस्सी के दशक के शुरू में इस शहर का राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया और इस ध्रुवीकरण ने आगे चल कर तानाशाही विरोधी तथा जनवाद समर्थक आंदोलन के रूप में विकास किया। श्रमिक वर्ग ने इस आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1975–77 में

देश में आंतरिक आपातकाल के दिनों से ही राज्य में श्रमिक आंदोलन ने तेजी से प्रगति की है और आज यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन चुका है। उसके बाद बनने वाली जनता सरकार के समय भी यह आंदोलन निरंतर ज़ारी रहा और विकास करता हुआ मौजूदा स्थिति में पहुंचा है। फिर भी, राज्य के श्रमिक वर्ग ने एक ऐसी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ताकत जो राज्य की राजनीति एवं शासन व्यवस्था में मजबूती के साथ दखल दे सके, के रूप में अब भी विकसित होना है।

बंगलौर शहर इस घटनाक्रम के मामले में सदा आगे रहा है; इसका मतलब यह नहीं कि कर्नाटक के शेष भाग पीछे रहे हैं। पूरे कर्नाटक राज्य में सत्तर के दशक के अंत में अनेक संघर्ष चलाए गए। इन संघर्षो के फलस्वरूप कर्नाटक की स्थितियों में भारी बदलाव आया। श्रमिक आंदोलन के लिए यह राज्य एक सुरक्षित टिकाणा बन गया और इसे हम श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले एक अग्रणी क्षेत्र का नाम दे सकते हैं। सत्तर के दशक के अंत से लेकर अस्सी के दशक के शुरू तक जनवादी प्रक्रिया के माध्यम से श्रमिक संघों की मान्यता के लिए अनेक संघर्ष चलाए गए; इन संघर्षो ने इस प्रक्रिया में अपना विशेष योगदान दिया है।

उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद की अवधि में श्रमिक वर्ग का संगठन व्यापक स्तर पर प्रभावशाली बन चुका है। समेकित बाल विकास सेवाओं, स्थानीय सरकारों, दोपहर के खाने के कार्यक्रमों में शामिल तथाकथित 'स्वयं सेवी श्रम' (दूसरे शब्दों में श्रमिकों) ने लाल झण्डे हाथों में लेकर कर्नाटक के अलग–अलग भागों से बंगलौर की ओर न जाने कितनी बार मार्च किया है। हाल ही में किए गए मार्च के चलते पूरे शहर को लाल रंग में रंग दिया गया था।

इन बढ़ते संघर्षो की बदौलत सीआइटीयू ने बंगलौर तथा कर्नाटक में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण श्रमिक संगठन के रूप में विकास किया है। हमें यह साहस प्रदान किया है कि हम राज्य में पहली बार इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन का आयोजन करने के लिए आपको निमंत्रण दे सकें।

हमारी बहुत सीमाएं हैं; यह सब हम जानते हैं; इस पर भी हमने इतने बड़े महाधिवेशन का आयोजन करने का बीड़ा उठाया है। जनता की दूसरी जनवादी श्रेणियों के साथियों के सक्रिय सहयोग से हमने न केवल राज्य स्तरीय बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत समितियों का गठन किया है; अकेले बंगलौर शहर में ही इस तरह की 33 स्वागत समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में शामिल हमारे साथी जनता के बीच गए और इस महाधिवेशन के आयोजन के लिए उनसे सहायता करने का अनुरोध किया। बंगलौर भले ही देश का सबसे अधिक आधुनिक शहर है, पर यहां केवल एक स्थायी ढांचे में इतने अधिक साथियों के लिए आवासीय सुविधा

उपलब्ध कराने योग्य अंदरूनी ढांचा नहीं है। हमें पैलेस ग्राउंड के इस पूरे क्षेत्र में सम्मेलन स्थल का निर्माण करना पड़ा है। यदि बंगलौर तथा पूरे कर्नाटक के लोग हमारे साथ सहयोग न करते और लगातार हमारे साथ खड़े न रहते तो हमारे लिए यह सब कर पाना कदापि सम्भव नहीं था।

हमें, देश में श्रमिक आंदोलन के गणमान्य एवं प्रख्यात नेताओं जिन्होंने श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया है, गुण्डा गिरोहों का सामना किया है, पुलिस तथा सभी तरह के असामाजिक तत्वों के दमन चक्र को झेला है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, को अपने बीच पाकर और उनका आतिथ्य करके अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं; हमें इस पर गर्व है। हम आप पर अपने प्यार और स्नेह की वर्षा कर देंगे और अपनी पूरी ताकत के साथ आपको आतिथ्य प्रदान करेंगे। यदि कोई कमजोरी रह जाती हैं तो मेहरबानी करके एक सच्चे कामरेड की भावना से उसे हमारे ध्यान में लाने का कष्ट करें।

हमें विशेष तौर पर इस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पधारे अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के प्रतिनिधियों को अपने बीच पाकर और अधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये साथी लम्बी दूरियां तय करके यहां पहुंचे हैं; इससे हम सबको प्रेरणा मिली है। हम सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद के झण्डे को बुलंद रखने का प्रण करते हैं।

हमें प्रसन्नता है कि भ्रातश श्रमिक संगठनों के अनेक प्रतिनिधि सीआइटीयू के निमंत्रण को स्वीकार करके इस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। यह महाधितेशन 14 दिसम्बर, 2006 की शानदार देशव्यापी हड़ताल के तत्काल बाद हो रहा है।

हम पूरी गर्मजोशी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम श्रमिक वर्ग की एकता के लिए कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ेंगे और अपने देश तथा पूरे विश्व में इस सामाजिक प्रगति में अपना विशेष योगदान देंगे।

मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद!
सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद जिंदाबाद!
सीआइटीयू जिन्दाबाद!
इंकलाब जिन्दाबाद!

वी जे के नायर
अध्यक्ष,
स्वागत समिति।

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

हम लोग पिछले सम्मेलन में दिसम्बर 2003 में चेन्नई में मिले थे। उसके बाद से विक्षुब्ध कर देने वाली अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिनका दीर्घकालीन असर हमारी उपग्रह पर पड़ेगा। हमारे देश में भी आर्थिक तथा राजनीति के क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव आए हैं जो लोगों की आजीविका पर असर डालने वाले हैं। मैं मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करूंगा क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे महासचिव विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे भाषण में सिर्फ उन्हीं राष्ट्रीय पहलुओं को लिया जाएगा जिनका पूरी दुनिया के लिए महत्त्व है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी

पिछले तीन सालों से अमरीकी अर्थव्यवस्था में जो अल्पकालिक उछाल चल रहा था वह खत्म हो गया है और मंदी के लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। 'दि इकॉनोमिस्ट' नामक पत्रिका में उल्लेख किया गया है कि "अल्पावधि में अमरीकी अर्थतंत्र निश्चित तौर पर धीरे चल रहा है जैसा कि हाल के जी0 डी0 पी0 आकड़ों द्वारा दिखाए जाने की सम्भावना है। किन्तु अधिक चिंताजनक आंकड़े दीर्घावधि से सम्बन्ध रखते हैं। अमरीकी आर्थिक गति की सीमा–वह रफ्तार जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ने के बिना उसकी अर्थ व्यवस्था प्रगति कर सकती है–यह रफ्तार जल्दी ही 2. 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम हो जाएगी। कुछ अनुमानों के अनुसार एक शताब्दी से भी अधिक समय में यह सबसे कम रफ्तार होगी।" 'दि इकॉनोमिस्ट, 28 अक्टू– 3 नवम्बर 2006)

प्रमुख पूंजीवादी देशों में 2007 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी) की बढ़ोत्तरी दर का अनुमान इस प्रकार है:–

जापान	**1.2 प्रतिशत**
जर्मनी	**1.4 ,,**
ब्रिटेन	**2.4 ,,**
फ्रांस	**2 ,,**
इटली	**1.2 ,,**

कनेडा	2.5	,,
स्पेन	2.8	,,
बेल्जियम	1.9	,,
नीदरलैण्ड्स	2.2	,,

यदि पूरे युरोपीय संघ को देखें तो औसत बढ़ोत्तरी दर सिर्फ 1.9 प्रतिशत अनुमानित है।

उत्पादन की तकनीक में क्रान्तिकारी बदलाव होने पर भी उन्नत पूंजीवादी देशों की आर्थिक बढ़ोत्तरी की यह दशा वास्तव में उनकी व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में पूंजीवाद सक्षम नहीं है। जन साधारण की क्रय शक्ति कम होने के कारण, उनका माल देश के अंदर बिक नहीं पाता। अतः उन देशों में सामान का निर्यात करने पर बल दिया जाता है जहां जन साधारण की क्रय शक्ति अधिक होती है। चीन में अक्टूबर 2006 तक औद्योगिक उत्पादन की बढ़ोत्तरी दर 14.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उसके द्वारा बढ़ोत्तरी की इस दर को 25 साल से बरकरार रखा जा सका है क्योंकि इस दौरान उत्पादन के साथ–साथ जनता की क्रय शक्ति भी बढ़ती चली गई। इस तथ्य से समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है।

दुनिया में बढ़ती असमानता

संयुक्त राष्ट्र के 'आर्थिक विकास शोध संस्थान' की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि विश्व स्तर पर असमानता में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। दुनिया में धन–दौलत के वितरण को यदि देखा जाए तो पता चलता है कि सब से अमीर एक प्रतिशत लोग, दुनिया की 40 प्रतिशत दौलत पर कब्जा जमाएं हुए हैं।

पूरी दुनिया की धन दौलत का मूल्य करीब 125 खरब डॉलर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्व के 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में इस आपार दौलत का 85 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी तरफ दुनिया की कुल वयस्क आबादी के 50 प्रतिशत लोगों के पास दुनिया की धन दौलत का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा है। भारत इस सूची में बिलकुल तले के पास है–यह प्रति व्यक्ति धन सिर्फ 1100 डॉलर (लगभग 49,500 रुपए) है।

जो लोग वित्तीय सेवाओं तथा इंटरनेट के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका

विश्व के सुपर समृद्ध दस प्रतिशत लोगों में बोलबाला है। इनमें एक तिहाई से अधिक लोग अमरीका में रहते हैं, 27 प्रतिशत जापान में, 6 प्रतिशत यू. के. में और 5 प्रतिशत फ्रांस में रहते हैं।

भारत में प्रति व्यक्ति सम्पत्ति की तुलना में अग्रणी पूंजीवादी देशों की प्रति व्यक्ति सम्पत्ति कहीं अधिक है। वर्ष वर्ष 2000 में यूके में प्रति व्यक्ति सम्पत्ति 1,27,000 अमरीकी डालर थी जबकि जापान में 1,81,000 अमरीकी डालर तथा अमरीका में 1,44,000 अमरीकी डालर थी।

हालांकि वैश्वीकरण के झंडाबरदार धन–दौलत के इस विशाल भण्डार को आर्थिक वृद्धि दर को और तेज करने के लिए जरूरी मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय विश्व में 80 करोड़ से अधिक लोग भयानक भुखमरी से पीड़ित हैं। इसे देख कर उनकी समझ पूर्णतया अन्यायोचित दिखाई देती है। भूमण्डलीयकरण के माध्यम से दुनिया में गरीबी समाप्त हो जाएगी; यह एक मृगतृष्णा के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक वर्तमान नीतियां जारी रहेंगी तब तक यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा।

पूरी दुनिया के आम लोगों और मजदूर वर्ग पर सोलह साल से चल रहे भूमण्डलीयकरण ने विपत्तियों को बोझ लाद दिया है। विश्व बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा देने के नाम पर लागत कम करने के लिए कामगारों की छटनी की जा रही है जिससे मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। हर जगह बढ़ते काम के घंटे और बिगड़ते काम के हालात नजर आ रहे हैं। आपसी होड़ के इस माहौल से हार कर पूरी दुनिया में लाखों औद्योगिक इकाईयां बंद होने पर मजबूर हो गई हैं तथा बडी संख्या में मजदूरों को सड़क पर धकेल दिया गया है। जहां आवश्यक वस्तुओं के दामों में पूरी दुनिया में बढ़ोत्तरी जारी है, वहीं वेतनों में इसके बराबर बढ़ोत्तरी न होने के कारण मजदूर वर्ग के जीवन स्तर में लगातार गिरावट आती चली जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं पर जबरदस्त हमला चल रहा है। 'श्रम सुधार' के नाम पर पेन्शन सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को सीमित किया जा रहा है। श्रम बाजार में लोचनीयता लाने के नाम पर दुनिया के अधिकांश देशों में मालिकों को 'हॉयर एण्ड फॉयर' का अधिकार दिया जा रहा है अर्थात् उन्हें जब चाहो काम पर रखो और काम निकल जाने पर बाहर का रास्ता दिखा दो। कामकाजी महिलाओं को खास तौर पर हमले का निशाना

बनाया जा रहा है–छटनी अभियान में सबसे पहले उन्हीं को निकाला जाता है।

दुनिया भर के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रम कानून लागू नहीं किये जाते। हड़ताल के अधिकार समेत, मजदूर वर्ग के तमाम ट्रेड यूनियन अधिकारों को बड़ी तेजी के साथ खत्म किया जा रहा है। आइएलओ इसे ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को' हाशिए पर धकेले जाने की संज्ञा दी है। आइएलओ के महानिदेशक ने गरिमापूर्ण काम के लिए आह्वान किया था किन्तु उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने विवश होकर इसे 'गरिमापूर्ण काम में कमी' का नाम दिया था।

नाटो के विस्तार की राजनीति

यद्यपि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है मगर अमरीकी साम्राज्यवाद दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने तथा उसे और मजबूत बनाने के लिए नाटो का प्रसार कर रहा है। पूर्वी युरोपीय देशों को नाटो में शामिल किए जाने के बाद यूक्रेन तथा जार्जिया को भी इसमें शामिल करने की कोशिशें चल रही हैं। यही नहीं, दक्षिणी कोरिया, न्यूज़ीलैंड, आस्ट्रेलिया, और इस्राइल जैसे देशों को भी उसका सदस्य बनाने की बातें खुल कर की जा रही हैं। नाटो के सैनिक प्रशिक्षण केन्द्रों में पाकिस्तानी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। इस प्रकार नाटो अपने सीमाओं से कहीं अधिक अपने पंख फैला रहा है। अफगानिस्तान में वह पहले से ही मौजूद है और वहां उसके सैनिकों की संख्या पहले ही 17 हजार हो चुकी है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं और उनकी सरकार ने रूस में कुछ प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर अमरीकी नियंत्रण की इजाजत दी है। कुछ मध्य एशियाई गणतंत्रों में तो अमरीकी सेना की टुकड़ियां भी तैनात की गई थीं।

मगर अब पुतिन को यह चिन्ता होने लगी है कि अमरीका नाटो के माध्यम से रूस को अपने जंजाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते रूस और अमरीका के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। इसके परिणामस्वरूप अमरीकी साम्राज्यवादी स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल (सीआइएस) के समृद्ध ऊर्जा स्रोतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि रूस आज यूरोपीय देशों को तेल व गैस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया है इसलिए अमरीका इस बात से बहुत चिंतित है। रूसी

तेल पर बढ़ती निर्भरता ने अमरीकी प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है।

हाल के दिनों में यह भी देखा गया कि रूसी नेतृत्व इस बात के अथक प्रयास कर रहा है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में अमरीका को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका न मिले। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के फलस्वरूप रूस सरकार को पूर्वी युरोप के देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में सहायता मिली है।

शांघाई सहयोग संगठन

वर्ष 2001 के शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, कज़ाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गीज़िस्तान ने मिलकर शांघाई सहयोग संगठन बनाया था। यह सामरिक गठबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। चार एशियाई देशों भारत, पकिस्तान, ईरान तथा मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में इस शिखर सम्मेनल में भाग लेने के लिए अमंत्रित किया गया था। इसके कारण नाटो के विस्तार की योजना को भारी धक्का पहुँचा है। ईरान और पाकिस्तान की ओर से शांघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत सरकार के सामने इसके कारण गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। शांघाई सहयोग संगठन की पांचवीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में जहां ईरान व पाकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेने के लिए पहुंचे वहीं भारत ने अपने अमेरिका प्रेमी तेल मंत्री को इस बैठक में भाग लेने के लिए भेज दिया था।

भारत के लिए इस सामरिक गठबंधन को अधिक महत्त्व देना जरूरी है ताकि एशियाई महाद्वीप में अमरीकी हथकंडों पर लगाम लगाई जा सके। इस नए गठबंधन के बारे में अपने रुख का निर्धारण करने के मामले में भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए।

पश्चिम एशिया में अमरीकी नीतियों की असफलता

हालांकि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की महत्वकाक्षां के तहत बुश प्रशासन ने पश्चिम एशिया पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर रखा है, मगर पिछले तीन सालों में वहां तेल के विपुल संसाधनों पर कब्जा जमाने की अमरीकी नीतियां पूरी तरह से असफल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र को दर किनार करके अमरीके के नेतृत्त में इराक पर किया गया हमला व कब्जा असफल रहा है और इसके फलस्वरूप इराकी जनता के प्रतिरोध को वह रोक नहीं

सका है। फलिस्तीन, लेबनान, सीरिया तथा ईरान के प्रति अमरीकी नीतियों के दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं—पश्चिम एशिया अमरीका—विरोधी संघर्ष का केन्द्र बन चुका है।

इराक पर दुस्साहसी हमला करके वहां के तेल भण्डारों पर कब्जा करने की राष्ट्रपति बुश की योजना भी शायद पूरी न हो सके। इस साम्राज्यवादी हमले में तीन हजार अमरीकी सैनिकों की जाने जा चुकी हैं, मगर कई ऐतिहासिक स्थानों को नष्ट करने के बावजूद अमरीकी सेना अभी तक अपनी कठपुतली सरकार के पैर जमा नहीं सकी है। अमरीकी एवं कठपुतली सेनाओं द्वारा लाखों बेगुनाह नर—नारियों व बच्चों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस पर भी विरोधी शक्तियां दिन—प्रतिदिन बलवती होती चली जा रही हैं। उधर अमरीका में इराक युद्ध की विफलता के कारण बुश की रिपब्लिकन पार्टी को अमरीकी सीनेट के चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को सीनेट में बहुमत मिल गया।

5 दिसम्बर 2006 को पेंटागन के नव नियुक्त प्रमुख राबर्ट गेट्स को मानना पड़ा की इराक में अनरीका युद्ध जीत नहीं रहा है। इराकी जेलों में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दिए जाने की घटनाओं और अमरीकी सैनिकों की दरिंदगी ने पूरी मानवता को आघात पहुंचाया है। अमरीकी व अन्य सैनिकों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने की घटनाओं की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। अमरीकी साम्राज्यवादियों के कई सहयोगी देशों ने इराक से अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं। खुद अमरीका में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करके इराक से अमरीकी सेना वापस बुलाने की मांग की है। इराक की कठपुतली सरकार ने खुद भी अमरीका के कब्जे व अपने देश में साम्राज्यवादी हथकण्डों पर विरोध जताया है।

अमरीकी संसद द्वारा नियुक्त बेकर आयोग ने माना कि "इराक की परिस्थितियां गम्भीर हैं और ये दिन—प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही हैं।" उन्होने आगे उल्लेख किया कि इस बात का खतरा है कि "अराजकता की ओर खिसकते हुए इराकी सरकार ही कहीं धाराशायी न हो जाए और मानवीय महाविनाश हो जाए।" आयोग ने अमरीकी लड़ाकू टुकड़ियों को इराक से बहार निकालने की सिफारिश की है।

अमरीकी छत्रछाया में चल रहे इस्त्राइली अत्याचारों का सामना करते हुए फलिस्तीन के प्रतिरोधी दस्ते अपनी भातृ भूमि के लिए लड़ रहे हैं। ओस्लो संधि इस्त्राइल व फलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने में असफल रही थी

क्योंकि इस्राइल ने इन फलिस्तीनी क्षेत्रों को छोड़ने से इन्कार कर दिया था जिन पर उसने जबरन कब्जा जमा रखा है। गाज़ा पट्टी से हट जाने के बाद भी इस्राइली सेना लगातार फलिस्तीनी क्षेत्रों पर हमला करती रही है। यहां तक कि उन्होंने फलिस्तीनी मुक्ति संगठन के दिवंगत प्रमुख यासर अराफात के मुख्यालय तक को भी नहीं बख्शा।

अराफात का देहांत हो जाने के बाद इस्राइल को लग रहा था कि नया नेतृत्व उनके साम्राज्यवादी दबाव के आगे झुक जाएगा। मगर हमास की चुनावी जीत ने इस्राइली सियोनवादियों को आग बबूला कर दिया और उन्होंनें फलिस्तीन के अर्थ तंत्र का गला घोंटना शुरू कर दिया। मगर कई इस्राइली हमलों के बावजूद फलिस्तीनी जनता ने अपना प्रतिरोध जारी रखा है। गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट के गैर कानूनी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करने और पूर्वी योरोशलम को फलिस्तीन की राजधानी बनाने की फलिस्तीनी जनता की उचित मांगों को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। मगर बातचीत को उलझाए रखने और कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली न करने के इस्राइली दांव के कारण इस लम्बे चलने वाले विवाद का कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरी रणनीति में अमरीका इस्राइल का समर्थन कर रहा है।

पूरी दुनिया ने लेबनान पर इस्राइली सेना के उस क्रूर हमले की निंदा की जो इस बहाने से शुरू किया गया था कि हिज्बुल्लाह ने दो इस्राइली सैनिकों को पकड़ लिया। लेबनान के खिलाफ 34 दिन के इस युद्ध ने वहां भारी तबाही मचाई और हजारों नर–नारी व बच्चे मारे गए। मगर हिज्बुल्लाह ने इन हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया और उसने अमरीका समर्थित इस्राइली सेना के सामने घुटने नहीं टेके। हर दिन इस बिना पर रिहायशी बस्तियों पर बमबारी की गई कि हिज्बुल्लाह के संगठन को नष्ट करना है। लेबनान में काम कर रहे कई भारतीय कामगार भी इन अमानवीय हमलों से प्रभावित हुए। अन्ततः युद्ध बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और वहां शान्ति स्थापित हुई। इस युद्ध से हिज्बुल्लाह और भी मजबूत होकर उभरा है। लेबनान में कुछ राजनीतिक नेताओं की हत्याओं के कारण जनता के एक हिस्से में अमरीका विरोधी भावना बलवती हुई है।

चुंकि सीरिया सरकार ने फलिस्तोनी जनता व हिज्बुल्लाह को समर्थन दिया था इस लिए बुश प्रशासन ने यह बहाना बना कर कि वे आंतकवादियों को शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ सैनिक कार्यवाही की धमकी दे डाली। मगर पूरे क्षेत्र में अमरीका विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी लहर ने उसे ऐसा

दुस्साहसी कदम उठाने से रोक दिया। 1967 से इस्राइल ने गोलान पहाड़ियों पर कब्जा जमा रखा है, और वहाँ की गैर कानूनी बस्तियों को खाली करने से इन्कार कर रहा है। सीरीया सरकार अपनी खोई हुई धरती को वापस लेने का अधिकार मांग रही है मगर अमरीका पूरी तरह इस्राइल द्वारा किए गए इस गैर कानूनी कब्जे का समर्थन कर रहा है।

ईरान के प्रति अमरीकी नीति की भी पूरी दुनिया में तीखी आलोचना हुई है। परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का पूरा अधिकार है। ईरान के युरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का बुश प्रशासन ने विरोध किया और वहां स्थित परमाणु संयंत्रों पर हमला बोलने की योजना तक बनाने लगा। इस अमरीकी धौंस के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का इरादा दोहराया है।

पड़ोसी देशों की परिस्थितियां

तानाशाही के खिलाफ लम्बे संघर्ष के बाद हिंसा खत्म करने और भविष्य का रास्ता तय करने के लिए 21 नवम्बर 2006 को नेपाल सरकार तथा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के बीच हुआ शांति की स्थापना के लिए एक ठोस समझौता हुआ है। यह एक स्वागत योग्य घटना है। सात दलों के गठबंधन व माओवादियों के बीच लम्बी बातचीत के बाद हुए इस समझौते में अंतरिम संसद बनाने का प्रावधान है, जिसमें भंग संसद से सात दलों के 209 तथा माओवादियों के 73 सदस्य होंगे। कुछ अन्य सदस्यों को शामिल करके, जो राजा विरोधी संघर्ष में शामिल नहीं थे, संसद की कुल सदस्य संख्या 330 होगी। माओवादी सेना सयुक्त राष्ट्र की देखरेख में रहेगी और उसके सदस्य 7 खण्डों तथा 21 उपखण्डों तक सीमित रहेंगे। समझौते में कहा गया है कि जून 2007 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे। राजशाही बनी रहेगी या नहीं इसका फैसला संविधान सभा को पहली बैठक में किया जाएगा।

यदि समझौते पर पूरी तरह से अमल होता है तो नेपाल में स्थाई शांति बनेगी और बहुदलीय लोकतंत्र कायम होगा। हालांकि नेपाल का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में न कि हिन्दु राजतंत्र के रूप में उभरना, भाजपा व भारत की अन्य साम्प्रदायिक ताकतों को रास नहीं आया। नेपाल में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों का दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास पर दीर्घ कालीन असर पड़ेगा।

भारत व पाकिस्तान के आपसी सम्बन्ध उतार–चढ़ाव से गुजर रहे हैं हालांकि दोनों देशों की आम जनता दोस्ती ही चाहती है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से दोनों को बहुत लाभ पहुँच सकता है। रिश्तों को सुधारने की दिशा में जहां कश्मीर का मुद्दा अभी भी कठिनाई पैदा करता है, वहीं भारत में आतंकवादी हमले रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं।

हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसका भारत ने स्वागत किया है। इसके अनुसार : (1) कश्मीर की सीमाएं जैसी है वैसी ही रहें मगर लोगों को सीमा आर–पार जाने की आजादी हो। (2) इस क्षेत्र को स्वशासन अथवा स्वायत्ता दी जाए, मगर पूरी आजादी नहीं। (3) सेनाओं को धीरे–धीरे हटाया जाए। (5) भारत, पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ से साझी देखरेख करने के एक साझे तंत्र का विकास किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव के आधार पर भविष्य में बातचीत के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मगर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जनता के कुछ हिस्सों में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई है।

दोनों महान पड़ोसियों के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तेक्षप के दोनों पक्षों के बीच सर्वमान्य तर्क संगत समझौता हो सके। पाकिस्तान स्वतंत्र कश्मीर की अपनी पुरानी मांग से हटा है और उसके रुख में एक स्पष्ट बदलाव आया दिखाई देता है; भारत की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। यदि दोनों पक्ष ईमानदारी से बातचीत करें तो व्यवहारिक हल जरूर निकल सकता है, क्योंकि वे इस विवाद का समाधान ही नहीं चाहते, इसलिए भाजपा ने बातचीत में प्रगति को तुष्टीकरण करार दे दिया है। ऐसी परिस्थिति में, भारत के लोगों के बीच एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच के इस लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो।

श्रीलंका में हालात बिगडते जा रहे है, जिसके कारण सरकारी व लिट्टे दोनों के खेमों में लोगों की जानें जाने का सिलसिला जारी है। नार्वे के दखल से सम्पन्न शान्ति समझौते में दरारें पड़ गई हैं और अनेक क्षेत्रों में फिर से लडाई शुरू हो गई है। लिट्टे ने दोबारा तमिल राष्ट्र की मांग उठा ली है जबकि श्रीलंका सरकार इसका पूरा विरोध कर रही है। इस कलह के कारण आम लोगों को असहनीय कष्ट झेलने पड़ रहे है और पूरे देश में खाद्य सामाग्री का अभाव हो गया है।

श्रीलंका की समस्या का समाधान सशस्त्र संघर्ष से नहीं होगा। इसके राजनीतिक समाधान की तलाश करनी होगी। मगर दोनों पक्षों की ओर से अपनाए गए कठोर रुख के कारण इस समस्या का कोई समाधान निकल नहीं पा रहा। हालात बहुत जटिल होते जा रहे हैं जिससे भारत की जनता में भी गम्भीर चिन्ताएं पैदा हो रहीं हैं।

बंगला देश में भी स्थिति काफी नाजुक बनती जा रही है, क्योंकि जातीय संसद के चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए संविधान की अदहेलना करते हुए प्रतिक्रियावादी सत्ताधारी जुंडली ने अपने ही एक समर्थक को निगरान सरकार का मुख्या नियुक्त कर डाला। इसका पूरे देश में विरोध हुआ है और देश व्यापी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 दलों के गठबंधन ने इसके खिलाफ तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के दौरान हुई भिंडतों में 28 लोग मारे गए तथा 2000 से अधिक चोटिल हुए। बंगला देश में अमरीकी दूत ने सरेआम उस देश के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए प्रतिक्रियावादी गुट का समर्थन किया। अब इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि चुनाव निष्पक्ष भी होगें या नहीं, क्योंकि मतदाता सूचियों में भी हेरा फेरी की गई है। इस बीच सत्तारूढ़ धड़े में विभाजन हो जाने से विपक्षी खेमे को मजबूती मिली है। क्योंकि बंगला देश इस समय दक्षेस का अध्यक्ष है, अतः वहां हाने वाली घटनाओं का दक्षेस के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।

चीन से संबंध

पिछले वर्ष नवम्बर में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, दोनों देशों के बीच सहयोग कां मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण मौका था। उनकी यात्रा के दौरान 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनमें से एक अनुसार सन् 2010 तक अपसी व्यापार को 20 अरब डालर से बढ़ाकर 40 अरब डालर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। सीभा व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी सहमति हुई।

दो साल पहले चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत यात्रा पर आए थे उन्होंने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार से कारगर विचार विमर्श किया था। चीन का आर्थिक तंत्र पिछले 25 वर्षों से 9–10 प्रतिशत सालाना दर से बढ़ रहा है जिससे वहां की जनता के जीवन स्तर में भारी प्रगति हुई है। आज चीन में 35 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन होता है, जोकि अमरीका से तीन गुना ज्यादा है।

120 करोड़ टन कोयला उत्पादन करके चीन दुनिया में पहले नम्बर पर है। अमरीका, जापान जर्मनी के बाद चीन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। जर्मनी से तो वह आगे निकलने ही वाला है, अमरीकी अर्थशास्त्रियों को यह चिंता सता रही है कि कहीं वह अमरीका से भी आगे न निकल जाए।

अमरीकी साम्राज्यवाद भारत को चीन के खिलाफ एक दुर्ग के रूप में खड़ा करना चाह रहा है। भारत को इन अमरीकी हथकंडो से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में भारत व चीन के बीच बढ़ते सहयोग से उन्नत पूँजीवादी देशों द्वारा विकासशील देशों पर दबाव डालने के खिलाफ जनता के संघर्ष को बल मिलेगा।

लातीनी अमरीका में अमरीकी विरोधी लहर

कई दशकों से चली आ रही अमरीकी साम्राज्यवादी नाकेबंदी के बावजूद क्यूबा समाजवादी निर्माण की राह पर चलता जा रहा है। कई अंतराष्ट्रीय संस्थाओं ने क्यूबा के शैक्षणिक व स्वास्थय प्रणालियों को दुनिया में सबसे अव्वल दर्जा दिया है। क्यूबा के डाक्टरों ने अन्य लैटिन अमरीकी देशों को मदद देने में नायाब भूमिका निभाई है। सन् 2005 में सकल घरेलू उत्पाद 11 /8 प्रतिशत की दर से बढ़ा जिससे पता चला है कि क्रांतिकारी क्यूबा ने अमरीकी नाकेबंदी नेस्तनाबूत कर दी है। उधर अमरीकी साम्राज्यवादी यह सपना पाल रहे हैं, कि पेट के आपरेशन के बाद फिदेल कास्त्रो हट जाएगें– मगर यह एक भ्रम मात्र है। उनकी 80 वीं वर्षगांठ पर क्यूबा के मजदूर वर्ग और जनता ने मजबूती से यह घोषणा की कि वे समाजवाद निर्माण करने की नीति को और आगे ले जाएंगे। इस मौके पर एकत्र लाखों लोगों ने नारा लगाया–"समाजवाद या मौत" । हम फिदेल कास्त्रो के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं ताकि वे क्यूबा की बहादुर जनता को साम्राज्वादी वैश्वीकरण और प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व प्रदान करते रहें।

एक्वाडोर में राष्ट्रपति के चुनाव में वामंपथी अर्थशास्त्री राफेल कोरिया ने 58 प्रतिशत मतों के बहुमत से जीत हासिल की है। उन्होंने बुश प्रशासन के हम जोली अल्वारो नोबोआ नामक केलों के व्यापारी को पराजित किया है। इस घटना के फलस्वरूप लातीनी अमरीका में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। कोरिया ने आश्वासन दिया है कि मांटा से अमरीकी सैनिक अड्डा हटा दिया जायेगा और अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते में वह शामिल

नहीं होगे। इन घोषणाओं से एक्वाडोर की 1.3 करोड जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई है। आईए, हम एक्वाडोर की जनता को इस बात पर बधाई दें कि उन्होने लातीनी अमरीका को अमरीकी साम्राज्यवाद की बपौती समझने वाले बुश को मुँहतोड़ जबाव दिया।

पिछले साल 3 दिसम्बर को वेनेजुएला के चुनावों में हयूगो शावेज ने 61 प्रतिशत वोट हासिल करके जो जबरदस्त जीत दर्ज की, उससे तेल के लिए समृद्ध माने जाने वाले इस देश में उनके विशाल समर्थन का पता चलता है। उनके द्वारा वेनेजुएला में लाए गए क्रांतिकारी बदलावों में भूमि सुधार लागू करना, तेल के टैक्स का इस्तेमाल देश के मार्गो तथा आवास कार्यक्रम के लिए करना, गरीब लोगों के लिए सस्ता आनाज, जनता के लिए शिक्षा व स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं। शावेज ने सेना आधुनिकीकरण के लिए रूस से नये रक्षा उपकरण खरीदे हैं। वे लेटिन अमरीका में तो लोकप्रिय है ही, मगर संयुक्त राष्ट्र में जाकर बुश की नीतियों की बेबाक आलोचना से उन्हें पूरी दुनिया में सराहना मिली। अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में वेनेजुएला क्यूबा का पक्का सहयोगी बन गया है।

ब्राजील में वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार लूला डी सिल्वा का चुनाव में 61 प्रतिशत वोट लेकर दूसरी बार जीतना, भूमण्डलीयकरण के खिलाफ बढ़ते गुस्से की निशानी है। 250 अरब डॉलर कर्जे वाला ब्राजील दुनिया का सबसे अधिक कर्जदार देश है। वहां के बाजारों में अमरीकी माल की बाढ़ है, और स्थानीय अर्थ तंत्र तहस–नहस हो चुका है। ऐसी स्थिति में लोगों ने वामपंथी उम्मीदवार को चुनकर भूमण्डलीयकरण के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लूला ने कहा है कि आर्थिक बढोत्तरी की दर को और बढ़ाकर देश को आत्म निर्भर बनाना है और उसे विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करना है। यह सफलता भी लातीनी अमरीकी महाद्वीप पर अमरीकी नीतियों की हार है।

बोलिविया में लोगों ने भूमण्डलीयकरण की नीतियों से त्रस्त होकर अमरीका की पिट्ठू सरकार को चुनावों में हरा दिया और वहां के मूल निवासी समुदाय के ईवो मोरालेज को भारी जीत दिलाई। इस ऐतिहासिक चुनाव के फलस्वरूप सदियों से चली आ रही बहुसांख्यिक मूल निवासी समुदाय की आधीनता खत्म हुई और पहली बार उनका वास्तविक प्रतिनिधि सत्ता में आया। जैसा कि हम सब जानते है, बोलीविया की धरती पर ही, चे गुवेरा ने एक तानाशाही सरकार के खिलाफ भूमिगत सशस्त्र संघर्ष के दौरान

अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। चे को श्रद्धाजंलि देते हुए, उसी जगह पर खड़े होकर जहाँ चे शहीद हुए थे, इवो मोरालेज ने घोषणा की कि वे सभी तेल व गैस कम्पनियाँ जो अमरीका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा नियंत्रित है, राष्ट्रीयकृत कर दी जाएंगी। उन्होनें यह भी घोषणा की कि भूस्वामियों के गैर कानूनी कब्जे में पड़ी 4 करोड एकड़ जमीन को कई हजार गरीब किसानों को मुफ्त में बाँट दिया जायेगा। बोलीविया के जनता की इस महान विजय पर हम उनका अभिनन्दन करते है।

निकारागुवा में सैंडिनिस्टा मोर्चो की जीत से डैनिएल ओर्टेगा सत्ता में आए हालांकि बुश शासन ने प्रतिक्रियावादी ताकतों को खुली वित्तीय व राजनीतिक मदद दी थी। इससे पहले हुए चुनाव में अमरीकी साम्राज्यवाद की खुली दखलंदाजी के चलते ओर्टेगा को सत्ता से हटाना पड़ा था। मगर निकारागुवा की जनता ने साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ लड़ते हुए भूमण्डलीयकरण तथा लातीनी अमरीका में अपना दबदबा बनाने की अमरीकी नीतियों को अस्वीकार कर दिया।

जुलाई 2006 में मैक्सिको में हुए चुनावों में वामंपथी उम्मीदवार आंद्रेज मैन्युअल लोपेज़ ओब्रादोर सिर्फ 0.5 प्रतिशत वोटों से हारे और वह भी बड़े पैमाने पर धाधंली के कारण। सर्वोच्च निर्वाचन संस्था ने यह माना कि चुनाव व्यापक धाधंलेबाजी हुई मगर फिर भी, वोटों की दोबारा गिनती नहीं होने दी और दक्षिणपंथी उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया। इस धोखाधड़ी के खिलाफ पूरे देश में विशाल विरोध प्रदर्शन हुए। अमरीकी सरकार ने खुलेआम प्रतिक्रियावादी उम्मीदवारों को समर्थन दिया और धोखाधड़ी को बढावा दिया। फिर भी मेक्सिकों की जनता का विरोध बढ़ रहा है। क्योंकि मोक्सिको अमरीका से सटा हुआ है, इसलिए वहां वामपंथ का बढ़ता प्रभाव पूरे उत्तर अमरीकी महाद्वीप के लिए बहुत महत्त्व रखता है।

उरूग्वे में वामपंथी जीत, चिल्ली में उदारवादी वामपंथी माइकल बाचेलेत की जीत तथा हैती में वामपंथी उम्मीदवार रेने प्रेवाल की जीत। पेरू में वामपंथी बहुत कम अंतर से हारे। लातीनी अमरीका में ये सफलता की कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हैं। सिर्फ कोलम्बिया ही ऐसा प्रमुख लातीनी अमरीकी देश है, जिसकी सत्ता अभी तक अमरीकी साम्राज्यवाद के पिट्ठुओं के हाथ में है। वहाँ के तानाशाही शासन ने ऐसे सैकडों ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार डाला है जो मजदूर वर्ग की जिन्दगी को सुधारने के लिए संघर्षरत थे।

अंतराष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन आज चौराहे पर खड़ा है। तमाम प्रमुख पूंजीवादी देशों में ट्रेड यूनियन सदस्यता घट रही है। इसमें से अधिकांश देशों में छटनी के कारण मजदूरों की संख्या कम होना एक कारण है मगर भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ मजबूत संघर्ष चलाने से इन देशों के ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व का इंकार भी एक कारण है। अमरीकी सरकार व सी. आई. ए. खुले आम ट्रेड यूनियनों को धन बाटने के लिए इस्तेमाल कर रहे है ताकि पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने से इनके नेतृत्व को रोका जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश तथा विश्व बैंक को तब आपत्ति नहीं होती जब ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व पूंजीवाद के खिलाफ आग तो उगलता है किन्तु व्यवहार में वह वर्ग सहयोग की नीति का पालन करता है।

मजदूर वर्ग को विचारधारा रहित बनाना और उसकी वर्ग चेतना को खत्म करना पूंजीपति वर्ग के सबसे बड़े हथियार रहे हैं। अतः यह स्वभाविक है कि विश्व स्तर पर, मजदूर वर्ग के संघर्षों में वह जुझारू धार नहीं रही जो पूंजीपति वर्ग के अहम हितों पर चोट पहुचाए।

आज विश्व पूंजीवाद की इसमें गहरी दिलचस्पी है वह उन्नत पूंजीवादी देशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलनों में श्रमिकों के अभिजात्य तबके को विकसित करे। यही कारण है कि विकासशील देशों का ट्रेड यूनियन आन्दोलन उन्नत पूंजीवादी देशों के ट्रेड यूनियन आन्दोलनों से उचित एकजुटता या समर्थन नहीं पाता। अढ़ाई शताब्दियों से ज्यादा के लम्बे इतिहास के बावजूद इंग्लैण्ड का मज़दूर वर्ग सामाजवादी बदलाव के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समाजवादी चोगे में दक्षिणपंथी भेड़ के प्रतीक बन गए हैं। हालांकि वह दो बार चुने जा चुके हैं किन्तु इस पर भी मार्ग्रेट थैचर द्वारा लाए गए मजदूर विरोधी कानूनों को रद्द करने का समय उन्हें नहीं मिला। कमोबेश यही हालात दूसरे प्रमुख पूंजीवादी देशों में भी है।

दुनिया के मजदूर वर्ग को आज विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता की जरूरत है जो वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ कर मजदूरों की आम समस्याओं के आधार पर बनाई जाए। मजदूर वर्ग के संगठन के तौर पर ट्रेड यूनियनों को हर प्रकार के शोषण के खात्मे के लिए काम करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन को किसी भी देश पर आक्रमण, आर्थिक नाकेबंदी या बाधाएं तथा विदेशी सैनिक अड्डों का विरोध करना

चाहिए। श्रमिक आन्दोलन को नवउपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए और तमाम मुक्ति संघर्षों का समर्थन करना चाहिए। विश्व श्रमिक आन्दोलन को सभी प्रकार के वित्तीय व साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण का विरोध करते हुए ऐसे सामाजिक वैश्वीकरण का समर्थन करना चाहिए जो मेहनतकश जनता के हालात में सुधार लायें। एकताबद्ध श्रमिक आन्दोलन को हड़ताल के अधिकार समेत, मज़दूर वर्ग के सभी जनवादी व श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाना चाहिए। उसे परमाणु अस्त्रों पर पाबन्दी और परमाणु भण्डारों के सम्पूर्ण खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। श्रमिक आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य मानव द्वारा मानव के शोषण को हमेशा के लिए खत्म करना है, जो सिर्फ मज़बूत वर्ग संघर्ष से ही हासिल किया जा सकता हैं।

आइसीएफटीयू और डब्लूसीएल के मिलकर एक संगठन बनाने की घटना को इस संदर्भ में देखना चाहिए। इन दोनों संगठनों के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है और दोनों आइएलओ की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में है। ये दोनों संगठन अपनी ट्रेड यूनियनों को मजबूत बनाने के लिए आइएलओ के संसाधनों को भी इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं।

श्रमिक आन्दोलन की एकता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सीजीटी (फ्रांस) ने सीआइटीयू को एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे उस बैठक में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैने ऊपर दिये गये तमाम मुद्दों को वहां रखा जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आन्दोलन की वास्तविक एकता के लिए महत्वपूर्ण है। सीआइटीयू ने इस नए विश्व श्रमिक केन्द्र में शामिल होने से इंकार कर दिया मगर विश्व श्रमिक आन्दोलन की एकता का आधार बनाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। सीआइटीयू ने वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ कर मजदूर वर्ग के समान मुद्दों पर साझा आंदोलन चलाने की जरूरत पर बल दिया।

डब्लूएफटीयू तथा 16 करोड़ सदस्य संख्या वाले विश्व के सबसे बडे ट्रेड यूनियन संगठन ऑल चाइना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स को भी हिस्सेदार बनाने पर सीआइटीयू ने बल दिया था।

पिछले साल नवम्बर की पहले सप्ताह बियाना (ऑस्ट्रिया) में आइटीयूसी नामक नये विश्व फैडरेशन का गठन हो गया। मगर इस संगठन की वहीं नीतियां हैं जो आइसीएफटीयू तथा डब्लूसीएल की है। दुनिया पर कब्जा जमाने के लिए साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ लड़ने का कोई संकल्प इस नए संगठन ने नहीं किया। विकासशील देशों में मजदूर वर्ग द्वारा लड़े जा

रहे क्रान्तिकारी संघर्षों को समर्थन नहीं दिया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका का मजबूती से विरोध करने के बजाए उनसे सौदेबाजी करने व उनसे समझौते करने का नज़रिया अपनाया गया। इस नये संगठन का उद्देश्य पूंजीवादी ढ़ांचे के तहत रह कर सिर्फ आर्थिक संघर्षों में हिस्सा लेना भर है। इस सबसे पता चलता है कि यह नया संगठन वर्ग संघर्ष और मजदूर वर्ग के राजनैतिक हस्तेक्षप को नकारता है।

मगर हमें यह सोचना चाहिए कि कोसाटू (द. अफीका), कट (ब्राजील), जीफोन्ट (नेपाल) सीजीटी (फ्रांस) केसीटीयू (द. कोरिया) जैसे जुझारू संगठन और वामपंथी रुझान वाले कुछ अन्य संगठन ट्रेड यूनियन संगठन क्यों इस नये संगठन में शामिल होने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। शायद वे इस गलतफहमी में हें कि संगठन के अंदर से वे जझारू नीति के अपनाये जाने के लिए संघर्ष करेंगे। इन संगठनों के साथ हमारे गहरे रिश्ते है और भविष्य में भी रहेंगें, हालांकि हम अपनी समझ को बरकरार रखेगें।

आइटीयूसी से सम्बद्ध कई संगठनों के साथ सीआइटीयू का बिरादराना सम्बन्ध है। हम इन सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाते रहेगें। जब भी आइटीएफटीयू से सम्बद्ध संगठन हमें न्यौता देते हैं, हम उनकी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। एक सही समझ बनाने के लिए मतभेदों पर बातचीत जरूरी है।

अमरीकी श्रमिक संघों के केन्द्र एएफएलसीआइओ के एक धड़े ने इस नये संगठन की नीतियों का विरोध किया है और वे हमसे बिरादराना सम्बन्ध बनाए हुए हैं। हम भी उनसे पूरा सहयोग करते है और इससे हमें काफी लाभ पहुंच रहा है। 'सदर्न इनीशिएटिव आन ग्लोबलाईजेशन एण्ड टीयू राइट्स (सिगटूर) में ऑस्ट्रेलियन कांउसिल आफ ट्रेड यूनियन्स के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध बने हुए है। और हम उन्हें और मजबूत बनाने की कोशिश में है।

सोवियत संघ व पूर्वी युरोप में समाजवाद के तोड़े जाने के बाद से डब्लूएफटीयू काफी कमजोर पड़ गया है। पहले तो इसके पास 650 लोग काम करते थे। मगर फिर उन्होने वर्ग संघर्ष और सामाजिक बदलाव की नीतियां ही छोड़ दी। अपने केन्द्र को चलाने में ही उन्हें आर्थिक कठिनाई होने लगी। संगठन की सारी सम्पत्तियों को टीयूआइ ट्रांस्पोर्ट के महामंत्री ने हड़प लिया

मगर क्यूबा के श्रमिक संघों की पहल पर डबलूएफटीयू को नऐ सिरे से जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ है। सन 2005 में हुए हवाना सम्मेलन को रुझान पहले के सम्मेलनों से अलग था। नव निर्वाचित महासचिव ने संगठन में नई जान डालने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए है। पिछले साल 20–21 दिसम्बर को ब्रसेल्स में हुई अध्यक्षीय परिषद की बैठक में सीआइटीयू को भी आमंत्रित किया गया। 21वी सदी में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के सामने खड़ी चुनौतियॉं के बारे मे हमने अपनी समझ वहां रखीं। डबलूएफटीयू के महामंत्री के न्यौते पर सीआइटीयू का एक प्रतिनिधिमण्डल एथेन्स जाएगा जहॉं उसका नया मुख्यालय बनाया गया है। वहीं आगे सहयोग की दिशा पर चर्चा होगी।

डबलूएफटीयू की किसी भी विकसित पूंजीवादी देश में सम्बद्ध यूनियन नहीं है। आर्थिक साधनों की कमी से काम काज में अभी तक रुकावटें आ रही है मगर संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए नये नेतृत्व द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

सीआइटीयू का मानना है कि हालांकि निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं है मगर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर एक जुट कार्यवाहियां करना सम्भव है ताकि नीचे से एकता विकसित हो सके।

हमारे प्रयासों के फलस्वरूप, फरवरी में कोलकाता में खदान मजदूरों के संगठनों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धता वाली सभी यूनियनों के अलावा बिना किसी संबद्धता के यूनियनें भी शामिल होंगी। और आम सहमति से नीतियां तय कर जाएंगी। इस प्रकार की उद्योग स्तरीय एकता भी विश्व स्तर की व्यापक एकता का रास्ता तैयार करेगी।

भूमण्डलीयकरण ने पूंजीपति वर्ग को तो इकट्ठा कर दिया है मगर मजदूर वर्ग अभी भी बटा हुआ है और दुनिया के स्तर पर संघर्ष की कोई स्पष्ट नीति अभी तक बन नहीं पाई है। सीआइटीयू का यह 12वां महाधिवेशन, इन पहलुओं पर भी विचार विमर्श करेगा ताकि अंतराष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में हम ज्यादा कारगर भूमिका अदा कर पाएं।

इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बडी संख्या में विदेशी बिरादराना प्रतिनिधि आए हैं। उनका स्वागत करते हुए हम अत्यधिक सम्मान महसूस करते हैं। आइए, हम इन प्रतिनिधियों को आश्वासन दें कि भविष्य में मित्रता

के रिश्तों को मजबूत करने के लिए सीआइटीयू कृत्र संकल्प है। बिना विश्व स्तरीय एकता के मजदूर वर्ग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता।

व्यापक वर्ग संघर्ष की ओर आगे बढ़ो

पिछले अढ़ाई सालों में यूपीए सरकार का काम, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किये गए अधिकांश वायदों के सरेआम उल्लंघनों का कच्चा चिट्ठा है। मेहनतकश जनता के काम और जिन्दगी के हालात काफी बिगड़ गए है मगर पूंजीवादी वर्ग यूपीए सरकार द्वारा दी गई रियायतों से मजे लूट रहा है। सैंसेक्स का 14000 अकों की ऊंचाई से आगे निकल जाना और कई निजी कम्पनियों द्वारा एक साल में ही महालाभ कमाना इस कठोर सच्चाई का लक्षण है। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लागू की जा रहीं भूमण्डलीयकरण की नीतियों ने मजदूर वर्ग के शोषण की रफ्तार और तेज कर दी है। किसानों और खेतिहर श्रमिकों के हालात भी बदतर हो गए हैं। यूपीए शासन के दौरान सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं जिसे हमारे देश के सबसे गरीब तबकों की पीड़ा बढ़ती जा रही है।

ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून पारित होने के बावजूद देश के गावों और शहरों दोनों में ही बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। रोजगार की तलाश में निकलने वाली युवा पीढ़ी के बीच घोर निराशा फैल रही है। भारत के विशाल जन समुदाय की जिन्दगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ढह जाने से अंधकारमय हो गई है। शिक्षा व्यवस्था के व्यवसायीकरण के कारण आम आदमी के लिए उच्च शिक्षा पाना एक सपना बनकर रह गया है। हालांकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है मगर सरकारी आकड़ों में हेराफेरी करके यह दिखाया जा रहा है कि गरीबी घट रही है। सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने से अपने आप गरीबी कम नहीं हो जाती मगर भूमण्डलीयकरण की तथाकथित उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने के लिए, इस कटु सत्य को भुला दिया गया है।

स्वाभाविक है कि मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के बीच असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल 14 दिसम्बर को हुई हड़ताल के विशाल सफलता से देश में उभरते हालात की जीती जागती मिसाल है। देश के मजदूर वर्ग में एकता की प्रबल इच्छा बहुत बढ़ चुकी है। इसका सबूत इस बात मे दिख रहा था कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हड़ताल–विरोधी संगठनों में शामिल मजदूरों के बड़े तबकों ने भी उत्साह से भाग लिया था।

देश भर में पैदा हुए सकारात्मक माहौल का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। हालांकि ऐसे कुछ धुधंले मामले हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मगर नीचे से एकता बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करना जरूरी है ताकि पूरे मजदूर वर्ग की एकता बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ते चले जाएं।

यह भी जरूरी है कि मजदूर वर्ग और किसानों के सांझा संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा प्रतिरोध इतना ताकतवर हो जाए कि शासक वर्ग भी इसे नजर अंदाज न कर पाए। हमारे देश की वस्तुगत परिस्थिति इस नजरिए के लिए अत्याधिक सकारात्मक है।

मौजूदा हालात यह मांग कर रहे है कि मजदूर वर्ग तमाम मेहनतकश जनता अहम हितों के संरक्षक के रूप में उभरे ताकि भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्षों में वह एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। इसी नजरिए के तहत हमें महिलाओं, छात्रों व नौजवानों के आंदोलनों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करना है, सांस्कृतिक कार्यकर्त्ताओं व वैज्ञानिकों के साथ रिस्ते बढ़ाने है ताकि हमारा संघर्ष हर तबके को छुए। इसके लिए हमें जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को मजबूत करना है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मजदूर वर्ग का बहुमत हिस्सा अभी भी पूंजीवादी व सामंती विचार धाराओं के प्रभाव में है। शोषक वर्ग के खिलाफ राजनैतिक संघर्ष में मजदूर वर्ग का उतारने के लिए इन विचार धाराओं के खिलाफ संघर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

जब पूरी दुनिया में भूमण्डलीयकरण के खिलाफ संघर्ष आगे बढ़ रहे हैं तब यूपीए सरकार अमरीकी साम्राज्यवाद के दुनिया पर कब्जा करने के मनसूबों के सामने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का समर्पण करके उन्हें अनेक रियायतें दे रही है। उसकी ये कार्रवाईयां हमारे देश को विदेशी पूंजी का गुलाम बना देंगी। यह पूंजी मारत में विकास के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए लगाई जा रही है।

मौजूदा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सीआइटीयू का ऐसा मजबूत संगठन बनाना है जो मजदूर वर्ग को न केवल रोजमर्रा के संघर्ष में बल्कि सामाजिक बदलाव के संघर्ष में भी कारगर नेतृत्व दे सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह 12 वां सम्मेलन वर्तमान चुनौतियों के हर पहलू पर विचार करके हालात से निबटने के असरदार तरीके तय करेगा।

नव उदारवादी भूमण्डलीयकरण के रूप चल रहा पूंजीवादी विकास का मौजूदा दौर लम्बे समय तक बरकरार नहीं रह सकता। पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता, इजारेदार पूंजी के हथकण्डों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। मजदूर वर्ग को हमें यह विश्वास दिलाना चाहिए ताकि वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका को दृढ़ता से पूरा कर सके।

पूंजीवादी व्यवस्था का पतन तय है। उसकी कब्र खोदने वालों को हमें तैयार करना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें।

हम होंगे कामयाब एक दिन!
मज़दूर वर्ग की एकता जिंदाबाद!
पूंजीवादी भूमण्डलीयकरण मुर्दाबाद!
सीआइटीयू जिंदाबाद!
दुनिया भर क मज़दूर एक हो।

एम. के. पन्धे
अध्यक्ष

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

सीआइटीयू के दिसम्बर 2003 में सम्पन्न महाधिवेशन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिनका हमारे देश के मजदूर वर्ग और मजदूर आन्दोलन पर दूरगामी असर पड़ेगा। ये बदलाव जहां एक ओर बहुत से अवसर लेकर आए हैं वहीं दूसरी ओर अनेकों चुनौतियां भी साथ लाए हैं। हमें इन पर बहुत गहराई से विचार करना होगा ताकि हम मजदूर वर्ग के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलता से मुकाबला कर सकें।

पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में मजदूर आंदोलन और जनवादी आंदोलन के कई नेतृत्वकारी साथी दिवंगत हो गए हैं जिनका देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान मजदूर आन्दोलन और जनवादी आन्दोलन के कई साथी, शोषण के खिलाफ संघर्षों के दौरान और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, हम अपने बहादुर साथियों को दिल की गहराईयों से याद करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।

2. अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थितियां

इस महाधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य और बदलती परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

इस दौर में अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने देखा है कि अमरीकी प्रशासन के नेतश्त्व में साम्राज्यवादी शक्तियों ने बहुत ही कपटपूर्ण ढंग से और विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के कुत्सित इरादे से विकासशील देशों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य मोर्चों पर यह भी देखा है कि :–

- मध्य एशिया में अमरीका और उसके सहयोगी साम्राज्यवादियों द्वारा की

गयी हमलावर कार्यवाहियों के खिलाफ जनता ने अपनी आवाज जोरदार ढंग से बुलंद की है।

¤ साम्राज्यवादी देशों सहित विश्व के अनेक क्षेत्रों में भारी जन समूहों ने, इन हमलों के खिलाफ आगे आकर अपनी आवाज बुलन्द की है।

¤ यूरोपीय संघ सहित पूरी दुनियाँ में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ हड़ताली कार्यवाहियों में भारी वृद्धि हुई है।

¤ लैटिन अमरीकी देशों में वामपंथी शक्तियों के पक्ष में भारी राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं, और अंत में

¤ अमरीकी सीनेट के चुनावों में राष्ट्रपति बुश की पार्टी की पराजय हुई है।

3. राष्ट्रीय परिस्थितियां:

सीआइटीयू के 11वें महाधिवेशन में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया था कि "सरकार की प्रतिगामी नीतियों के विरुद्ध आक्रामक जन आंदोलन के लिए अथक प्रयास करते हुए, हमें साम्प्रदायिकता और जनता की एकता को तोड़ने एवं उसका ध्यान बांटने के इरादे से, शासक वर्गों द्वारा फैलाई गई विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाना होगा। यह काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी जनविरोधी नीतियों कारण जनता से कट चुकी भाजपा स्वयं को पुनः सत्ता में बनाए रखने के इरादे से आक्रामक साम्प्रदायिकता को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। और यदि हम वास्तव में, आम जनता एवं मजदूर वर्ग को संगठित करते हुए, जन आन्दोलन को साम्राज्यवादी एवं पूँजीवादी ताकतों के खिलाफ असरदार ढ़ंग से सक्रिय करते हुए सही दिशा देना चाहते हैं तो सत्ता पर काबिज इन साम्प्रदायिक ताकतों के खतरनाक खेल का मजबूती से लगातार मुकाबला करना ही होगा।" देखा जाए तो हमारे 11वें महाधिवेशन का संदेश संक्षेप में यह था कि हमें एक ओर सत्ता पर काबिज साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करके सत्ता से बाहर फैंकना होगा, तो दूसरी ओर साम्राज्यवादी एवं नव उदारवादी नीतियों के विरुद्ध लड़ाकू ताकतों को मजबूत करना होगा।

संतोषपूर्वक कहा जा सकता है कि 11वें महाधिवेशन के बाद, हम एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करने में सफल हुए हैं। देश की शासक

शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन करने में, देश के मजदूर आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी का परिणाम है कि यूपीए सरकार केन्द्र की सत्ता में आई जो नव उदारवादी नीतियों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष चलाने वाली वामपंथी शक्तियों पर ही निर्भर है।

जुलाई 2004 में नासिक में आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल बैठक में, चुनावों के बाद के परिदृश्य में सीआइटीयू के समक्ष मौजूद काम को रेखांकित करते हुए कहा गया था कि "एनडीए सरकार की करारी हार ने मजदूर वर्ग में बहुत ऊंची आकांक्षाएं पैदा कर दी हैं, जो उसके शासनकाल में अपने अधिकारों और रोजी–रोटी पर आयद घातक हमलों के विरुद्ध जमकर लड़ता रहा। ये आकांक्षाएं स्पष्ट रूप से मांग करती हैं कि सघन अभियान और सक्रियता के द्वारा जनवादी अधिकारों का विस्तार करते हुए, सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता के हित में मोड़ने के लिए काम करना होगा, अन्यथा हौंसले पस्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता और जो सत्ता पर काबिज होने की ताक में बैठी साम्प्रदायिक शक्तियों को ही मजबूत करने में ही सहायक होगी। मजदूर वर्ग की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता को इस दिशा में संगठित करके आन्दोलन को मजबूत करे और उसका राजनैतिक दायित्व है कि साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करते हुए, जनता के हित में काम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते वामपक्ष को मजबूती प्रदान करे। जमीनी स्तर पर मजदूर वर्ग की सक्रियता ही सरकार की नीतियों के विरुद्ध वामपंथ के हस्तक्षेप को प्रभावशाली बना सकता है। ऐसे हस्तक्षेप ही साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग करते हुए देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए अति महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है।"

उपरोक्त समझदारी के तहत, 11वें महाधिवेशन के बाद के दौर के हालातों और अपनी सक्रियता के असर पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यूपीए सरकार के वर्ग चरित्र के बारे में तथा एकता और संघर्ष के द्वारा, सरकार की नव–उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने के अपने दायित्व के बारे में हमें कोई भ्रम नहीं है।

पिछले अढ़ाई साल का अनुभव बताता है कि विशेष रूप से आर्थिक व विदेश नीति के मामले में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी उन्हीं नीतियों का पालन कर रही है, जिन पर एनडीए सरकार चल रही थी।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह जोड़ा गया था कि "पुरानी परम्परा

के अनुसार ही स्वतंत्र विदेश नीति को ही अपनाया जाएगा।" और "एक ध्रुवीय दुनिया का विरोध करते हुए, विश्व सम्बन्धों को बहुध्रुवीय बनाने का काम करना होगा"। परन्तु इस समझदारी के विरुद्ध जाकर, तेजी से बदलते अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिपेक्ष में, यूपीए सरकार का झुकाव साफ तौर पर, आक्रामक अमरीकी साम्राज्यवाद के पक्ष में है। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में ईरान के परमाणु मसले पर भारत सरकार ने अमरीकी साम्रज्यवाद का ही समर्थन किया है। उसने एनडीए सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए, 10 वर्षीय सैन्य समझौते के माध्यम से 'रणनीतिक सहयोग' जारी रखा है और अमरीका के पक्ष में निहायत ही गैर जरूरी आणविक समझौता किया है। इस तरह गुटनिरपेक्ष नीति से दूर जाते हुए अमरीकी साम्राज्यवादी गुट के पक्ष में अनावश्यक झुकाव है, और यदि विदेश नीति के मोर्चे पर इस रूख को, बिना प्रभावी विरोध के ही जारी रहने दिया जाता है तो इसका प्रभाव आन्तरिक राजनीति और अर्थनीति पर भी निश्चित रूप से होगा।

4. वामपंथ और वाम जनवादी मोर्चे की सरकारों की भूमिका:

इस संदर्भ में वामपंथ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की, वाम एवं जनवादी मोर्चे की सरकारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझना होगा। याद रखना होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था की नव–उदारीकरण की नीतियों के अंर्तगत वर्तमान साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों के ढांचे में काम करने की इन सरकारों की अपनी सीमाएं हैं। एक समान संघीय ढांचे में रहते हुए, एक राज्य सरकार के रूप में, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को देय धन के उपयोग के मामले में थोपी गयी नव–उदारीकरण की नीतियों की सीमाओं में ही काम करना पड़ता है। फिर भी ये राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से तथा अर्थनीति के मामले में लोकतांत्रिक ढंग अपनाते हुए, अपनी जनता के अधिकारों के पक्ष में काम कर रही हैं। भारत सरकार के साम्राज्यवाद की ओर झुकाव का इन राज्यों की जनता ने जोरदार विरोध किया है, और वामपंथी नेतश्त्व वाली सरकारों ने विदेश नीति के इस भटकाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की है। अर्थनीति के मोर्चे पर भी इन राज्य सरकारों का गम्भीर प्रयास है कि विकास का लाभ आम आदमी तक पहुँचे ताकि वो अपने जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बना सके। ये राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन करके मजदूरों के अधिकारों में कटौती के प्रयासों का भी विरोध करती हैं। जहां एक ओर केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाने में टालम टोल कर रही

है, वहीं पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार अपने राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं कृषि मजदूरों के लिए पीएफ/सामाजिक सुरक्षा लागू कर भी चुकी है। इस सरकार ने राज्य के बन्द कारखानों के मजदूरों को भी कुछ राहत दी है, जबकि केन्द्र सरकार और कांग्रेस एवं भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के अंधानुकरण में ये राज्य सरकारें आड़े भी आ रही हैं।

हमें देश में मजदूर और जनवादी आंदोलन के संदर्भ में वाम पक्ष के नेतृत्व में चलने वाली इन सरकारों की मौजूदगी के प्रभाव का सही आंकलन करना होगा। याद रहे कि भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार ने ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी मागों के लिए हड़ताल करने का अधिकार दिया। वाम मोर्चा सरकार ने ही यह सुनिश्चित किया कि औद्योगिक विवाद के दौरान पुलिस मालिकों के पक्ष में दखलन्दाजी नहीं करे। देशी–विदेशी प्रचार माध्यमों और वाम विरोधी व्यक्तियों और एजेन्सियों ने वामपंथ और वामपंथी सरकारों को बदनाम करने की सोची–समझी कोशिशों को गम्भीरता से लेना होगा। वामपंथ और वामपंथी सरकारों के विरोध में चलने वाले अभियानों के खिलाफ मुहिम चलाकर, वामपंथ और उसके नेतश्त्व वाली सरकारों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग को ही आगे आना होगा।

5. आर्थिक नीति के मुद्दे

पिछले महाधिवेशन के बाद हम ने देखा है कि यूपीए सरकार भी एनडीए के दौर में लागू नीतियों को ही जारी रखे हुए है, कुछ मामलों में तो इसने और भी अधिक जोरदार ढंग से इन नीतियों को लागू किया है और इस मामले में उसने अपनी गति तेज कर ली है। उसकी ओर से पेश किया गया एक के बाद दूसरा बजट इसी प्रतिगामी रुझान को प्रतिबिम्बित करता है। मजदूर आंदोलन और जन संगठनों के तेज होते संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में वामपंथी दलों के दबाव के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम वजूद में आया है। इस कानून में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन काम देने का प्रावधान है, परन्तु शुरूआती दौर में यह सिर्फ 200 जिलों में ही लागू किया गया है, इस घोषणा के साथ कि यह अगले 5 वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। परन्तु राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषित कई अन्य जन हितकारी वायदे अभी भी लागू नहीं किए गए हैं, अलबत्ता आर्थिक सुधारों की आड़ में, यूपीए सरकार कुछ चुने हुए क्षेत्रों में देशी–विदेशी बड़े पूंजीपतियों पर अनेक रियायतें लुटा रही है।

उदारवादी नीतियों को जारी रखते हुए, खाद्यान्न और कृषि उत्पाद सहित आयात को उदार बना दिया है, और आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। कृषि लागतों में भारी मूल्य वृद्धि और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का पालन करने का ही परिणाम है कि कृषि संकट दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। देशी कृषि उत्पाद बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे है और खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से कम होता जा रहा है; पूरी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा का गम्भीर संकट बढ़ता ही जा रहा है; अन्ततः ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गरीबी और बेराजगारी में भारी बढ़ोत्तरी कर रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ और आन्ध्र प्रदेश के किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं में लगातार वशद्धि समस्या की गहरायी को साफ तौर पर दिखाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को दी गयी खाद्यान्न खरीद की इजाजत देने से, इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े देशी कॉरपोरेटस् के आने की संभावना हो गयी है। साथ ही साथ समर्थन मूल्य की घोषणा करने में देरी करके और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बंद करके एफसीआइ की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से निजी व्यापारियों को एफसीआइ पर हावी होने का अवसर दिया गया है। नतीजतन एफसीआई के द्वारा खाद्यान्न खरीद में भारी गिरावट आयी है। इस तरह से एफसीआइ को समाप्त करके निजी व्यापारियों को खुलकर खेलने की भूमिका तैयार कर ली गयी है। दूसरी ओर देशी खरीद के दौरान, किसानों को दिए गए मूल्य से कहीं बहुत अधिक मूल्य पर, लाखों टन गेहूं का आयात किया गया है। यह सब खाद्यान्न उत्पादक किसान और उपभोक्ता दोनों को निजी व्यापारियों की अधिकाधिक मुनाफा कमाने की राक्षसी भूख के हवाले करने के इरादे से किया गया है। अन्ततः खाद्यान्न बाजार पर निजी व्यापारियों का ही कब्जा हो जाएगा।

हमें इस पृष्ठभूमि में सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी होते चले जाने के कारण पैदा हुई इस स्थिति का विश्लेषण करना होगा। पिछले डेढ़ वर्ष में मूल्यों में लगातार उतार–चढ़ाव आते रहे हैं और उनमें बढ़ोतरी का चक्कर चलता रहा है। लगातार मूल्य वृद्धि होने से एक विशेष तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तीखी बढ़ोतरी ने सभी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों पर प्रपाती दुष्प्रभाव डाला है। अनाजों, दालों तथा दूसरे पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के परिणामस्वरूप मूल्यों की सामान्य स्तर पर बहुआयामी दुष्प्रभाव

डाला है। इसके चलते जन साधारण की हालत बद से बदतर हो गई है। अनाज व्यापार और खरीद के उदारीकरण और नैगमकरण; अधिकांश जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में वादा व्यापार की अनुमति दिए जाने के कारण मूल्य स्थिति बदतर हुई है और इस स्थिति में बदलाव लाना लगभग असम्भव है। वित्त मंत्री का यह तर्क देना कि अर्थव्यवस्था के जरूरत से ज्यादा गर्मी पकड़ लेने के कारण मुद्रास्फीति की आग भड़की है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश ही है। सरकार की ओर से बुनियादी उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कीमत पर बड़े व्यापारियों और उनके बिचौलियों को मोटे लाभ कमाने के लिए अवसर देने की जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, यह मूल्य वंशद्धि उन्हीं कोशिशों का परिणाम है।

विशेष आर्थिक अंचलों सम्बन्धी (SEZ) अधिनियम को पारित करके निजी क्षेत्र के डिवेल्पर्स जो इन अंचलों में काम करेंगे, के लिए कर–मुक्त सत्ता की स्थापना कर दी गई है और उनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं होगी। विशेष आर्थिक अंचल (SEZ) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, विशेष आर्थिक अंचलों (SEZ) में कार्यरत मजदूरों को बुनियादी श्रम कानूनों के अर्न्तगत हासिल संरक्षण एवं अधिकार को पूरी तरह से नकारना ही है। इन विशेष आर्थिक अंचलों (SEZ) के लिए अधिग्रहण की जाने वाली कृषि योग्य भूमि के मालिक किसानों को उचित मुआवजे के भुगतान और पुर्नवास की व्यवस्था से भी वंचित रखा जाएगा। इस तरीके से यह नव–उदारवादी ढांचे के अर्न्तगत तथाकथित विकास विस्थापन का पर्याय ही सिद्ध होगा।

"प्रभावशाली और सक्षम" बनाने के नाम पर, वित्त क्षेत्र को अनियंत्रित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के नियंत्रण को लगभग समाप्त करने और निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी पूँजी के नियंत्रण में देने के इरादे से संसद में दो विधेयक पेश भी किए जा चुके हैं। यदि ये विधेयक पास हो गए तो देश की आर्थिक स्वायत्ता पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। रक्षा उत्पादन जैसे संवेदनशील एवं सामरिक महत्त्व के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कमजोर करने के लिए, इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और देशी निजी कम्पनियों को घुसाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जैसे टेलीकॉम, बन्दरगाह, हवाई अड्डा आदि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विस्तार एवं मजबूत करने की समुचित तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता, हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के पास होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कम्पनियों का विनिवेश नहीं किया जा सकता इसलिए यूपीए सरकार नवरत्न कम्पनी की परिभाषा को ही बदलने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कम्पनी की कार्य निष्पादन क्षमता को शेयर बाजार में इस कम्पनी के शेयरों के मूल्य के बढ़ने से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि कम्पनी को शेयर बाजार की हेराफेरी के माफिक बनाया जा सके।

सरकार रक्षा उत्पादन के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योग की इकाईयों और असला कारखानों के मामले में केलकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहती है। वह असला कारखानों का नैगमकरण करके तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय की दूसरी सार्वजनिक कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने जैसे तमाम प्रयास कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्ततः रक्षा उत्पादन के क्षेत्र गें विदेशी कम्पनियों सहित निजी क्षेत्र के प्रवेश को आसान बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र–निजी क्षेत्र की भागीदारी के नाम पर तथा दूसरे संदेहजनक तरीकों से कुछ और क्षेत्रों में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी, अर्थात् (Public Private Partnership) के नाम पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी बहुत ही महत्त्वपूर्ण जन सेवाओं का पहले ही निजीकरण किया जा चुका है। जन उपयोगी सेवाओं में (PPP) जैसे रास्ते को अपनाने का सीधा अर्थ यह है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अपनी भुगतान क्षमता कम होने के कारण इन सेवाओ से वंचित रहे और निजी कम्पनियां आए दिन, इन सेवाओं के मूल्यों में मनचाही वृद्धि करके भारी मुनाफा बटोर सकें। ऐसी विनाशकारी प्रवशत्तियों के और भी कई उदाहरण मौजूद हैं।

एनडीए सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्तमान सरकार पेन्शन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश लेकर आई है। यह प्रयास सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी तरह की पेन्शनों को 'परिभाषित लाभ' की धारणा से 'परिभाषित योगदान' की धारणा में बदलने के लिए किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मजदूरों और कर्मचारियों से प्राप्त फण्डों को वापसी के लिए अनिश्चितता से भरे शेयर बाजार में ले जाना चाहती है। इस तरह का प्रयास अन्ततः सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को निजी हाथों में सौपने की कोशिश ही कहा जा सकता है।

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खतरे बहुत ही व्यापक हैं। अनेक विदेशी व्यापारिक कम्पनियां संयुक्त उद्यम के द्वारा अथवा भारतीयों के साथ

आपूर्ति के अनुबन्धों का सहारा लेकर पहले ही खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश पाने की कोशिशों में हैं। विराट विदेशी व्यापारिक कम्पनियों और देशी निजी व्यापारियों को खाद्यान्न के व्यापार में प्रवेश की अनुमति देने का सीधा अर्थ यह है कि उनको खुदरा व्यापार में घुसने का रास्ता देना।

पिछले दो वर्ष से सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का राग अलापा जा रहा है। रोजगार विहीन विकास का सारा लाभ सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को ही मिल रहा है। इस तथाकथित 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के दौर में, 1980 के दौर के मुकाबले रोजगार के अवसर बहुत कम पैदा हुए हैं। जबकि उस दौर में औसतन विकास दर मात्र 4 से 5 प्रतिशत ही थी। इस विकास दर के दिखावे से अर्थ व्यवस्था में उभरते संकट पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। यह संकट, तेजी से बंद हो रही औद्योगिक इकाईयों, श्रमिकों के अस्थायीकरण और किसानों द्वारा की जा रही आत्म हत्याओं के रूप में स्पष्ट दिखने लगा है, और जनता के हितों की कीमत पर, सारा लाभ प्रभावशाली और अमीरों के हाथों में जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में अनपायी गई नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का अनुभव यह दिखाता है कि करोड़ों आम लोगों के हिस्से का धन कुछ थोड़े से पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। धन–सम्पत्ति के स्थानान्तरण की इस प्रक्रिया ने नयी सहस्राब्दि के दौरान अपनायी गई दूसरे दौर की नव–उदारीकरण की अर्थिक नीतियों के कारण जबरदस्त तेजी पकड़ ली है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के मामले में भारत विश्व के 177 देशों से 126$^{वें}$ स्थान पर ही है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 17 प्रतिशत भाग है किन्तु भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.35 प्रतिशत भाग ही स्वास्थ्य पर खर्च करती है। इसके विपरीत विश्व में असमय काल का ग्रास बनने वाले बच्चों में से 23 प्रतिशत अर्थात् वर्ष में 50 लाख बच्चे भारत के होते हैं। 20 प्रतिशत माताएं बच्चों को जन्म देते समय दम तोड़ देती हैं तथा 68 प्रतिशत लोग कोढ़ एवं 30 प्रतिशत तपेदिक से पीड़ित हैं (10वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज जिल्द–दो के अनुसार) शुद्ध पीने योग्य पानी और सफाई के लिए सरकार (केन्द्र व राज्य दोनों सरकारों) का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2 प्रतिशत ही हैं। हमारे देश की एक तिहाई आबादी अनपढ़ है और 50 प्रतिशत बच्चे 8वीं कक्षा में पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। आम आदमी की इतनी बदतर हालात के बावजूद भी, 11$^{वीं}$ योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह दावा किया गया है कि "औसत आदमी आर्थिक सुधारों से लाभान्वित हुआ है।"

वर्ष 1990 और 2002 के दौरान विश्व स्तर पर गरीबी में थोड़ी सी कमी आयी है। यह थोड़ा सा अन्तर भी चीन के कारण है जहां विश्व बैंक की सुझाई गई नीतियों की बजाए, जनहितकारी वैकल्पिक नीतियां अपनाने के कारण करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सका है। वर्ष 2006 की संयुक्त राष्ट्र की विश्व सहस्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2002 में भारत की श्रमिक जनता का 31.2 प्रतिशत दक्षिण एशिया की श्रमिक जनता के समान, एक डालर से भी कम प्रति दिन के वेतन पर गुजार: करने के लिए मजबूर है। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में कमी आने की दर भारत की 8.2 प्रतिशत के मुकाबले चीन में 19 प्रतिशत रही है।

जनगणना रिपोर्टों के अनुसार बेराजगारों की संख्या वर्ष 1991 में 1 करोड़ 38 लाख से बढ़कर 2001 में 4 करोड़ 52 लाख हो गई है अर्थात् पिछले 10 वर्षों में ही बेरोजगारी तीन गुना बढ़ी है। उसके बाद की एनएसएसओ (National Sample Srvey Organisation) की रिपोर्ट के अनुसार बेराजगारी और गरीबी के आँकड़े बहुत ही खतरनाक स्थिति बयान करते हैं। सभी आर्थिक मानदण्ड गरीबी और गैर बराबरी के लगातार बढ़ते जाने की ओर ही इशारा करते हैं। और यह सभी अर्थव्यवस्था के अस्थिर होने के ही लक्षण हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीयकरण की नीतियां गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में पूरी तरह से असफल ही रही हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में संकट की नयी लहर इन्हीं गहराते संकटों का परिणाम है। "भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बनता जा रहा है" के बड़े–बड़े दावों के साथ आर्थिक सुधारों की वकालत और प्रचार किए जाने के बावजूद बड़े व्यापक स्तर पर आम जनता का मोह भंग हुआ है। मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों ने भी इन नीतियों के खतरों को समझने में मदद की है। वर्तमान हालात की यह मांग है कि जनता के हर वर्ग को लामबन्द करके, जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन संघर्षों को विस्तारित करते हुए लगातार तेज किया जाय।

6. व्यापार ढांचे में परिवर्तन

हमें यह भी समझना होगा कि नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की इस व्यवस्था द्वारा व्यापार के ढांचे में बदलाव लाया गया जहां अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का अर्थव्यवस्था के संचालन में बर्चस्व स्थापित हो गया है। इसी के चलते बाजार की प्रकृति में तेजी से बदलावा आता चला जा रहा है। इसने उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की सारी बनावट और ढांचे में कुछ ऐसे भारी बदलाव ला दिए हैं कि पुराने उद्योगों के साथ–साथ आम तौर पर श्रमिकों

के लिए स्थिति बहुत संकटपूर्ण बन गई है। इन बदलावों ने मुख्य रूप से उद्योग/व्यवसाय में उत्पादन सम्बन्धों और नियमन के ढांचे को बहुत अधिक क्षण भंगुर बना दिया है। कुल मिलाकर ये सभी परिवर्तन ऐसी दिशा में जा रहे हैं, जो रोजगार की गुणवत्ता और श्रमिकों पर बहुत ही गम्भीर प्रभाव डाल रहे हैं।

वित्तीय पूँजी के अत्यधिक प्रभाव ने बहुत से उद्योगों में तो व्यापार के स्वरूप को ही बदल दिया है। उत्पादन और विपणन को अलग–अलग कर दिया गया है। और उत्पादन को भी अनेक टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि उत्पादन में बड़े पैमाने पर एवं हर स्तर पर आऊट सोर्सिंग की जा सके। एक औद्योगिक संस्थान की जिन उत्पादन इकाईयों को, जिनमें बड़े पैमाने पर श्रमिको को रोजगार में लगे हुए है, अपना उत्पाद उसी संस्थान की विपणन इकाई को बाजार से भी कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि उत्पादन इकाई या तो घाटे में चलती है अथवा मुनाफा मामूली ही होता है, जबकि विपणन इकाईयां बहुत भारी मुनाफा कमाती है। संकट के नाम पर, उत्पादन इकाईयों में कार्यरत कामगारों को लाभ में अपने हिस्से और अधिकारों का बलिदान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उत्पादक शक्तियों की कमाई से अतिरिक्त लाभ बनाने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। और यह बहुत अधिक मुनाफे की कमाई व्यापारिक पुर्नगठन के नाम पर हो रही है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो दूरी बनती जाती है, क्योंकि उत्पादक का उत्पाद अन्ततः विपणन द्वारा बहुत ही सस्ते में लूट लिया जाता है जो अनाप–शनाप मुनाफा कमा रहे हैं और श्रमिक भी अपना हिस्सा बड़े पैमाने पर खो रहे हैं। परम्परागत उद्योगों जैसे चाय उद्योग और बहुत सी उपभोक्ता वस्तुऐं बनाने वाले उद्योगों में यह रवैया साफ तौर पर देखने को मिलता है। यह तरीका अर्न्तराष्ट्रीय पूंजी के तंत्र को और अधिक मजबूत कर रहा है, जो पूंजीवादी उत्पादन में वृद्धि करते हुए बड़े पैमाने पर श्रमिकों को विस्थापित करता है। बहुत से पुराने उद्योग, जो स्वयं को आधुनिक नहीं बना पाए और भारी–भरकम श्रमिकों को साथ लेकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके और अन्ततः समाप्त ही हो गए। यही वह तरीका है जिसे वित्तीय पूंजी, लाभ कामने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्रमिकों के लिए संकट पैदा रकने के लिए अपनाती है। कम वेतन और बेहद घटिया सेवा शर्तों के साथ सिर्फ अनौपचारिक क्षेत्र में ही कुछ रोजगार पैदा हो रहे है। नव उदारवादी नीतियों के तहत पूंजीवादी निजाम का यह सबसे खूंखार चेहरा है, जिसके खिलाफ हमें मजबूती से टकराना होगा।

7. श्रम अधिकारों पर हमला

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से मजदूर वर्ग के अस्तित्व पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। नई सदी में शुरू किए गए 'दूसरी पीढ़ी' के आर्थिक सुधारों को लागू करने के साथ ही नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की सत्ता ने अधिक प्रशासनिक, संस्थागत तथा वैचारिक रूप से स्वयं को और अधिक पुनर्गठित कर लिया है। इसके ढांचे को अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों ने बहुत ही सोची–समझी साजिश के तहत तैयार किया है। इन दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का मुख्य केन्द्र बिन्दु वित्तीय क्षेत्र को पूरी तरह से उदार बनाना, श्रम शक्ति को पूरी तरह से अस्थायी व ठेका मजदूर बनाने के इरादे से श्रम कानूनों को बदलना और व्यापार उद्योग को पूरी तरह से उदार एवं नियमन से मुक्त बनाना ही है।

उपरोक्त तीनों स्तम्भों का पूरा हमला श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके जीवन पर ही है। विशेष रूप से सारी प्रक्रिया पूँजीवाद के पक्ष में श्रम बाजार को मुक्त बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने पर केन्द्रित है, जो मजदूर वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को लागू किए जाने के बाद श्रम अधिकारों पर दो तरफा हमला किया जा रहा है। मसलन एक ओर वर्तमान कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है, तो दूसरी ओर नए उद्योगों को श्रम कानूनों के परिपालन से मुक्त रखने की बात की जा रही है। इस समझ के पीछे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा पूँजी निवेश आमंत्रित करने के अनुकूल वातावरण देने का तर्क दिया जाता है। इसके लिए श्रम कानूनों को लागू कराने वाली जांच मशीनरी को मृत प्रायः बना दिया गया और कुछ राज्यों में तो बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी किए गए हैं। और कुछ राज्यों में आंतरिक आदेश देकर इन्स्पेक्शन को दिखावटी बना दिया गया है। श्रम विभाग की, औद्योगिक विवाद निपटारा करने वाली मशीनरी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया है।

आज के औद्योगिक वातावरण में न्यूनतम् वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम आदि कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन एक रिवाज बन गया है। संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम का उल्लंघन सबसे ज्यादा हो रहा है, उसमें भी यह सर्वाधिक सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है।

इसके साथ–साथ इन्स्पेक्शन मशीनरी को समाप्त करके, केन्द्र सरकार एवं कुछ एक राज्य सरकारों ने एक नयी व्यवस्था लागू की है जिसके तहत मालिकों को श्रम कानूनों के परिपालन किए जाने के बारे में स्वयं ही प्रमाणित करके देना होता है। इस तरह का प्रयास मालिकों द्वारा वेतन भुगतान, श्रम अधिकारों, स्वास्थ्य और संरक्षा से सम्बन्धित श्रम कानूनों के परिपालन न करने से सम्बन्धित अपराध को बहुत ही हल्केपन से नजर अन्दाज करते हुए वैधानिकता प्रदान करना ही है। राजग सरकार ने ट्रेड यूनियनों के सख्त इतराजों को पूरी तरह से नजर अन्दाज करते हुए, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेशों) में "निश्चित अवधि का रोजगार वाला श्रमिक" नाम से श्रमिकों की एक नई श्रेणी और जोड़ दी। स्थायी कार्यों के अस्थायीकरण को संस्थागत स्वरूप देने के इरादे से ही ऐसा किया गया ताकि संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निधारित जिम्मेदारियों के परिपालन से बचा जा सके। केन्द्र में सरकार बदलने के बाद, श्रम मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए यह संसद में अधिसूचित किया जाएगा, परन्तु अभी तक भी इसे लागू नहीं किया गया है। अब यह निश्चित अवधि का रोजगार बेलगाम तरीके से सार्वजनिक उद्यमों सहित अनेकों उद्योगों में लागू किया जा रहा है। यह सब कुछ अपराध को कानूनी जामा पहनाने तथा अपराधी पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए ही किया जा रहा है।

श्रम कानूनों को तोड़ने के लिए उकसाने का काम सरकार द्वारा किए जाने के दो आयाम हैं। एक तो बुनियादी श्रम कानूनों के न पालन करने की इजाजत देना और इसके विरूद्ध संघर्ष करने के ट्रेड़ यूनियन अधिकारों में कटौती करना। जो न्यूनतम् वेतन कानून की परिधि में आने वाले, सामान्यतया 50 प्रतिशत से अधिक कामगारों को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम् वेतन के बराबर क्या उसके करीब–करीब का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गाँव, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और मुरादाबाद, पंजाब के लुधियाना और जालंधर, गुजरात के बड़ोदा, अहमदाबाद और सूरत, उड़ीसा के तलचर, झारखण्ड़ के रांची और बोकारो, आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम् सहित करीब करीब हर जगह यही कहानी मौजूद है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में तमाम औद्योगिक विवाद काम के घंटे, न्यूनतम् वेतन, बुनियादी अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान श्रम कानूनों के बारे में ही होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इन हालातों में श्रम कानूनों के परिपालन के बारे में मालिकों को स्वयं प्रमाणित करने की जिम्मदारी देने वाले सरकार में बैठे लोगों की

आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है।

दूसरा आयाम है, वर्तमान श्रम कानूनों को इस तरह से बदलने का प्रयास कि कानूनों का उल्लंघन और लागू न करने को वैधानिकता दी जा सके। इस पर श्रम कानूनों में किस तरह के परिवर्तन करने हैं, उन्हे भारत सरकार अन्तिम रूप दे चुकी है। दूसरे श्रम आयोग की रिपोर्ट को इन परिवर्तनों के लिए आधार बनाया गया है। देश की पूरी श्रम शक्ति को ठेका मजदूर बनाने और "हायर एण्ड फायर" की व्यवस्था के हवाले करने के इरादे से मुख्य रूप से औद्योगिक विवाद और संविदा श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियमों को इन परिवर्तनों का लक्ष्य बनाया गया है। ट्रेड़ यूनियन अधिनियम में पहले ही ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जिनके कारण ट्रेड़ यूनियन बनाना और उसे पंजीकृत कराना अधिक मुश्किल हो गया है और साथ ही साथ सम्बन्धित अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि तथ्यहीन आधार पर, कभी भी किसी भी यूनियन की पंजीयन समाप्त किया जा सके।

कार्यस्थल के अनौपचारीकरण और अस्थायीकरण का कोशिशें एक और अशुभ लक्षण है। पिछले 2–4 वर्षों के दौरान स्थायी कामगारों के साथ–साथ उसी जगह और उसी काम के लिए ठेका कामगारों को काफी बड़े पैमाने पर लगाने की प्रवृत्ति भी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में ही देखने में आयी है। समान काम करने के बावजूद भी ठेका मजदूरों को स्थायी मजदूरों के वेतन के दसवें भाग के बराबर वेतन दिया जा रहा है। यद्यपि कानूनों में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी प्रशासन के संरक्षण में ही लगभग पूरे देश में यह सब चल रहा है। विनर्माण में लगे पूरे निजी क्षेत्र में इस तरह की अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं। और ऐसा बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में भी हो रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा उत्पादन कार्य ही बड़ी संख्या में ठेकेदारों को आऊट–सोर्स किया जा रहा है। श्रम शक्ति से अधिकाधिक अतिरिक्त मूल्य पैदा कराने के लिए कार्य स्थल पर रोजगार के रिश्तों को एकदम से क्षण भंगुर बनाने की कोशिशें जारी हैं।

राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम के बावजूद भी यूपीए सरकार "हायर एण्ड फायर" की नीति की ओर बढ़ रही है। 2005–2006 की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए 'अन्दर और बाहर' की नीति की वकालत की गयी है। साथ ही साथ श्रम कानूनों को उस दिशा में बदलने की कोशिशें भी की जा रही है। सरकार ने संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी बिल पेश किया

जिसमें निवेशकों को श्रम कानूनों को लागू करने की बाध्यता से मुक्त रखने का प्रावधान है। इसके विरुद्ध मजदूर आन्दोलन के तीखे तेवरों और संसद के अन्दर वामपंथी दलों के जबरदस्त विरोध के दबाव में सरकार को इन प्रावधानों को वापस लेना पड़ा।

इस सदर्भ में श्रम बाजार को अनियमित करने के पक्ष में न्यायपालिका की बदलती हुई भूमिका को भी समझना होगा। यह समय की कसौटी पर जाँचा परखा तथ्य है कि न्यायपालिका राज सत्ता का ही एक अंग है। शासक वर्गों का हिस्सा होने के कारण, शासक वर्गों के हितों में काम करती है। उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद उच्चतम न्यायालय के श्रम सम्बन्धी मामलों में अनेक आदेश ऐसे हैं जो उपरोक्त सपाट सत्य को सिद्ध करते हैं। इन परिवर्तनों पर हम रांची में सम्पन्न हुई सीआइटीयू जनरल कौसिंल बैठक में चर्चा कर चुके हैं और इस महाधिवेशन में इस विषय पर आगे की चर्चा एक अलग कमिशन करेगा।

श्रम अधिकारों पर मंडराते खतरों में, सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बदला हुआ रूख एक और खतरा है। वर्तमान में देश की कुल श्रम शक्ति में से सिर्फ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही पीएफ, ईएसआइ, पेन्शन आदि के रूप में सामाजिक सुरक्षा के लाभ हासिल हैं। अब सरकार इन न्यूनतम एवं सीमित सामाजिक सुरक्षा को समाप्त करके अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेना चाहती है।

प्रशासनिक व्याज दरें को लगातार कम करते जाने के परिणाम स्वरूप छोटी बचतों और पीएफ पर ब्याज दरें लगातार घटती ही जा रही हैं।

हर आने वाली सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मगरमच्छ के आंसू तो बहाती है लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लाभ की कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई। तथ्य यह है कि देश की कुल श्रम शक्ति में 93 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं और सरकार वर्तमान योजनाओं के अर्न्तगत मिलने वाले लाभों में भी कटौती करना चाहती है।

एक ओर भयंकर तेजी से बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीती ने आम जनता के जीवन पर बहुत गम्भीर चोट मारी है, तो वहीं सरकार मूल्य सूचकांक की गणनाओं में हेरा–फेरी करने की मशक्कत में लगी हुई है। तमाम ट्रेड़ यूनियनों के भारी विरोध के बावजूद भी लेबर ब्यूरो शिमला ने 2001 को आधार वर्ष बनाकर मूल्य सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी कर दी है, जो मजदूरों के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। ट्रेड यूनियनों द्वारा

किए गए विरोध की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री को सूचकांक समीक्षा समिति के गठन के लिए सहमत होने पर मजबूर हो जाना पड़ा था। इस समिति में ट्रेड़ यूनियनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग स्वीकार कर ली गई है। लेकिन मूल्य सूचकांक की नई श्रृंख़ला को जारी रखा गया है। इसके फलस्वरूप लाखों–करोड़ों मजदूरों को मंहगाई भत्ते भुगतान में बहुत भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।

देश का अभिजात्य शासक वर्ग जिस उदारवादी आर्थिक नीतियों की वकालत करता है, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ही उपरोक्त सारी कार्यवाहियां की जा रही है। यह उदारवाद वर्तमान पूँजीवाद का सबसे खूंखार चेहरा है। पूँजीवादी व्यवस्था में ही काम करते हुए पिछली सदी के दौरान मजदूर वर्ग ने जो कुछ हासिल किया है, उसे पूँजीवाद अपने इन हमलों के माध्यम से छीन लेना चाहता है।

उदारवाद और पूंजीवाद के कट्टर समर्थक मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि श्रमिक अधिकारों को समाप्त करने की इन प्रतिगामी कार्रवाईयों से रोजगार अधिक अवसर पैदा होगें अथवा ट्रेड यूनियनों को समाप्त कर देने से अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश होगा। लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। जो लोग इस तरह के विचारों की वकालत करते हैं, वे या तो यह जानते ही नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्था किस तरह से काम करती है अथवा वे जान बूझकर कुत्सित इरादे से अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रगतिशील आन्दोलन और श्रमिक आन्दोलन का एक हिस्सा और यहाँ तक कि परम्परागत वामपंथ का एक छोटा हिस्सा भी इन घातक नीतियों के झाँसे में आ गया है।

8. संघर्षों के बारे में

हम गतिविधियों की रिपोर्ट अलग–से पेश कर रहे हैं। इसलिए हम विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में चली विभिन्न गतिविधियों और संघर्षों का विवरण इस रिपोर्ट में नहीं दे रहे हैं। हम इस दौरान हुए संघर्षों के कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर यहां केवल संक्षेप में टिप्पणी कर रहे हैं।

नव–उदारीकरण की इस सत्ता का विरोध पूरे विश्व में बढ़ता चला जा रहा है। पूरे विश्व में होने वाली घटनाएं इस सत्य को पुनः दोहरा रही हैं कि वर्ग संघर्ष ही परिवर्तन को संचालित करने वाली ताकत है और यह संघर्ष अनेक उतार–चढ़ावों से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा और तमाम तरह के शोषण व दमन का खात्मा करेगा। पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में

तृण मूल स्तर पर पूरे देश में अनेक संघर्ष चलाए गए और मजदूरों ने बहादुरी के साथ प्रशासन के अत्याचारों का सामना किया। अधिकांश संघर्ष श्रम कानूनों के पालन की मांग को लेकर किए गए किसी और मांग के लिए नहीं। इस प्रकार तथाकथित निवेशक समर्थक माहौल पैदा करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई श्रम कानूनों के उल्लघंन को बढ़ावा देने की नीति को चुनौती दी गई। और सीआइटीयू इस संघर्ष में सदा आगे की पंक्तियों में रहा है। महाधिवेशन के बाद सम्पन्न सीआइटीयू जनरल कौंसिल व कार्य समिति की बैठकों के आव्हान पर "राजसत्ता द्वारा प्रायोजित श्रम कानूनों के उल्लघंन" के मुद्दे को सभी गतिविधियों के केन्द्र में रखा गया और इन संघर्षो के माध्यम से बड़ी सीमा तक इन पर अमल किया जा सका।

एक तथ्य यह भी है कि 19 अगस्त 2006 को प्रधानमंत्री के साथ केन्द्रीय मजदूर संगठनों की बैठक में, सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों ने एक स्वर में यह मुद्दा उठाया था। स्वयं प्रधानमंत्री को इसे स्वीकार करना पड़ा था। उन्होंने इस प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ बात करने का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद वामपंथी सासंदों द्वारा श्रमिकों के कानूनी अधिकारों पर हमलों और श्रम कानूनों के उल्लंघन का यह मामला संसद में बहुत ही जोरदार ढंग से उठाया गया। और बहुत से गैर वामपंथी सांसदों ने भी उनका साथ दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्रम कानूनों के उल्लंघन के मसले पर चर्चा करने के लिए, केन्द्रीय श्रम मंत्री को राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ, केन्द्रीय मजदूर संगठनों की बैठक भी बुलानी पड़ी थी। जहां सरकार को श्रम कानूनों के उचित ढंग से लागू न किए जाने का मामला स्वीकार करके उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देना पड़ा। श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला सभी ट्रेड यूनियनों के लिए एक साझा मुद्दा है। इस प्रक्रिया के तहत, मालिकों के भारी विरोध और सरकार की झिझक के बावजूद भी, 2007 के शुरूआत में होने वाले 41वें श्रम सम्मेलन के एजण्डे में "हिंसा से बचने के लिए श्रम कानूनों के परिपालन को मजबूत करना" शामिल करना पड़ा है।

पिछले महाधिवेशन के बाद के समय में 24 फरवरी 2004, 29 सितम्बर 2005 और 14 दिसम्बर 2006 को तीन देशव्यापी हड़तालें हुई हैं। इन तीनों हड़तालों में, पहले के मुकाबले सभी क्षेत्रों के सर्वाधिक मजदूरों और आम जनता ने भाग लिया। इन सभी देशव्यवापी संयुक्त कार्यवाहियों में सीआइटीयू ने नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है।

पिछले समय में आंदोलन की अनेक उद्योगवार कार्यवाहियां भी हुई। इनमें से कोयला उद्योग के मजदूरों के द्वारा पहले तीन दिन, उसके बाद छह दिन

की हड़ताल और उससे पहले चलाए गए अभियानों के दबाव में सरकार को अपनी जिद छोड़कर, मजदूरों की मांग के अनुरूप मंहगाई की शत–प्रतिशत भरपाई के साथ 5 वर्षीय वेतन समझौते की मांग स्वीकार करनी पड़ी। दिल्ली व मुम्बई हवाई अड्डों के निजीकरण के विरोध में चले संघर्ष में सीआइटीयू ने अपनी भूमिका अदा की। इस संघर्ष के समर्थन में सीआइटीयू की राज्य समितियों द्वारा आयोजित विरोध की कार्यवाहियां भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बहुत से संघर्षों में से कुछ पश्चिम बंगाल के जूट व चाय बागान के मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, ट्रांसपोर्ट कामगारों द्वारा आन्ध्र प्रदेश, तमिलानाडु और हरियाणा में की गई हड़ताल, राज्य स्तरीय लामबन्दियां एवं केरल में धरना–घेराव, उड़ीसा में लौह अयस्क खदान मजदूरों की हड़ताल, हरियाणा के कताई मिलों के मजदूरों की दो बार की गई अनिश्चितकालीन हड़तालें आदि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं।

एक और उल्लेखनीय संघर्ष, जुलाई 2006 में 10 दिन तक आँगनवाड़ी कामगारों द्वारा संसद पर दिया गया धरना और क्रमिक भूख हड़ताल है। नियमित किए जाने, वेतन बढ़ोत्तरी और रिटायरमैन्ट लाभ लागू करने की मांगों को लेकर दिए गए उपरोक्त धरने में सभी राज्यों से लगभग 15 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायकों ने भाग लिया। इसने आँगनवाड़ी कर्मचारियों में जोश भर दिया है और हमारे आँगनवाड़ी फेडरेशन के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों के लिए एक कमैटी बनाने के लिए, सरकार पर असरदार दबाव भी बना है।

इस दौरान संघर्ष की कुछ महत्त्वपूर्ण संयुक्त कार्यवाहियां हुई जिनके कारण अस्थायी रूप से ही सही परन्तु सरकार को निजीकरण की मुहिम में अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। जब भारत सरकार ने नालको और नैवेली लिगनाईट का विनिवेश करने का निर्णय लिया तो, पहले नैवेली और फिर नालको कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल के दबाव में सरकार को विनिवेश का फैसला वापस लेना पड़ा। उल्लेखनीय बात यह है कि विनिवेश के खिलाफ इस उग्र कार्यवाही का फैसला कर्मचारियों और अफसरों के द्वारा एकदम जमीनी स्तर पर लिया गया, जो विनिवेश के विरूद्ध उनकी गहरी एवं स्वतः स्फूर्त भावनाओं की गहराई को स्पष्ट करता है। टेलीकॉम और बैंकिंग सैक्टर में भी इसी प्रकार की देशव्यापी कार्यवाहियां हुई हैं।

पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में अनेक संयुक्त संघर्ष देशव्यापी एवं उद्योगों के स्तर पर किए गए हैं। अन्य केन्द्रीय श्रम संगठनों एवं स्वतंत्र फैडरेशनों के साथ मिलकर संयुक्त संघर्ष चलाने के मामले में सीआइटीयू ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है।

इन संयुक्त संघर्षों को मुख्य रूप से सरकार की उदारवादी नीतियों तथा उनके दुष्परिणामों के विरोध में ही आयोजित किया गया। इन संघर्षों की तैयारी के स्तर पर संघर्ष किस तरह चलाया जाएगा और उसकी चरम परिणति क्या होगी इत्यादि के बारे में कोई निर्णय लेने के प्रश्न पर श्रमिक संघों के संयुक्त मंच के घटकों में जबरदस्त हिचकिचाहट देखने को मिली। यही नहीं, संयुक्त अभियानों और आंदोलन में स्पांसरिंग कमेटी के अनेक घटक श्रमिक संगठनों की भागीदारी औपचारिकता मात्र रही अथवा अनेक राज्यों में तो न के बराबर थी।

हमारे अभियानों और संयुक्त रूप से तय किए गए कार्यक्रमों में भी यह कमी देखने को मिली है। अनेक राज्यों तथा उद्योगों में दूसरी यूनियनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के मामले में हमारे भीतर पहलकदमी का अभाव रहा और इस मामले में हम एक समुचित दृष्टिकोण अपनाने में विफल रहे हैं। हमारा अनुभव यह बताता है कि हमारी स्वतंत्र गतिविधियों और उनके साथ–साथ संयुक्त कार्यक्रम चलाने के फलस्वरूप एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायता मिलती है जिसके चलते दूसरी यूनियनों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से संघर्ष की कार्रवाईयों में भाग लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है।

इस दौरान चलाए गए संघर्षों के अनुभव एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। सेवा योजकों और प्रशासन के गठबंधन ने पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ जबरदस्त दमन चक्र चला रखा है। इसे और अधिक समुचित ढंग से इस तरह कहा जा सकता है कि दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों का एक बहुत बड़ा घटक बन चुके हैं–विशेष तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में। ये श्रमिक उन क्षेत्रों में मालिकों एवं प्रशासन के गठबंधन की ओर से किए जाने वाले श्रम कानूनों के उल्लंघनों के खिलाफ संघर्षों की अगली पंक्तियों में शामिल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों से सम्बन्धित कानूनों का मालिक लोग बेखौफ होकर उल्लंघन करते हैं; उन्हें अपने खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होने का भय नहीं होता। इसके साथ ही निहित स्वार्थी तत्व जिनमें मालिकों के संगठन भी शामिल होते हैं, संघर्ष करने वाले इन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाएं भड़का कर वातावरण को जहरीला बना देते हैं। श्रमिक आंदोलन को बड़ी सावधानी के साथ इस स्थिति से निपटना होगा और सेवायोजकों अथवा मालिकों की श्रेणी की बर्बरता के खिलाफ चल रहे संघर्षों में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को एकजुट करते हुए प्रवासी श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों को ठीक ढंग से लागू कराने के लिए भी संघर्ष करना होगा।

9. जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच

हमने अपने पिछले महाधिवेशन में जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच (NPMO) को सक्रिय करने की योजना बनाई थी पर हम यह काम नहीं कर सके। जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच (NPMO) को सक्रिय बनाने के मामले में स्पांसरिंग कमेटी के कुछ घटक संगठनों इसका प्रतिकार कर रहे हैं। पिछले महाधिवेशन के बाद आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल एव कार्य समिति की बैठकों में हम ने उन जन संगठनों के साथ मिल कर जो हमारे साथ मित्रवत हैं, लोगों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर संयुक्त रूप से संघर्ष एवं लामबंदियां करने का मन बनाया था। परन्तु इस पर कुछ नहीं हो सका है, क्योंकि हम इस तरह की पहल की प्राथमिकता को ही समझ पाने में असफल रहे हैं। हम अपने दोस्ताना जन संगठनों को साथ लेकर चलने की योजना को, न सीआइटीयू केन्द्र और ना ही राज्यों के स्तर पर, एक–दो को छोड़ कर, हमारे एजण्डे में कोई जगह ही नहीं मिल सकी है। जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच (NPMO) जैसे मंच के महत्त्व एवं क्षमता को समझने में हमारी कमजोरी को ही दिखाता है। श्रमिक वर्ग सहित मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों के लोगों को एकजुट एवं लामबंद करने और शोषणकारी समाज व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करने के प्रति हमारा रुख औपचारिक और रस्म अदायगी वाला है; इससे यही पता चलता है। आने वाले समय में हमे अपनी इस गम्भीर कमजोरी को दूर करना ही होगा।

10 असंगठित क्षेत्र में हमारे कार्य

हम पहले ही यह समझ चुके है कि उदारवादी नीतियों के युग में संगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है और असंगठित क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हो रहा है। वर्ष 2004–2005 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश की कुल श्रम शक्ति का 92–93 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। रोजगार में संगठित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1980 में 9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004 में सिर्फ 7–8 ही रह गया है।

असंगठित क्षेत्र में हमारे काम में कुछ हद तक सुधार हुआ है और आज सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या का आधे से कुछ अधिक भाग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ही है। हड़ताल सहित सीआइटीयू की विभिन्न गतिविधियों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भागीदारी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। कर्नाटक, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सदस्य संख्या 70–80

प्रतिशत से कहीं अधिक है। अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों दौरान, सड़क व रेल जाम आयोजित करने, जिससे हड़ताल बहुत असरदार प्रतीत होती है, में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। मण्डियों में काम करने वाले मजदूर, सिर पर बोझा उठाने वाले, ऑटो ड्राईवरों के द्वारा इस तरह की हड़तालों के समय उन्हें और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं।

पिछले दौर में असंगठित क्षेत्र में अपने काम को तेज करने के लिए प्रयास किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित समन्वय समिति द्वारा अपना दूसरा सम्मेलन 3–4 अक्टूबर 2005 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में आयोजित किया गया। देश के 16–17 राज्यों से 345 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नई समन्वय समिति का चुनाव किया गया जिसके संयोजक कामरेड पी के गांगुली हैं। सीआइटीयू केन्द्र में का. पी के गांगुली, का. डब्ल्यू आर वरद राजन, का. रणजीत बसु और का. हेम लता को मिलाकर एक उप समिति बनाई गई है जो ऑल इण्डिया को–आर्डिनेशन कमेटी ऑफ अन–आर्गेनाईज़ड़ वर्कर्स के काम पर ध्यान देगी।

इस सम्मेलन ने एक मांग–पत्र पारित किया था जिसे लेकर दिल्ली में जंतर–मतंर पर 8 दिसम्बर 2005 को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद बाद समन्वय समिति ने मांग–पत्र विशेष रूप से समान वेतन, न्यूनतम् वेतन और असंगठित क्षेत्र के लिए एक मुकम्मल कानून बनाने को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था, इसकी परिणति दिसम्बर 2006 में देशव्यापी हड़ताल के रूप में होनी थी परन्तु स्पांसरिंग कमेटी द्वारा घोषित 14 दिसम्बर 06 की अखिल भारतीय हड़ताल के कारण इसे टाल देना पड़ा, लेकिन 14 दिसम्बर की अखिल भारतीय हड़ताल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने बहुत भारी संख्या में भाग लिया। कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों के समर्थन में राज्य स्तरीय जत्थे/रैलियां आयोजित की गईं, जिसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बहुत भारी समर्थन मिला है। इसका अर्थ है कि हम उचित ढंग से संगठित करके संघर्ष की समझ के साथ यदि इन मजदूरों के पास जाएं तो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं।

कई राज्यों में, ईंट भट्टा उद्योग, कताई मिलों, मण्डी कामगारों, बीड़ी, निर्माण उद्योग, प्राईवेट ट्रांसपोर्ट, एफसीआइ के पल्लेदारों के हड़ताल

सहित संघर्ष की अनेक कार्यवाहियां की गई हैं।

पश्चिम बंगाल में सीआइटीयू ने किसान सभा के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के लिए पहल की है। सीआईटीयू और किसान सभा के नेतृत्व की संयुक्त बैठक करके असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।

यद्यपि हम जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की बैठकों और महाधिवेशनों में बार–बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच अपने काम के बारे में विचार करते रहे हैं इस पर भी बहुत–से काम ऐसे हैं जिन्हें अभी तक भी पूरा नहीं किया गया। अब भी कुछ राज्यों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मामले में उप समितियों और समन्वय समितियों का गठन नहीं किया गया।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच अपने काम को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों/व्यवसायों की पहचान करें, जहां बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर कार्य–कर्ताओं और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर हमें अपने काम की उचित योजना बनानी होगी और उसके अनुसार काम करना होगा। केवल सहज स्वाभाविक मांगों पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अपनी कमजोरी को भी दूर करना होगा। सभी राज्यों में मौजूद ऐसे उद्योगों व क्षेत्रों क़ो प्राथमिकता देकर काम करने से ही सीआइटीयू का विस्तार सम्भव है।

इन प्राथमिकता वाले उद्योगों/व्यवसायों में अध्ययन व सर्वेक्षण करके; असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की गम्भीर समस्याओं को ध्यान में रखकर; मांग–पत्र तैयार करके; राज्यवार अभियान चलाऐ जाएं। तभी अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यदि कोई वर्तमान कानूनी कल्याणकारी व्यवस्था हो तो (अर्थात् कल्याण कोष/बोर्ड इत्यादि जैसा कि बीड़ी व निर्माण उद्योग के मजदूरों के लिए हैं) उसका उपयोग मजदूरों के साथ सम्पर्क साधने के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा बीड़ी, आंगनवांड़ी, निर्माण जैसे उद्योगों अर्थात् असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या काम करती है। यदि इन कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए सीआइटीयू की ओर से महिला कार्यकर्ताओं को लगाया जाए है तो इसके बेहतर परिणाम निकल सकते हैं।

क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी और दलित श्रेणियों से आते हैं और वे मलिन बस्तियों जहां बुनियादी सुविधाओं का नामो निशां तक नहीं होता, में रहते हैं इसलिए जरूरी हो जाता है कि कामकाजी स्थलों की समस्याओं के साथ–साथ सीआइटीयू को ही उनके सामाजिक मुद्दो, लिंग सम्बन्धी मुद्दों, निरक्षरता, आवासीय समस्याओं इत्यादि को उठाना होगा ताकि उनका विश्वास हासिल किया जा सके। इसके अलावा बीच–बीच में स्वयं सेवी समूह/ऋण सम्बन्धी जरूरत पूरी करने में मददगार सिद्ध होने वाले समूह इत्यादि का गठन करने पर भी विचार किया जा सकता है; इससे श्रमिक वर्ग के संघर्ष को मजबूत बनाने के काम में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में नए विश्वास का संचार होगा।

11. कामकाजी महिलाएं

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (एआइसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू) का आठवां सम्मेलन 3–5 नवम्बर, 2006 को विशाखापत्तनम में हुआ था। इस सम्मेलन में 418 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये प्रतिनिधि 16 राज्यों से आए थे। जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से किसी प्रतिनिधि ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। संयोजक की रिपोर्ट तथा दस्तावेज 'असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ये दोनों रिपोर्टें इस महाधिवेशन की दूसरी सामग्री के साथ आपको दी जा रही हैं। सम्मेलन में 45 सदस्यों पर आधारित समन्वय समिति का गठन किया गया है। कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर कार्मों के बारे में सीआइटीयू घोषणा पत्र का प्रारूप भी इस सम्मेलन में पेश किया गया था; उसे भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियों विशेष तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों की समितियों की ओर से कामकाजी महिलाओं की समितियों का गठन नहीं किया गया और यदि किया गया है तो वे काम नहीं करतीं। सीआइटीयू के महाधिवेशनों, जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में बार–बार निर्णय लिए गए हैं पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।

क़ामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन के पहले सीआइटीयू की राज्य समितियों और राज्य समन्वय समितियों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी; उनके द्वारा भेजे गए उत्तरों से सीआइटीयू यूनियनों में महिला उप समितियों का गठन करने के लिए राज्य समन्वय समितियों

के साथ मिल कर काम करने के मामले में राज्यों की ओर से कुछ प्रयास किए जाने के संकेत मिले हैं। किन्तु अधिकांश महिला उप समितियां काम नहीं करती हैं। महिला उप समितियों के समुचित ढंग से काम करने पर ट्रेड यूनियन कामों के लिए महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में सहायता मिलती है। और इस तरह उन्हें आगे चल कर नेतृत्वकारी पदों के लिए भी पदोन्नत किया जा सकता है। सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों को जितना शीघ्र हो सके इन उप समितियों का गठन कर लेना चाहिए।

सीआइटीयू की कुछ राज्य समितियों और सम्बद्ध श्रमिक संघों की ओर से हर साल 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाता है। भले ही उनमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। विमल रणदिवे स्मारक दिवस हर साल 10 अप्रैल को एक व्याख्यान कराने की बजाए सभाओं, संगोष्ठियों, गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन करके मनाया जाता है। हमें इस दिवस पर व्याख्यान कराने की बजाए कुछ दूसरे ढंगों से भी मनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

सामान्य तौर पर इस अवधि में लगभग सभी राज्यों में सीआइटीयू की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में निश्चित तौर पर सुधार आया है। अनेक राज्यों में कामकाजी महिलाओं की ओर से पुलिस अत्याचारों का सामना किया गया; सेवायोजकों द्वारा की जाने वाली प्रतिशोध कार्रवाईयों का डट कर मुकाबिला किया गया। दिल्ली में आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों एवं समस्याओं को लेकर एक विशाल धरने और क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चलाया गया था; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने बड़ी संख्या में उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस अवधि की यह एक उल्लेखनीय घटना है।

सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में कामकाजी महिलाओं के अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक विवरणियों के अनुसार पिछले महाधिवेशन के समय यह अनुपात 20 प्रतिशत था; 2005 में बढ़ कर 27.7 प्रतिशत हो गया। कर्नाटक में यह अनुपात 57 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि असम, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश में यह अनुपात लगभग 45 प्रतिशत है।

यह देखा गया है कि अनेक श्रमिक संघ कामकाजी महिलाओं की बड़ी सदस्य संख्या होने पर भी जानबूझ कर या अनजाने में ही वार्षिक विवरणियों में इसका उल्लेख नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप रिकार्ड में महिलाओं की असल संख्या प्रतिबिम्बित नहीं होती। उदाहरण के लिए, बीड़ी श्रमिकों तथा घरेलू काम धंधों में लगे श्रमिकों की कुछ यूनियनें दर्शाती हैं

कि उनके सभी सदस्य पुरुष हैं; निश्चित तौर पर हकीकत में ऐसा नहीं है। राज्य समितियों को सुनिश्चत करना होगा कि उनके यहां इस तरह से काम न हो।

कुछ प्रगति हो जाने पर भी समग्र रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। क्या सीआइटीयू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या की बढ़ोतरी सम्बन्धित राज्य समन्वय समितियों द्वारा किए गए जागरूक एवं सुनियोजित प्रयासों के कारण हुई है? यह बहस का विषय है। अनेक राज्यों में सदस्य संख्या में बढ़ोतरी अधिकतर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, बीड़ी श्रमिकों इत्यादि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच किए गए प्रयासों के कारण हुई है। जहां यह तथ्य हमारी कमजोरी को दर्शाता है वहीं आज की स्थितियों में उन सम्भावनाओं की ओर भी हमारा ध्यान खींचता है कि कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समितियों को सक्रिय बना कर कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या को हम अपने साथ ला सकते हैं।

सीआइटीयू के 11वें महाधिवेशन में हमने कामकाजी महिलाओं के बीच अपने कामों में मजबूती लाने के लिए अनेक काम करने का फैसला किया था। उनमें से अधिकांश काम पूरे नहीं हुए और या उन्हें आंशिक तौर पर किया गया है। सीआइटीयू के विभिन्न स्तरों पर सीआइटीयू समितियों और उससे सम्बद्ध यूनियनों के पदाधिकारियों में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय सुधार आया है। सीआइटीयू अथवा कामकाजी महिलाओं की राज्य समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए जाने की स्थिति में महिला सदस्यों अथवा नेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान न किए जाने के मामले में कुछेक राज्यों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। कामकाजी महिलाओं को सम्मेलनों के प्रतिनिधि के रूप में चुनने और उन्हें समितियों में शामिल किए जाने का विरोध अब भी विभिन्न स्तरों पर जारी है। बैठक में भाग लेने के लिए जाने पर यात्रा का खर्चे और इसके लिए अवकाश प्राप्त करने जैसी कठिनाईयों का उल्लेख नहीं किया गया है। थोड़े समय का नोटिस देकर महिलाओं को बैठक में बुलाना ठीक नहीं; उनके लिए अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वैकल्पिक व्यवस्था करना अत्यंत कठिन होता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन हुए 27 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। हम अब भी इसके उद्देश्यों, गतिविधियों, इसके ढांचे तथा कामों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सके हैं। कुछ एक राज्यों में राज्य समन्वय समितियों में

शिक्षिकाओं, राज्य सरकारी कर्मचारियों इत्यादि भी शामिल हो जाती हैं और उनका सम्बन्ध गैर सीआइटीयू यूनियनों के साथ होता है। कुछ राज्य समितियों में इस तरह के पदाधिकारी लगातार बने रहते हैं। इसी तरह कन्वेंशनों को सम्मेलनों और संयोजक को सचिव का नाम दे दिया जाता है; इससे समन्वय समिति के दर्जे के बारे में कुछ सीमा तक भ्रांति पैदा हो जाती है। समन्वय समितियों के बारे में एक प्रभाव यह भी पाया जाता है कि ये मध्यम श्रेणी की कर्मचारियों के मंच हैं; यह प्रभाव आज भी हमारे अनेक साथियों में बना हुआ है। सीआइटीयू के दसवें महाधिवेशन ने "कामकाजी महिलाएं–एक वर्गीय परिप्रेक्ष्य" विषय पर कमिशन में विस्तृत बहस का आयोजन करके इस प्रश्न पर विचार किया था। इसके साथ समन्वय समितियों में काम करने वाली महिलाओं के बीच एक और रुझान पाया जा रहा है; वे समन्वय समितियों में इस तरह से काम करती हैं, मानों वे सीआइटीयू से स्वतंत्र संस्थाएं हों। इन दोनों गलत रुझानों को छोड़ना होगा; इसमें सुधार लाना होगा।

12. साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष

हमारा 11वाँ महाधिवेशन एनडीए के अंधकारमय शासन के दौरान सम्पन्न हुआ था। एनडीए वास्तव में विभिन्न राजनैतिक दलों और गुटों के गैर–सैद्धान्तिक एवं अवसरवादी गठजोड़ का सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे आरएसएस का राजनैतिक हथियार भाजपा, उसकी साम्प्रदायिक–फासीवादी विचारधारा एवं राजनीति को स्थापित करने की कोशिश के लिए ही सरकार चला रही थी। स्वयं मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही गुजरात में नरसंहार कराया गया, जो इनकी साम्प्रदायिकता की सोच का सबसे अधिक वीभत्स रूप था।

हमारे 11वाँ महाधिवेशन ने मजदूर वर्ग और ट्रेड़ यूनियनों का आव्हान किया था कि वह, जनता को साम्प्रदायिक आधार पर बांट कर देश की एकता और अखण्डता के लिए गम्भीर खतरा बनी साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध कृतसंकल्प होकर लगातार संघर्ष करें। इस महाधिवेशन ने मजदूर वर्ग को स्पष्ट दिशा दी थी कि जनता की एकता की रक्षा के लिए उसे नेतृत्वकारी भूमिका अदा करते हुए साम्प्रदायिक–फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष चलाना होगा ताकि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा की जा सके।

11वें महाधिवेशन के बाद बीते तीन वर्षो के दौरान, सीआइटीयू एक संगठन के रूप में क्या यह दावा कर सकता है कि अपने दायित्व को उचित ढ़ंग एवं पूरी तरह से निभाया है? नहीं, जी नहीं। सीआइटीयू ने अपने जन्म से

ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प किया था। हम अपने स्थापना महाधिवेशन, उसके बाद के महाधिवेशनों और सीआइटीयू जनरल कौंसिल व कार्य समिति की बैठकों में साम्प्रदायिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते आ रहे हैं। हम ने इस मसले पर अपने महाधिवेशनों के दौरान दो बार कमिशनों में भी चर्चा कर चुके हैं। अपनी जनरल कौसिल के दौरान, हम विशेष चर्चा करके साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक शक्तिों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए रणनीति एवं कार्ययोजना विकसित की थी। लेकिन अधिकांशतया इसे व्यवहार में लाने के मामले में हम असफल रहे हैं।

फिर भी भाजपा के कई वर्ष के शासन के दौरान ही जनता के अनेकों हिस्से उसके खिलाफ खड़े हो गए। संघ परिवार द्वारा की गयी तमाम कार्यवाहियाँ और हिन्दुत्व के आक्रामक प्रचार के बावजूद भी उन्हे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, आइएमएफ व विश्व बैंक द्वारा थोपी गयी उदारवादी आर्थिक नीतियों को काँग्रेस से भी कहीं अधिक खूंखार ढंग से लागू करने के कारण भी जनता के अनेक हिस्से भाजपा से कट गए। इन सभी तथ्यों को तेजी से उभारने वाले जनता के आन्दोलनों, जिनमें सीआइटीयू की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही, के द्वारा ही अन्ततः भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबन्धन को हराया जा सका।

एनडीए सरकार के बनने के बाद की स्थिति का नासिक में सम्पन्न जनरल कौंसिल बैठक में मूल्यांकन करते हुए, हमने रेखांकित किया था कि साम्प्रदायिक शक्तियां हार तो गई हैं परन्तु समाप्त नहीं हुई हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये राजनैतिक रूप से परास्त हुए हैं, परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि इन्हें राजनैतिक रूप से परास्त करने में जिन लोगों ने भी भूमिका अदा की है, वो सभी इनकी साम्प्रदायिक विचारा धारा के विरुद्ध ही हों। क्योंकि बहुत से लोगों को इनसे दूर करने में इनकी आर्थिक नीतियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चूंकि इनकी हार में अनेक तरह की शक्तियों की भूमिका रही है, इसलिए हमें याद रखना होगा कि जनता के काफी बड़े हिस्से की चेतना पर इनकी साम्प्रदायिक सोच का प्रभाव आज भी विद्यमान है। माफिक मौका मिलने पर यह फिरकापरस्ती कभी भी साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का काम कर सकती है, इसलिए साम्प्रदासिकता के विरूद्ध संघर्ष आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना तीन साल पहले था।

यह सच है कि आज संघ परिवार और तमाम साम्प्रदायिक ताकतें कुछ हद तक बिखरी हुई हैं। और अभी तक भी वे चुनावी हार के झटके से उभर नहीं सके हैं। स्वयं संघ परिवार में ही कई स्तर पर उठा–पटक जारी हैं। लेकिन

जहां तक लोगों की साम्प्रदायिक सोच का ताल्लुक है, वह अब भी जन मानस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसलिए उसके फिर से सिर उठाने और उसके चलते अनिवार्य राजनीतिक ध्रुवीकरण होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है; यह तो केवल समय मिलने का मामला है। संघ परिवार इस मौके के लिए काफी हाथ–पांव मार रहा है।

भाजपा और संघ परिवार के कई अन्य घटक रोजाना एक के बाद दूसरा मुद्दा पकड़ कर उसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि वे आतंकवाद के मुद्दे को भी साम्प्रदायिकता के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। कभी कश्मीर का सवाल अथवा अफजल गुरू को फांसी दिए जाने के सवाल को पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ जनता के दिमागों में जहर भरने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट, जो देश के मुस्लिम अल्पसंख्यको की बदहाली का बयान करती है, को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसे लगातार मनगढ़न्त 'तुष्टिकरण' की नीति बता कर, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों पर दोषारोपण करते हुए तथाकथित वोट बैंक बनाने का राग अलाप रहे है। सच्चाई यह है कि भाजपा साम्प्रदायिक सद्भाव और जनता की एकता को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजनीतिक एवं विचारधारात्मक स्तर पर साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की जिम्मेदारी हमारे पूरे संगठन को ही लेनी होगी।

हमें, इसके साथ ही इस तथ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि अनेक इस्लामिक मूलवादी संगठन अल्पसंख्यक सम्प्रदाय विशेष तौर पर नौजवानों को गुमराह करके देश के विभिन्न भागों में तनाव और परस्पर टकरावों की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इससे भी वर्गीय एकता और सद्भावना समाप्त होती है।

मजूदर वर्ग अपनी वर्गीय स्थिति और उत्पादन की मुख्य शक्ति होने के कारण, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष में कहीं अधिक असरदार ताकत है; यह स्वाभाविक ही है। इसलिए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष में सबसे आगे रहने की सर्वाधिक क्षमता भी इसी में है। यह सुनिश्चित करना श्रमिक संगठनों विशेष रूप से सीआइटीयू की जिम्मेदारी है कि मजदूर वर्ग अपनी इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को वास्तव में अदा करे।

मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग का काफी बड़ा हिस्सा कमोवेश आज हिन्दुत्व के प्रभाव में है। इस संघर्ष के लिए यह बहुत जरूरी है कि मजदूर वर्ग के दिमागों से साम्प्रदायिक भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कुछ विशेष

कदम उठाए जाएं। श्रमिक संगठनों और सीआइटीयू के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और लम्बे समय तक चलने वाली जिम्मेदारी है। किसी भी इन्सान के अन्तर्मन में बहुत गहरे तक बैठे विचारों को निकालना आसान काम नहीं होता। यह काम रोजमर्रा के ट्रेड यूनियन काम का हिस्सा होना जरूरी है। मजदूरों को वास्तव में धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम मजदूर वर्ग के वर्गीय संघर्ष के द्वारा ही संभव है।

हमारे सामने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का एक और महत्त्वपूर्ण काम है। समाज के जनवादी ताने–बाने को बचाए रखने और संघर्ष के जनवादी रास्ते की मजबूती के लिए यह बेहद निर्णायक लड़ाई है। हमें हर तरह के आतंकवाद का प्रतिकार करना होगा– एक जिसे धार्मिक जुनूनी तथा क्षेत्रीय ताकतें हवा देती हैं और दूसरा जो तथाकथित वाम पक्षी चरमपंथियों का भानुमति का कुनबा है और अंततः यह वाम पक्षी चरमपंथी ताकतें दक्षिणपंथी चरमपंथी ताकतों के हाथों में खेलने लग जाती हैं। हम रेखांकित कर चुके हैं कि किस तरह साम्प्रदायिक ताकतें तथाकथित आतंकवाद विरोध के नाम पर साम्प्रदायिकता की अपनी खेल खेलती हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि किस तरह विभिन्न मार्कों के चरमपंथी खुद को जन साधारण के शोषण तथा वंचना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के रूप में पेश करते हैं और अपनी चरमपंथी गतिविधियां चलाने के लिए लोगों के एक हिस्से का समर्थन हासिल कर लेते हैं। वास्तव में, आतंकवाद अन्याय, दमन, शोषण तथा वंचना के कारण लोगों में पाए जाने वाले क्षोभ एवं असंतोष के बल पर खुद को जिंदा रखता है। वह शोषणकारी सत्ता के उत्पीड़न का लाभ उठाता है किन्तु असल में वह शोषण, अन्याय और वंचना के खिलाफ संघर्ष को कमजोर करता है। आतंकवादी ताकतें साम्राज्यवाद के हाथों में भी खेलती हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर साम्राज्यवादी हमलों को न्यायसंगत करार देने में उनकी सहायता करती हैं। श्रमिक आंदोलन को पूरी दृढ़ता के साथ सभी रंगों एवं स्वरूपों के आतंकवाद का प्रतिकार करना होगा; जनवादी आंदोलन को कमजोर करने की आतंकवादी रास्ते की भूमिका तथा अंततः शोषकों और साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा देने की उनकी कार्रवाईयों की पोल खोलनी होगी।

सीआइटीयू के लिए लम्बे समय से लम्बित पड़े काम को आने वाले समय में अत्यन्त प्राथमिकता के साथ करना अति आवश्यक हो गया है।

13. सामाजिक मुद्दे

भारत के मजदूर वर्ग के सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जातिवादी

ताकतों के द्वारा मजदूरों को जातिवाद के आधार पर बांट कर और जाति वादी अपील करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास।

पहले से ही उलझी हुई सामाजिक स्थिति को वर्तमान दौर की विनाशकारी उदारीकरण–भूमण्डलीयकरण की नीतियों ने और अधिक गम्भीरता उलझा दिया है। रोजगारहीन विकास तथा रोजगारों की क्षति ने नौजवानों में जबरदस्त असंतोष पैदा कर दिया है जिसे जातिवादी शक्तियां अपने क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

यूपीए सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम में आश्वासन दिया था कि उसके सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र में रोजगार का आरक्षण दिया जाएगा। सेवायोजकों की श्रेणी निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने के खिलाफ खुल कर मैदान में आ गई है। भले ही वह इस सम्बन्ध में 'सकारात्मक विकास' की बात करती है पर यह केवल कपोल कल्पना है।

हमें आरक्षण के मुद्दे पर घनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आरक्षण का प्रावधान (शिक्षा और रोजगार के लिए) करने का उद्देश्य तथाकथित निचली जातियों को उस बात के लिए क्षतिपूर्ति देना है जिन्हें सदियों तक वंचना की स्थिति में रहना पड़ा था। इन जातियों को भेदभाव का शिकार बनाया जाता रहा है और अतीत में उन्हें समान अवसर प्रदान करने से इन्कार किया जाता रहा है। इसलिए यह आरक्षण केवल उस क्षति की भरपाई के लिए उनके पक्ष में थोड़ा–सा पक्षपात है। अतः हमें पूरी दृढ़ता के साथ "आरक्षण विरोधी आंदोलन" का जमकर मुकाबला करना होगा क्योंकि इनके पीछे *यथास्थिति* बनाऐ रखने के निहितार्थ ही काम कर रहे होते हैं। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए, इसे सुनिश्चित बनाने के लिए आरक्षण सम्बन्धी कानून के पक्ष में हमें मजबूती से आगे आना ही होगा।

जातिवाद का एक और स्वरूप यह है कि जाति की श्रेष्ठता और जाति आधारित शोषण को बनाए रखने के लिए हिंसा पर उतारू हो जाना; यह जातिवाद का सबसे घातक स्वरूप है। जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति छुआ छात की प्रथा मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे घिनावना और क्रूर तरीका है। हमें सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज पूरी दृढ़ता से बुलन्द करनी चाहिए।

सच्चर समिति की रिपोर्ट में रोजगार के मामले में सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यकों

ही बदहाली को ही दर्ज किया गया है। जबकि अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बिलकुल इसी तरह की है। विकास की प्रक्रिया में इन सभी को उचित स्थान मिले, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भारत में साम्प्रदायिक एवं आर्थिक हमलों की शिकार सबसे अधिक महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव और शोषण खतरनाक सीमा तक बढ़ चुका है। उपभोक्ता संस्कृति के उभार के कारण नारी–देह के फूहड़ नंगेपन के साथ व्यवसायीकरण ने महिला उत्पीड़न को और अधिक बढ़ा दिया है। महिलाओं को असमान वेतन व सेवा शर्तों के साथ बेहद असुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और रोजगार पर भी सर्वाधिक हमला महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। मजदूर वर्ग को ही महिलाओं के प्रति होने वाले अनेकों तरह के मानसिक/शारीरिक शोषण व उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ते हुए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा। हमें सभी विधान मण्डलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की दीर्घावधि से लम्बित मांग को पूरा कराने के लिए लगातार संघर्ष चलाना होगा।

इसलिए हमें सीआइटीयू में मजदूर वर्ग के आर्थिक मुद्दों के साथ–साथ इन सामाजिक मुद्दों को भी उठाना होगा।

14. ट्रेड यूनियन शिक्षा

ट्रेड यूनियन संगठन और आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए ट्रेड यूनियन शिक्षा को हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता रहा है। भुवनेश्वर दस्तावेज में कार्य कर्ताओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। दस्तावेज कहता है कि आज के दौर में विश्व पूंजीवाद के बढ़ते विचारधारात्मक हमलों के मद्देनजर ट्रेड यूनियन शिक्षा और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। लेकिन उसके बाद के विश्लेषणों में हम ने पाया कि इस मामले में हमारे काम का रिकार्ड बहुत कमजोर रहा है। इस कमजोरी का बड़ा हिस्सा सीआइटीयू केन्द्र पर ही आयद होता है। केवल पिछले कुछ सालों में सीआइटीयू केन्द्र ने ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिए कुछ गम्भीर प्रयास किए हैं। का० बी.टी.आर. के जन्म शताब्दी वर्ष को इस प्रक्रिया के लिए चुना गया था। तीन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित किए गए। उनमें से एक स्कूल का आयोजन दक्षिणी क्षेत्र के लिए तिरुवनन्तपुरम किया गया था जो अंग्रेजी भाषा में था। हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए हिन्दी भाषा में स्कूल का आयोजन दिल्ली में किया गया। पूर्वी क्षेत्र के लिए बंगाली भाषा में स्कूल का आयोजन कोलकाता में किया गया। इन स्कूलों के लिए विषय थेः– (1)

क्रान्तिकारी और सुधारवादी ट्रेड यूनियनवाद (2) साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद (3) आज का पूंजीवाद और नयी आर्थिक नीतियां (4) संगठन (5) आज की परिस्थितियां और हमारा दायित्व।

सीआइटीयू केन्द्र द्वारा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित करने का यह पहला प्रयास था। उचित तैयारी न हो पाने तथा कुछ दूसरी कमियों के कारण इस ट्रेड यूनियन स्कूल को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी और स्कूल में भाग लेने वाले साथियों की ओर से कुछ आलोचना भी आई हैं लेकिन एक अच्छी शुरूआत के रूप में इसका स्वागत भी हुआ है और इसको जारी रखने की मांग की गई है।

सीआइटीयू के लिए यह गर्व की बात है कि हम अपने प्रथम महा सचिव स्व० का० पी० राममूर्ती की याद में एक स्थायी ट्रेड यूनियन स्कूल एवं अनुसंधान केन्द्र शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल भवन के लिए प्लाट लेने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए धन जुटाने का काम भी प्रगति पर है। फिर भी बाद में यह तय किया गया है कि स्कूल के भवन का इन्तजार किए बिना ही ट्रेड यूनियन कक्षाएं चलाई जाएं। तद्नुसार यह तय हुआ है कि तीन क्षेत्रों के लिए, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन स्कूल की एक और श्रृंखला प्रारम्भ की जाए। हिन्दी भाषी क्षेत्र के लिए तीन दिन की ट्रेड यूनियन कक्षाएं सीआइटीयू केन्द्र में की जा चुकी हैं। पुराने अनुभव को ध्यान में रख कर इस बार कक्षाएं हर लिहाज से बेहतर ढंग से आयोजित की गई और ट्रेड यूनियन कक्षाओं भाग लेने वाले साथियों ने भी संतोष व्यक्त किया है।

चुनावों एवं कुछ अन्य अति आवश्यक कार्यों के कारण दो अन्य क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी हैं। इस महाधिवेशन के बाद जल्द से जल्द शेष दोनों क्षेत्रों के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी; यह अपेक्षा रखना सर्वथा उचित ही होगा।

यह खुशी की बात है कि कुछ राज्य समितियां समय–समय पर अपने यहां राज्य, जिला एवं यूनियन स्तर पर काम करने वाले कार्य कर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करती रहती हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ी है सीआइटीयू केन्द्र ने उन्हें शिक्षक उपलब्ध कराए हैं। केन्द्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन करना सीआइटीयू केन्द्र की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार दूसरे स्तरों पर कक्षाओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी समान रूप से राज्यों की है। कुछ राज्य समितियां अपनी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही हैं परन्तु कुछ अन्य राज्य समितियों की ओर से यह महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। आशा की जानी चाहिए कि ये राज्य

समितियां भी जल्द से जल्द अपनी इस जिम्मेदारी को समझेंगी। सीआइटीयू केन्द्र उनकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेगा।

भोपाल में सम्पन्न हुई सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक और उसके बाद जुलाई 2006 में सम्पन्न हुई सीआइटीयू जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में यह फैसला किया गया था कि का० पी० राममूर्ती स्मारक ट्रेड यूनियन स्कूल की स्थापना करने और उसे चलाने की हमारी पहलकदमी में हमारे बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों जैसे बैंक, इन्श्योरेन्स, राज्य व केन्द्र सरकार कर्मचारियों, टेलीकॉम आदि को भी जोड़ा जाएगा तथा इस स्कूल को चलाने में उनकी मदद भी ली जा सकती है। इस सम्बन्ध में बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस बीच हम एक प्लाट प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस काम में प्रगति नहीं हो रही—वह है पी० राममूर्ती स्मारक कोष। कई राज्य समितियां अपना कोटा पूरा नहीं कर रही हैं। राज्य समितियों को इस कोष में अपना कोटा पूरा करने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे। इसके लिए विस्तारित जानकारी अलग से दी जाएगी।

15. कामरेड पी राममूर्ति जन्म शताब्दी

हमारे प्रथम महासचिव का० पी० राममूर्ति का जन्मशताब्दि वर्ष 20 सितम्बर 2007 से प्रारम्भ होगा।

का० पी.आर. जैसा कि उन्हें स्नेह से कहा जाता था, का जीवन अथक संघर्ष, कुर्बानियों से भरपूर, जेल में बीता जीवन रहा है। का० पी.आर. का जीवन शासक वर्गों के साथ—साथ गैर जनवादी एव सामन्ती परम्पराओं के अनवरत टकरावों से भरा जीवन रहा है।

का० पी.आर. अद्‌भुत गुणों और क्षमताओं से भरपूर शख्सियत रहे हैं। वो जन नेता, ट्रेड यूनियन आंदोलन के संगठनकर्ता, प्रभावशाली वक्ता और ओजस्वी व प्रतिभाशाली सासंद, प्रभावी पत्रकार, आंदोलन की सामग्री के विद्वान लेखक , विचारधारात्मक बहसों में भाग लेने वाले प्रभावशाली वक्ता और योग्य शिक्षक रहे हैं।

का० बी.टी. रणदिवे ने अदम्य व्यक्तित्व के धनी का० पी.आर. को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को निम्न शब्दों में बयान किया था : "जब 1970 में हम सीआइटीयू की स्थापना कर रहे थे तब महासचिव जैसे सामरिक महत्त्व के नेतृत्वकारी पद के लिए का० पी आर सबकी पसन्द थे। यह

महसूस किया गया कि उनका परिपक्व व व्यापक अनुभव, अखिल भारतीय स्तर पर ट्रेड यूनियन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा संगठन के लिए मददगार हो सकती है। और उन्होंने सीआइटीयू का विस्तार करने तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन में उसे एक अग्रणी केन्द्र के रूप में उभारने में बहुत मदद की। उन्होंने सीआइटीयू के स्थापना महाधिवेशन में चर्चा की दिशा को समझने मे कोई देरी नहीं की। माहधिवेशन के तमाम प्रतिनिधियों का गुस्सा डांगे तथा दूसरे नेताओं के सुधारवादी/समझौतावादी रवैऐ के खिलाफ फूट रहा था। इस तरह से एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया था कि नवजात संगठन कहीं एटक के साथ विवाद एवं शब्द युद्ध में फंसकर, अपने आधार को ही खो न दे। इस खतरे को ध्यान में रखकर का० पी.आर. ने तुरन्त प्रस्ताव रखा कि तमाम यूनियनें एवं राज्य कमेटियां इस उद्घाटन महाधिवेशन के तुरन्त बाद ट्रेड यूनियन एकता के लिए एक सप्ताह का सघन अभियान चलाएं। यह काम किया गया तो संगठन सही रास्ते पर चल निकला।"

हमें इस महाधिवेशन में यह निर्णय लेना है कि संगोष्ठियों, स्मृति व्याख्यान माला के आयोजन, नए प्रकाशन लाकर, ट्रेड यूनियन कक्षाओं के आयोजन तथा अन्य अनेक तरीकों से का० पी. राममूर्ती की जन्मशताब्दी मनाई जाए। इस महाधिवेशन के तुरन्त बाद सीआइटीयू सचिव मण्डल इस बारे में एक मुकम्मल योजना तैयार करेगा।

16. संगठन पर

हमारे लिए संगठन सदा ही गहरी चिन्ता का विषय रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले सुधार तो हुआ है परन्तु यह बहुत ही मामूली–सा तथा विस्तार की दृष्टि से असमान है।

संगठन की मजबूती और ताकत के लिए सदस्य संख्या एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है। यद्यपि हमने अपने 10वें महाधिवेशन में 40 लाख सदस्य संख्या का लक्ष्य रखा था, जो हमें 11वें महाधिवेशन तक पूरा करना था परन्तु यह लक्ष्य हम आज तक भी हासिल नहीं कर सके हैं। किन्ही कारणों से, हालांकि हम अभी भी लक्ष्य से कुछ पीछे हैं। 11वें महाधिवेशन के बाद वर्ष 2003 की सदस्यता 33,31,414 से 5 लाख बढ़कर 2005 में 39 लाख हो गई है। लेकिन इन आंकड़ों में हमारी काफी गम्भीर खामियां छिपी हैं। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और जम्मू–कश्मीर आदि चार राज्यों से नई सम्बद्धता एवं नई सदस्य संख्या की कोई सूचना नहीं है। कुल सदस्य संख्या में से 24 लाख पश्चिम बंगाल और केरल की है, जबकि शेष 15 लाख में अन्य सभी

राज्य हैं। तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश की सदस्य संख्या 3–3 लाख, कर्नाटक की 1,19,000 त्रिपुरा की 1,34,000 और अन्य सभी राज्यों की सदस्य संख्या एक लाख से कम ही है। कुल मिलाकर यह स्थिति निश्चित रूप से उत्साहवर्धक तो कतई नहीं है।

हमें महसूस होता है कि हिन्दी भाषी राज्य बहुत कठिन परिस्थितियों में हैं और आज भी उनकी कमजोरी बनी हुई है। हिन्दी भाषी राज्यों के नेतृत्व की लगातार बैठकें करके संगठन को विस्तार देने के लिए सीआइटीयू केन्द्र द्वारा दिशा निर्देश देकर मदद की जा रही है। हिन्दी भाषी राज्यों के नेतृत्व के साथ सलाह मशविरा करके सांगठनिक काम को ध्यान में रखकर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। इस प्रश्नावली के आधार पर सम्बन्धित राज्य समितियों ने विस्तार से चर्चा करने के बाद संगठन के विस्तार की योजना बनाने के लिए कहा गया था किन्तु बहुत कम राज्य समितियों ने इसका प्रत्युत्तर दिया है। उन्होंने जो प्रत्युत्तर दिया भी है वह केवल संरचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सांगठनिक मामलों में उनके विचार बहुत अंसगठित एवं दिशा हीन स्थिति में हैं। कुछ क्षेत्रों में यह संगठन के ठहराव को प्रतिबिम्बित करता है और कुछ क्षेत्रों में आई गिरावट के रूप में भी दिखाई दे रहा है।

इस सम्बन्ध में एक पहलू की ओर ध्यान देना होगा। पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में सीआइटीयू के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों तथा राज्य स्तरीय आंदोलनो में खासी बढ़ोतरी हुई है। कमजोर क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में अनेक आंदोलन और संघर्ष हुए हैं। परन्तु खेद का विषय है कि ऐसी सफल कार्यवाहियों को भी हम हमेशा की तरह सांगठनिक ताकत में बदलने में असफल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हरियाणा के पानीपत की कताई मिलों के 20,000 मजदूरों की लगातार सफल हड़ताल जो 2004 एवं 2006 में दो बार सीआइटीयू के नेतृत्व में ही हुई, और मालिकों तथा राज्य प्रशासन को मजदूरों की कुछ मुख्य माँगों को मनवाने के लिए मजबूर भी किया जा सका, परन्तु इन मजदूरों में से कुछ थोड़ा–सा हिस्सा ही सीआइटीयू यूनियनों के साथ जोड़ा जा सका है। दूसरे स्थानों के मामले में भी कुछ इस तरह की उदाहरणें दी जा सकती हैं। संघर्षों को सांगठनिक दृष्टिकोण से संचालित करने, प्रभावशाली सांगठनिक ढांचे की कमी और संघर्ष के बाद की स्थितियों को सांगठनिक दृष्टिकोण से संचालित करने में हमारी कमी इत्यादि कमजोरियां ही इस तरह की असफलताओं के प्रमुख कारण हैं। भुवनेश्वर दस्तावेज में इस तरह के हालात को संचालित करने की दिशा दी गई है, परन्तु हम उन्हे न तो अपने जेहन में ही रखते है, और ना ही उन्हे व्यवहार में ही लाते हैं।

संघर्ष और संगठन के विस्तार के लिए उद्योगवार फेडरेशन भी अच्छे हथियार हो सकते हैं। सांगठनिक जिम्मेदारियों का उचित निस्तारण के लिए, हमारे फेडरेशनों के काम करने के तौर–तरीकों में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम और रक्षा उत्पादन में नेतृत्वकारी भूमिका के अलावा भी कोयला, स्टील, निर्माण, सड़क यातायात, बगीचा, जल, आंगनवाड़ी, बिजली, बीड़ी, एफसीआइ मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स् आदि दस फेडरेशनों का नेतश्त्व सीआइटीयू ही करती है। देश भर में फैली हुई अनेकों इकाईयों वाले कई उद्योगों में हमारे पास समन्वय समितियां भी है। एक दो को छोड़ कर अधिकांश फेडरेशन इस दौरान सक्रिय बने रहे हैं। कोयला, स्टील, आंगनवाड़ी, पेट्रोलियम, सड़क यातायात, निर्माण, मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और बिजली आदि फेडरेशनों ने अखिल भारतीय अभियानों और संघर्षों में पहल करने की भूमिका अदा की है। अन्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय संघर्ष तो हुए है, परन्तु अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक मांगों के लिए आंदोलन तैयार करने में अखिल भारतीय फेडरेशनों की भूमिका देखने में नहीं आई है। इस कमजोरी के कारण कमजोर राज्यों में, सम्बन्धित उद्योगों में अपनी सदस्यता और प्रभाव बढ़ाने में हम असफल रहे हैं। अधिकांशतः फेडरेशनों की एक और कमजोरी यह है कि अखिल भारतीय नेतृत्व की प्रभावशाली ढंग से काम करने वाली टीम विकसित करने में असफलता है।

17. संगठन : कुछ चिन्ताजनक विषय

औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बनावट और चरित्र में आ रहे तेज बदलावों के मद्देनजर सीआइटीयू संगठन की वर्तमान संरचना हमारी चिन्ता का विषय है।

हमारी बड़ी समस्याओं में से एक संगठन की असमान स्थिति का होना है। यह असमानता न सिर्फ राज्यों के बीच है, बल्कि उद्योग के अन्दर ही कारखानों के बीच भी है, साथ ही साथ राज्यों के अन्दर भी विद्यमान है।

हमारे परम्परागत रूप से मजबूत राज्यों से बाहर, अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के बड़े कारखानों में हमारी उपस्थिति नगण्य है, साथ ही साथ जिन राज्यों के संगठित बड़े कारखानों में थोड़ा बहुत हमारी मौजूदगी है भी, उनमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच हम बहुत ही कम संख्या को ही अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने में सफल हो सके। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ हम संगठित क्षेत्र में बहुत कमजोर हों परन्तु असंगठित क्षेत्र में निर्णायक ढंग से बहुत मजबूत हों। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक बहुत बड़े हिस्से को संगठित कर पाने की हमारी कमजोरी तो हमारे बहुत मजबूत राज्यों में भी बनी हुई है।

बनावट में परिवर्तन

उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद, संगठित क्षेत्र में नए लगे कारखानों व औद्योगिक संस्थानों में ट्रेड यूनियनों की मौजूदगी अभी भी होनी है।

हमारे सामने बहुत ही विकट स्थिति है। नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की सत्ता के परिणाम स्वरूप एक ओर संगठित क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, तो दूसरी ओर ठेकेदारी और आऊट सोर्सिंग की प्रक्रिया के माध्यम से संगठित क्षेत्र के अन्दर ही, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसी ही सेवा शर्तों के साथ काम करने वाले मजदूरों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हो रही है। ऐसे मजदूरों को छोटी एवं अतिसूक्ष्म विनिर्माण इकाईयों में काम पर रखा जा रहा है, जो संगठित क्षेत्र की सीमाओं में ही काम कर रही हैं और पूरी तरह से उन बड़ी संगठित क्षेत्र की इकाईयों पर ही निर्भर भी हैं। इस स्थिति में संगठित क्षेत्र में हमारी कमजोरी, संगठित उद्योगों में कार्यरत इन असंगठित मजदूरों को संगठित न कर पाने के कारण हमें और अधिक कमजोर बना रही है।

असंगठित क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा और सिर्फ हाथों से एवं निम्न स्तरीय कुशल कार्यों तक ही सीमित भी नहीं रह गया है। उच्च स्तरीय मशीनीकृत उत्पादन प्रक्रियाओं और कुशल काम भी इस असंगठित ढांचे में ही हो रहा है। साथ ही साथ तकनीकी विकास और तेजी से बढ़ते कृषि संकट के कारण, कृषि में रोजगार बहुत तेजी से धट रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य काम–धन्धों में, गैर–कृषि मजदूरों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यदि संगठित की जा सके तो, यह ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के लिए भावी शक्ति हो सकती है। लेकिन हमारा काम अभी सिर्फ परम्परागत असंगठित क्षेत्र के भी बहुत छोटे–से हिस्से तक ही सीमित है। यहाँ तक कि परम्परागत असंगठित क्षेत्र के काम–धन्धों में हमारी पहुँच अभी मजदूरों की संख्या एवं काम–धन्धों के प्रकार के लिहाज से भी बहुत ही छोटे से हिस्से तक ही है।

18. सांगठनिक पहल का परिप्रेक्ष्य

सीआइटीयू की कार्यवाहियों को विस्तार देने की योजनाएं बनाते समय हमें ऊपर दर्शाए गए परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। हमें संगठित क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसके असंगठित मजदूरों को संगठित करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी हड़ताल करने की क्षमता का प्रभाव सरकार और पूंजीपतियों पर बहुत व्यापक होता है और

इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्व रखने वाले रणनीतिक उद्योग भी शामिल हैं। संगठित क्षेत्र में हमारा काम दोनों स्तरों पर साथ–साथ होना चाहिए (1) संगठित क्षेत्र के ढांचे में ही ठेकेदारी एवं सहयोगी इकाईयों के कामगारों के नाम से कार्यरत असंगठित मजदूरों के बीच (2) संगठित क्षेत्र में ही स्थापित होने वाली नयी औद्योगिक इकाईयों में पहुंच बनाना। ट्रेड यूनियन आंदोलन को प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करके तथा अपने आप को अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करके इन दोनों पहुलओं पर काम करना होगा, उदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद जुड़ने वाली नयी पीढ़ी के मजदूरों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। संगठित क्षेत्र की सीमाओं में कार्यरत ठेका एवं अन्य मजदूरों को संगठित करने के काम को हमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने काम का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के काम को पूरी गम्भीरता से लेना होगा। हमें अपने काम का विस्तार बहुत फैले हुए असंगठित क्षेत्र में करने के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस दिशा में सांगठनिक पहलकदमी पर ध्यान देना होगा। 1998 में चैन्ने में आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल में पहले ही हम अपना दृष्टिकोण तय कर ही चुके हैं और फिरोजाबाद में आयोजित 2005 के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति के पिछले सम्मेलन में हमने इन्हें फिर से दोहराया था। जमीनी स्तर पर सांगठिनक पहल करते समय हमें असंगठित क्षेत्र के काम–धन्धों तथा कारोबार पर आधारित यूनियनों का विकास करने के लिए सघन अभियान चलाने पर जोर देना चाहिए और इसके प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर आंदोलन का विकास करना चाहिए। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम–धंधे नाना प्रकार के हैं इसलिए यह काम उतना कठिन नहीं है। कुछेक मामलों में असल सेवायोजक की पहचान नहीं होती जबकि अधिकांश मामलों में यह स्थिति नहीं है। श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम करती है और उनके मामले में हमें सीधे तौर पर प्रशासन पर निशाना साध कर आगे बढ़ना होगा; चाहे राज्य स्तर पर और या जिला स्तर पर। असंगठित क्षेत्र में तृण मूल स्तर पर काम करते हुए हमें पूरी गम्भीरता के साथ इस क्षेत्र की बहुविधता को ध्यान में रखना होगा और उसी के अनुसार उपयुक्त कार्यनीति बनानी होगी। संगठित क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन को इसमें तन–मन–धन से सहयोग करना होगा; इसके लिए उसे पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को श्रमिक आंदोलन के दायरे से बाहर रख कर संगठित क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता।

CITU

सांस्कृतिक
समूहगान

शहीदवेदी पर
श्रद्धांजलि

चित्तदा संबोधित
करते हुए

विदेशी
प्रतिनिधिमंडल

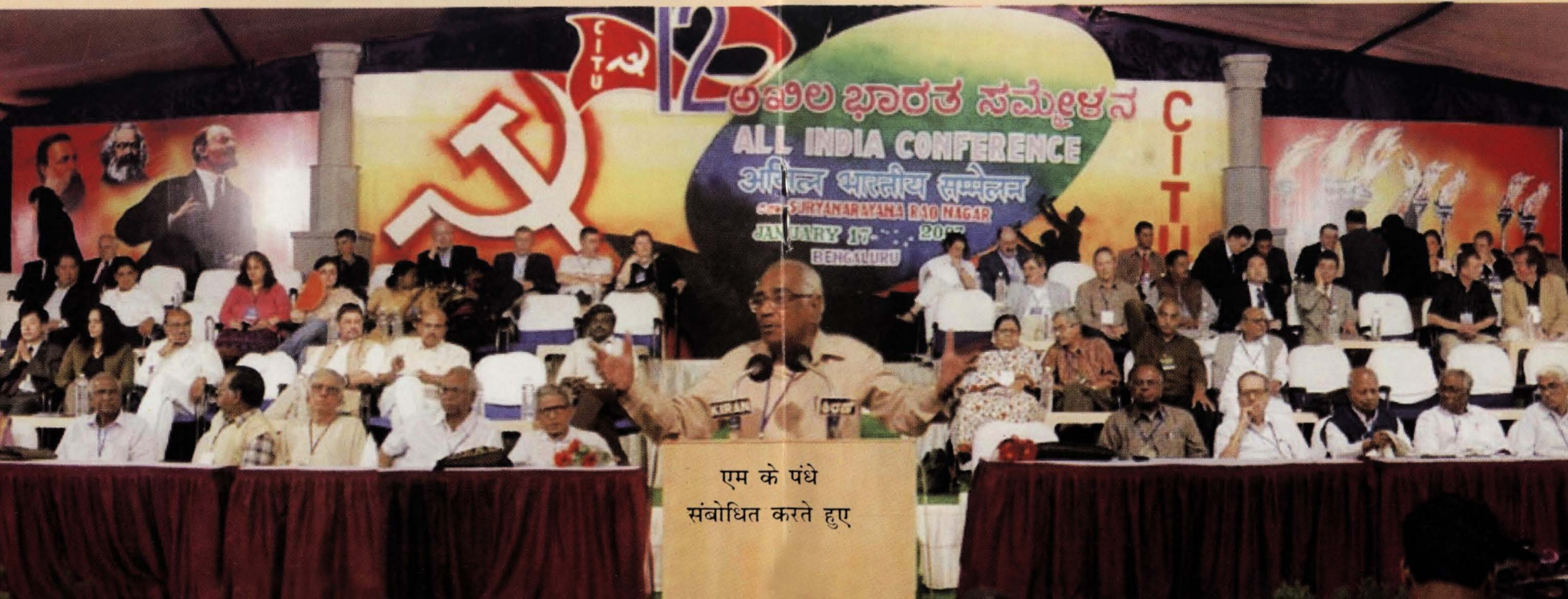

एम के पंधे
संबोधित करते हुए

Rally-Participants

इसके बिना श्रमिक आंदोलन अपनी सामाजिक–राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने में समर्थ हो सकता है।

हमारे लिए जरूरी है कि हम कामकाजी स्थलों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने अपने जोरदार प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कानूनी संरक्षण दिलाने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत लाने जैसी साझी मांगों के लिए संघर्ष की पहलकदमी के साथ जोड़ें। जहां सरकार मालिकों के हित में श्रम कानूनों में बदलाव करना चाहती है वहां श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ कर सभी श्रम कानूनों को सभी स्थानों पर एक समान लागू करने के लिए अपने वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करने चाहिएं। सभी श्रम कानूनों में मजदूरों के हित में बदलाव लाने की मांग पर जोर देने के साथ–साथ हमें सभी मजदूरों जिनमें स्वः रोजगार पर लगे मजदूर भी शामिल हैं, को व्यापक एवं ठोस सामाजिक संरक्षण प्रदान करने की मांग करनी चाहिए।

हमारी सांगठनिक पहलकदमियां एक दूसरे के पूरक दो कामों के साथ जुड़ी होनी चाहिएं–एक संगठित क्षेत्र में अपनी ताकत को मजबूत करना और अत्यंत व्यापक असंगठित क्षेत्र में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए काम करना। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें तृण मूल स्तर पर अपनी गतिविधियों को तेज करना होगा जिसकी रूपरेखा ऊपर दी गई है। यह समय की मांग है और इसके लिए हमें श्रमिकों के बीच से कार्यकर्ताओं का विकास करना होगा। ऐसे कार्यकर्ता जो विचारधारा और संगठन की समझ से लैस हों। 'कार्यकर्ताओं का विकास और श्रमिक आंदोलन' विषय पर सीआइटीयू के दस्तावेज में पहले ही इससे सम्बन्धित दिशा निदेश दिया जा चुका है।

19. ट्रेड यूनियनें और गैर–सरकारी संगठन

अनेक गैर–सरकारी संगठन (NGOs) कई रूपों में, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में बहुत सक्रिय हो रहे हैं। वे संगठित क्षेत्र के अनेक हलकों में पहले ही बहुत सक्रिय हैं विशेष तौर पर सुरक्षा, पर्यावरण तथा प्रदूषण इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों में। उनमें से कुछेक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं विशेष तौर पर शोध अध्ययन, अच्छी पाठन सामग्री निकालने जैसे काम। श्रमिक आंदोलन की ओर से उपयुक्त सांगठनिक कार्यनीति बनाने के काम में विशेष सामग्री के तौर पर इनका उपयोग किया जा सकता है। किन्तु उनमें से अनेक गैर सरकारी संगठन श्रमिकों की दुहाई देकर सम्बन्धित क्षेत्रों में श्रमिक संघों का स्थान हासिल कर लेना चाहते हैं। अनेक मामलों

में सरकारी एजेंसियां और उनसे जुड़े प्रतष्ठान जानबूझ कर इसके लिए उनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। गैर–सरकारी संगठन (NGO) जानबूझ कर श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं के बीच यह गलतफहमी पैदा करते हैं कि वे तो अपनी गतिविधियों से सम्बन्ध रखने वाले क्षेत्रों में श्रमिक संघों के साथ मिल कर काम करते हैं। ये गैर–सरकारी संगठन (NGOs) आम तौर पर विभिन्न स्रोतों से विपुल मात्रा में विदेशी धन हासिल करते हैं। वे कितने श्रमिक संघों को अपनी गतिविधियों में अपने साथ जोड़ सके हैं, उन्हें धन देने वाले स्रोत इस बात पर भी निर्भर करते हैं।

सरकार, मीडिया और यहाँ तक कि आइएलओ की ओर से भी यह गलत प्रभाव दिया जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की श्रमिक संघ अनदेखी कर रहे हैं, केवल गैर–सरकारी संगठन (NGOs) ही उनके बीच काम करते हैं। श्रमिक संघों को बदनाम करने तथा मजदूरों को उनके प्रभाव से निकालने की कोशिश के अलावा यह कुछ और नहीं है। हमें श्रमिक आंदोलन की छवि धूमिल करने वाले इस तरह के झूठे प्रचार का डट कर विरोध करना चाहिए। श्रमिक संघ मजदूरों के संगठन हैं और ये संगठन मजदूरों के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी ओर गैर–सरकारी संगठन (NGOs) मजदूरों की सदस्य संख्या पर आधारित संगठन नहीं होते और इसलिए मजदूरों के प्रति उनकी जबावदेही भी नहीं होती; वे केवल अपने आकाओं अथवा अन्न दाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे किसी भी स्थिति में श्रमिक संघों का स्थान हासिल नहीं कर सकते।

एक गैर–सरकारी संगठन (NGO) कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु वह वर्गीय संगठन नहीं हो सकता और न ही उसके कार्यक्रमों में पूंजीपति वर्ग के साथ विवाद अथवा टकराव मोल लेने की कल्पना की जा सकती है। सत्ताधारी श्रेणी और सरकारें सोची समझी साजिश के तहत जानबूझ कर श्रमिक संघों के मुकाबले इन गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) को ज्यादा तरजीह देती हैं और कभी–कभार ये गैर–सरकारी संगठन (NGOs) श्रमिक संघों का स्थान हासिल कर लेते हैं। यह अब एक अर्न्तराष्ट्रीय चलन हो गया है। सत्ताधारी श्रेणियों के लिए यह बहुत फायदे का सौदा है क्योंकि ये गैर–सरकारी संगठन (NGOs) आखिर पूंजीपतियों की वकालत ही तो करते हैं और पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता करने का प्रचार करते हैं। वे कभी इस व्यवस्था को चुनौती नहीं देते और न ही उसकी क्षमता पर उंगली उठाते हैं।

श्रमिक संघ वर्ग संघर्ष के हथियार होते हैं और उनका काम श्रमिक वर्ग के

हितों की रक्षा करने के साथ श्रमिकों के बीच अपने आधार को व्यापक बनाना होता है। इस तरह वे वर्ग संघर्ष को जारी रखते हैं और उसे तीखा करते हैं; यही उनका प्रधान कार्य होता है। अतः हमें गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) की गतिविधियों और उनके साथ अपने सम्बन्धों के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। हमें यह भी रेखांकित करना होगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं के बारे में कई बार श्रमिक संघों की कमजोरियां आड़े आ जाती हैं; वे मजदूरों के बीच लगातार काम करने में विफल रहते हैं और वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मुद्दों पर प्रभावशाली ढंग से दखल नहीं दे पाते। इस हालत का फायदा इन गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) को मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। हमें यह कमजोरी दूर करनी होगी और इसके साथ ही गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) की गतिविधियों पर भी हमें पूरी सावधानी के साथ नज़र रखनी होगी। हम उन पर निर्भर नहीं कर सकते और न ही हम गैर सरकारी संगठनों को श्रमिक संघों की भूमिका हथिया लेने की अनुमति दे सकते हैं।

20. हमारे भावी कार्य

साथियो, आज के हालात हमारे लिए गम्भीर चुनौतियां लेकर आए हैं किन्तु इसके साथ ही वे हमारे लिए काम करने और आगे बढ़ने के असाधारण अवसर भी लेकर आए हैं। नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का ढांचा लोगों की विशाल बहुसंख्या को कम से कम राहत प्रदान करने की हालत में भी नहीं है जबकि वे अपने जीवन में भयानक संकट का सामना कर रहे हैं। यह व्यवस्था उनके लिए बस संकट ही पैदा कर रही है। इस तरह की अर्थ व्यवस्था पहले कभी देखी नहीं गई थी जहां सकल घरेलू उत्पाद की वशद्धि दर बढ़ती चली जा रही है किन्तु इस पर भी लोगों की तकलीफें तथा कष्ट कम होने का नाम ही नहीं लेते। देश के हर क्षेत्र और जनता के हर हिस्से में होने वाले विरोध से यह साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। जनता का सर्वाधिक संगठित हिस्सा होने के नाते मजदूर वर्ग को नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ लोगों में बढ़ते असंतोष और मोह भंग की स्थिति को इस नीतिगत सत्ता में बदलाव लाने के लिए देशव्यापी संगठित संघर्षो के रूप में बदलना होगा।

आज हमारे सामने देश का राजनीतिक परिदृश्य भी बहुत उलझे हुए चरित्र का है। क्योंकि सत्ताधारी दल इतना मजबूत नहीं है कि वह अपने ही बूते पर सत्ता में बना रह सके, इसलिए वह बिना रूकावट के अपनी जन

विरोधी नीतियों का पालन नहीं कर पा रहा। श्रमिक एवं जनवादी आंदोलन के विरोध के बावजूद भी सत्ताधारी वर्ग किसी भी कीमत पर अपनी नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की कार्य सूची को आगे बढ़ाने की जी तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। वे प्रशासकीय एवं विधायी दोनों ही रास्तों से श्रम अधिकारों पर अंकुश लगाने पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि मजदूर वर्ग का आंदोलन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और उनके रास्ते का पत्थर है। इसी पृष्ठभूमि में देश के मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों की ओर से अपने श्रम अधिकारों की रक्षा करने और सेवायोजकों की श्रेणी द्वारा राज्य प्रशासन के साथ मिल कर आक्रमक ढंग से सभी श्रम अधिकारों को पांवों तले रौंदे जाने के खिलाफ कठोर संघर्ष किए गए।

इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर आंदोलन का दखल आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें घटना क्रम को नया मोड़ देने और सत्ताधारी श्रेणियों को झुकाने की ताकत विद्यमान है। वास्तव में, केन्द्र की सत्ता में विराजमान गठबंधन का इस समय वामपंथ पर निर्भर करना जनता पर उसकी राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ जाने के तथ्य को दर्शाता है। यह हालात पैदा करने में मजदूर आन्दोलन का योगदान असाधारण रहा है। श्रमिक आंदोलन को अपनी पूरी ताकत के साथ प्रतिगामी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष में मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को लामबंद करने के लिए पहलकदमियां करनी होंगी। यही प्रक्रिया एक सामान्य जन–पक्षीय नीतिगत दृष्टिकोण और एक सुस्पष्ट साम्राज्यवाद विरोधी भावना के साथ तीसरे मोर्चे के प्रादुर्भाव के लिए वस्तुपरक स्थितियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को इस दिशा में ले जाने के काम में सीआइटीयू को पहलकदमियां करनी होंगी।

इस काम और लक्ष्य को सामने रख कर एक व्यापक आधार वाले जन–आंदोलन का विकास एवं नेतश्त्व करने के लिए सीआइटीयू को सांगठनिक तौर पर खुद को तैयार करना होगा। उसे देशव्यापी स्तर पर व्यापक आधार वाली जन लामबंदी को यकीनी बनाना होगा। हमारा तात्कालिक काम समान विचारधारा रखने वाले श्रमिक संघों और हमारी अपनी धारा के जन संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त गतिविधियों का निर्माण एवं लामबंदियां करना है ताकि राष्ट्रीय जन संगठन मंच को फिर से उभारने के लिए अनुकूल वस्तुपरक स्थितियां पैदा हो सकें। इस पहलकदमी के साथ–साथ श्रमिक संघों के मोर्चे पर संयुक्त संघर्षों के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिएं।

ये पहलकदमियां जमीनी स्तर पर की जानी चाहिएं। हमारी राज्य समितियों,

जिला समितियों और उपक्रम स्तर की यूनियनों को लगातार जनता के तमाम हिस्सों और जन संगठनों को आने वाले समय में चलाए जाने वाले इन संघर्षों में खींच लाने के लिए जागरूक प्रयास करने होगें। हमारा अनुभव यह है कि जहां कहीं भी पूरी गम्भीरता के साथ प्रयास किए गए हैं, वहां श्रमिक आंदोलन साझे संघर्षों में किसानों, छात्रों और नौजवानों इत्यादि का सक्रिय सहयोग हासिल करता रहा है।

सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा; हमें अपने संगठन को सभी स्तरों पर मजबूत बनाना होगा ताकि वह दूसरे संगठनों को अपने पीछे लामबंद कर सके। सीआइटीयू के एक मजबूत संगठन के बिना न एक प्रभावशाली श्रमिक आंदोलन चल सकता है और न ही व्यापक आधार वाले जन संघर्ष को चलाना सम्भव हो सकता है। हम एक अत्यंत शक्तिशाली आंदोलन चलाने की क्षमता रखते हैं, हमें अपनी इस अदम्य शक्ति को पहचानना होगा और सीआइटीयू के संगठन को नयी ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए पूरी गम्भीरता के साथ कोशिश करनी होगी ताकि हम आगामी चुनौतियों का सामना पूरी मजबूती के साथ कर सकें।

एक बड़ा संघर्ष हमारी पहल की इंतजार में है। नालको, नैवेली लिग्नाईट और एनएमडीसी (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) के कर्मचारियों के निजीकरण विरोधी संघर्षों के कारण निजीकरण के विरोध में चल रहे अभियान ने गति पकड़ ली है। इन संघर्षों के फलस्वरूप जोरदार आवाज में यह संदेश दिया गया है कि "निजीकरण नहीं चलेगा"। 14 दिसम्बर की देशव्यापी हड़ताल की भारी सफलता इस ओर संकेत करती है कि जनता उदारीकरण की इन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त्त दृष्टिकोण के साथ इस 12वें महाधिवेशन को निम्नलिखित फौरी कार्यों को लेकर चलना होगा।

- नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए लगातार अथक संघर्ष चलाओ।
- साम्प्रदायिकता और आतंकवाद के खतरों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाओ।
- नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ चलने वाले हर अभियान और संघर्ष में "काम करने का अधिकार" हमारा केन्द्रीय नारा होना चाहिए और इसे हमारी बुनियादी मांग के रूप में उठाया जाए।

- देश के विभिन्न भागों में होने वाले दमन, श्रम अधिकारों पर घातक हमलों और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ चल रहे तीखे संघर्षों के पक्ष में एकजुटता की कार्रवाईयों में तेजी लाओ तथा उन्हें और अधिक व्यापक बनाओ।

- श्रम कानूनों को लागू करने की मांग करो तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के प्रतिरोधी संघर्ष को देशव्यापी ट्रेड यूनियन अभियानों एवं संघर्षों का केन्द्रीय मुद्दा बनाओ।

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों तथा खेतिहर श्रमिकों के लिए तत्काल अलग–अलग सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग करो।

- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच अपनी गतिविधियों में तेजी लाओ और उन्हें विधायी रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए तत्काल कानून बनाने तथा 'न्यूनतम वेतन अधिनियम' एवं पुरुष श्रमिकों एवं कामकाजी महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन जैसी मांगों को अपने संघर्षों का केन्द्रीय मुद्दा बनाओ।

- अलग–अलग क्षेत्रों एवं उद्योगों में चल रहे मजदूरों व कर्मचारियों के उभरते संघर्षों को जारी रखो।

- संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आंदोलन में एकता कायम करो और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को चाहिए कि वे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के मुद्दों को उठाने के लिए पहलकदमियां करें।

- सामाजिक सुरक्षा के वर्तमान उपायों पर होने वाले हमलों के विरुद्ध अभियान और संघर्ष का निर्माण करो और सभी मजदूरों के लिए मुकम्मल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष करो।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को समुचित ढंग से लागू किया जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए दखल दो और इस योजना का विस्तार करके इसे शहरी इलाकों में भी लागू किया जाए इसके लिए अभियान चलाओ।

- ट्रेड यूनियनों की स्पांसरिंग समिति और जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच (NPMO) को नयी जान डालने के लिए पूरी गम्भीरता के साथ प्रयास करो और इसके लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर व्यापक लामबंदियां करो।

- लगातार और सघन अभियान चलाते हुए 50 लाख सदस्यता के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करो।

- निकट भविष्य में "पी. राममूर्ती ट्रेड यूनियन शिक्षण एवं शोध संस्थान" की स्थापना करो।
- संगठन के सभी स्तरों पर सीआइटीयू की गतिविधियों के एक भाग के रूप में ट्रेड यूनियन शिक्षा के कार्यक्रम नियमित अंतराल में चलाते रहो।
- "कार्यकर्ताओं का विकास और श्रमिक आंदोलन" विषय पर सीआइटीयू द्वारा निकाले गए दस्तावेज जिसे भोपाल में दिसम्बर 2005 को आयोजित सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, पर सघन संरचनात्मक बहसों का आयोजन करो।

हमें उपरोक्त सभी काम पूरी गम्भीरता से करने हैं ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने में सक्षम हो सकें। शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में मेहनतकश अवाम की व्यापक एवं सार्थक एकता का आधार तैयार करने के लिए हमारी स्वतंत्र पहलकदमियों पर विशेष जोर देना होगा।

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया के स्तर पर विरोध तीखा होता चला रहा है। विश्वव्यापी संघर्षों का लगातार सिलसिला इस सत्य को स्थापित करता है कि वर्ग संघर्ष परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक संचालक शक्ति है और यह संघर्ष अनेक उतरावों एवं चढ़ावों के बीच से गुजरेगा तथा सभी तरह के दमन का सामना करते हुए और सिद्धान्तहीन समझौतों को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा।

साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का अमानवीय चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। मानवीय चेहरे की बातों के ढकोंसले से इसे छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास अपनी निर्धारित दिशा में ही बढ़ता रहेगा और इसकी चालक शक्ति वर्ग संघर्ष सत्ताधारी श्रेणी की ओर से अपने रास्ते में खड़ी की गई रुकावटों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा; वह और मजबूत होता रहेगा और फैलता चला जाएगा। श्रमिक वर्ग को सामाजिक–आर्थिक विकास की इस गतिशीलता को समझना होगा, आत्मसात करना होगा और इस अमानवीय समाज व्यवस्था को बदल डालने के काम में अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी; उसे सभी विरोधों और उन लोगों जो पूंजीवाद एवं उससे समझौता करके चलने की नीतियों का बखान करते हैं, को परास्त करना होगा।

आखिरकार पूरी दुनिया में जनता की जीत होगी, यह भरोसा हमें रखना चाहिए। आणविक शस्त्र और सैन्यीकरण को विश्व पर दादागिरी स्थापित

करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनता अपने भाग्य का फैसला खुद करेगी।

इस अवसर पर सीआइटीयू की तमाम यूनियनें यह अहद् लें कि वे अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगें और संगठन में जहां कहीं भी सुस्ती है, उसे पूरी तरह से समाप्त करते हुए विजय की ओर आगे बढ़ते जाएंगे।

- भूमण्डलीयकरण की नीतियों को परास्त करने के संघर्ष में मजदूर वर्ग और जनता की एकता जिन्दाबाद!
- दुनिया को गुलाम बनाने के साम्राज्यवादी हथकण्डे मुर्दाबाद!
- समाजवादी व्यवस्था के लिए संघर्ष जिन्दाबाद!
- सीआइटीयू जिन्दाबाद!
- दुनिया भर के मजदूरो एक हो!

चित्रब्रत मजूमदार

महासचिव

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का समापन

चित्तब्रत मजुमदार

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में पेश महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में 51 साथियों ने भाग लिया। बहस में भाग लेने वाले साथियों की ओर से रचनात्मक आलोचना की गई और अनेक सुझाव दिए गए। उन्होंने संगठन के विभिन्न स्तरों जिसमें सीआइटीयू केन्द्र भी शामिल है, पर पाई जाने वाली विभिन्न कमियों एवं खामियों की ओर ध्यान दिलाया। उनके अनुसार ये खामियां ग्यारहवें एवं बारहवें महाधिवेशनों के बीच की अवधि में घटने वाली विभिन्न निर्णायक महत्त्व की घटनाओं पर समुचित ढंग से प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने, उन पर कार्रवाई करने; श्रमिक आंदोलन की समस्याओं तथा मुद्दों का समाधान करने; संघर्षों का निर्माण करने, लामबंदी करने और हमारी सांगठनिक गतिविधियों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सीआइटीयू केन्द्र उत्तर प्रदेश के निठारी हत्याओं के मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर सका; महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था; हम राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय बनाने में सफल नहीं रहे हैं; हम 'काम का अधिकार' आंदोलन के लिए अपनी पहलकदमियों की निरंतरता को बनाए रखने में विफल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। साथियों ने हमारी इन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु इन कमियों अथवा खामियों को दूर कैसे किया जाए और इसके लिए हम क्या कार्रवाई करें, इस पर बहस में अधिक ठोस सुझाव उभर कर सामने नहीं आए। अधिकतर आलोचनाएं सही हैं, इसमें संदेह नहीं। हमें अपनी कमियों एवं खामियों को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में संगठन के सभी स्तरों पर जागरूक प्रयास करने होंगे।

रचनात्मक बहस

सभी आलोचनाओं और दिए गए संकेतों के बावजूद हमारा ध्यान कुछ विशेष मुद्दों से हटना नहीं चाहिए। महाधिवेशन की बहस में व्यापक तौर पर राजनीतिक–संठनात्मक स्थापनाओं और महासचिव की रिपोर्ट में रेखांकित हमारी गतिविधियों की मूल दिशा का न केवल अनुमोदन किया गया है बल्कि इन्हें अनेक तरह से मजबूत बनाने के लिए कहा गया है। दूसरे, सभी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं में श्रमिक आंदोलन द्वारा और प्रभावी ढंग से दखल देने के प्रश्न पर हमारे साथियों में चिंता भावना है; यह आलोचना मूल रूप से उनकी इन्हीं चिंताओं को प्रतिबिम्बित करती है।

वे चाहते हैं कि शोषण और अन्याय के खिलाफ साधारण जनता की सभी श्रेणियों को लामबंद करने की श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका के अनुरूप सीआइटीयू इनमें अग्रणी भूमिका निभाए। हमें संगठन के सभी स्तरों पर चिंताओं की इस अभिव्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। हमारी गतिविधियां और अधिक प्रभावी हों; ये चिंताएं इसी बलवती इच्छा को प्रतिबिम्बित करती हैं। यह इच्छा हमें लगातार अपनी कमजोरियों एवं खामियों को दूर करमे रहने की प्रेरणा देती है।

हमलों का सामना करो

अनेक साथियों ने सरकार के सक्रिय सहयोग एवं संरक्षण में श्रमिक संघों के लगातार दमन और अत्याचारों का मुद्दा उठाया है; उन्होंने सही कहा है कि केवल श्रमिक आंदोलन तक सीमित रह कर इस दमन और हमलों का सामना नहीं किया जा सकता। कुछ साथियों ने सुझाव दिया है कि सरकार और मालिकों के दमन एवं अत्याचारों के कारण श्रमिक हतोत्साहित न हों, इसे रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर भी और अधिक प्रभावशाली ढंग से दखल दिया जाना चाहिए; यह स्थिति की मांग है। किन्तु राजनीतिक स्तर पर इस तरह के दखल को प्रभावशाली बनाने और उसके बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए जरूरी है कि दमन विरोधी संघर्ष केवल कामकाजी स्थल के चौगिरदे तक ही सीमित न रहे और वह कम से कम व्यापक जन लामबंदी की प्रकृति वाला संघर्ष तो हो। इस तरह के दमन का मुकाबला करने के लिए व्यापक स्तर पर एकजुटता की कार्रवाईयां करनी होंगी। जहां कहीं भी हमने लोगों की विशाल संख्या को साथ लेकर एकजुटता की कार्रवाईयां की हैं, वहां हम बेहतर ढंग से सामना कर सके हैं और उस स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपट सके हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में दमन विरोधी संघर्षो में हमारे हाल ही के अनुभव इस समझ को सही करार देते हैं। राजनीतिक दखल, इसका अर्थ यदि मामले को मंत्री स्तर पर अथवा संसद में उठाने से है तो हो सकता है इसके कुछ परिणाम निकलें; किन्तु ये परिणाम तभी निकलेंगे यदि कम से कम राज्य के स्तर पर जुझारू एवं व्यापक जन लामबंदियां की जाएंगी और उस समय प्रशासन पर इसका दबाव पड़ सकता है। जो भी हो, इन संघर्षो को अंत में सफलता मिले या न मिले किन्तु इसका राज्य में श्रमिकों के बीच एक जुझारू संगठन के रूप में सीआइटीयू की छवि और उज्जवल होती है। इस समय जरूरत इसी बात की है कि हम एक ठोस संगठन की दृष्टि से जागरूक होकर इसे और मजबूत बनाने के लिए जागरूक प्रयास करें। हमारे भीतर इसकी भारी कमी है; यह बात हमें स्वीकार करनी होगी।

हमें रेखांकित करना होगा कि श्रमिकों के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं और श्रमिक आंदोलन का दमन किया जा रहा है; नव–उदारवादी आर्थिक

नीति के मूल ढांचे के अन्तर्गत सरकार एक नीति के रूप में इसे बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण (2005–06) इस तरह के सिद्धान्तों का निरुपण करता है कि उन राज्यों जहां श्रम प्रशासन श्रमिकों को अधिक संरक्षण दिया जाता है, को रोजगारों का सश्जन करने वाले निवेशों से हाथ धोना पड़ सकता है; यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन स्वयं भी तथाकथित रूप से निवेशों के प्रति मित्रवत होने का तर्क देकर श्रमिकों के सभी बुनियादी अधिकारों के हनन की कार्रवाईयों में शामिल होने के लिए बेताब है। इस तरह की स्थापनाएं श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों के मामले में अधिकांश सरकारों के घिनावने इरादों को बेनकाब करती हैं। हमें कामकाजी स्थलों और राजनीति दोनों स्तरों पर संगठित रूप में इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा; हमें जन आंदोलनों के साथ अपने सम्पर्को एवं सम्बन्धों का और प्रसार करना होगा और अधिक से अधिक एकजुटता की कार्रवाईयां करने पर जोर देना होगा।

दूसरे मुद्दे

महंगाई का प्रश्न!

साथियों ने ध्यान दिलाया है कि बढ़ती महंगाई के घटनाक्रम का विश्लेषण इस रिपोर्ट में पूरी तरह नहीं किया गया। यह बात ठीक है। यद्यपि रिपोर्ट में इस प्रश्न पर चर्चा की गई है किन्तु इस पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। महंगाई का प्रभाव पूरी जनता पर पड़ता है और श्रमिक आंदोलन को इस पर अभियान चलाना चाहिए; उसे बढ़ती महंगाई के खिलाफ संयुक्त संघर्षो का निर्माण करना चाहिए; उसे आर्थिक नीति के मौजूदा ढांचे की जन विरोधी प्रकृति को बेनकाब करना चाहिए। पिछले डेढ़ वर्ष से बढ़ती चली जा रही महंगाई केवल मात्र समय समय पर आने वाले उतार चढ़ाव नहीं है और न ही यह कोई संयोग है; लगातार बढ़ती महंगाई ने भयानक रूप अखत्यार कर लिया है। पेट्रोलियम के मूल्यों में तीखी बढ़ोतरी ने सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को धीरे–धीरे या जानबूझ कर कमजोर बनाया गया है; एफसीआइ की खरीद में तीखी गिरावट आई है; इसके चलते हालात बद से बदतर हुए हैं। अनाजों, दालों, सब्जियों तथा दूसरी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी ने मूल्यों के सामान्य स्तर पर अनेक तरह से दुष्प्रभाव डाला है और इसके कारण साधारण लोगों की हालत शोचनीय हो गई है। अनाज के व्यापार तथा खरीद का उदारीकरण एवं नैगमकरण होने; अधिकांश अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में वायदा व्यापार की अनुमति दिए जाने के कारण मूल्यों की स्थिति लगभग अपरिवर्तनीय सीमा तक और बदतर हो गई है। यह विकास करती अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति नहीं है जिसके लिए हमारे वित्त मंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ लोगों के सामने तर्क दे

रहे हैं। यह सरकार द्वारा जानबूझ कर सोचे समझे ढंग से चलाए गए नीतिगत अभियान का परिणाम है; छोटे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मूल्य पर बड़े कारोबारियों को मोटे लाभ मिलें, इसे यकीनी बनाने के लिए ही सरकार ने यह अभियान चलाया है। श्रमिक आंदोलन को महंगाई के प्रश्न पर दखल देना होगा; उसे इन नीतियों के खिलाफ संयुक्त जन आंदोलन चला कर कुलकों और नैगम घरानों के लिए मित्रवत सरकार के इस घिनावने इरादों की पोल खोलनी होगी जिसके चलते जरूरी चीजों की कीमतों को आग लगी हुई है।

आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष

साथियों ने कहा है कि रिपोर्ट में साम्प्रदायिकता के खतरे की पूरे विस्तार में चर्चा की गई है और इससे जुड़े श्रमिक आंदोलन के कामों का उल्लेख किया गया है किन्तु उसमें आतंकवादी गतिविधियों की अनदेखी की गई है। यह सही आलोचना है। हमसे अनजाने में यह भूल हुई है। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष हमारे लिए एक और महत्त्वपूर्ण कार्य है और समाज की जनवादी संरचना की रक्षा करने तथा संघर्ष के लोकतांत्रिक पथ को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक महत्त्व का का काम है। हमें हर तरह के आतंकवाद का प्रतिकार करना होगा – एक तरह का आतंकवाद वह होता है जिसे साम्प्रदायिक एवं संकीर्ण जुनून की हद तक बढ़ावा देती हैं और दूसरी तरह का आतंकवाद तथाकथित उग्र वामपंथियों का होता है जिसे हम भानुमति का पिटारा कह सकते हैं और अंत में ये सभी आतंकवादी उग्र दक्षिणपंथी एवं प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथ में खेलने लग जाते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपनी तथाकथित लड़ाई के नाम पर साम्प्रदायिक ताकतें साम्प्रदायिकता के अपने पत्ते खेलती हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि किस तरह विभिन्न किस्मों के आतंकवादी गिरोह खुद को जन साधारण की वंचनाओं और शोषण के खिलाफ संघर्ष के पुरोधा के रूप में पेश करते हैं अथवा उनका एक विशेष हिस्सा अपनी आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में इस तरह की बातें किया करता है। वास्तव में, शोषणकारी सत्ता की ओर से पैदा की गई वंचना की स्थिति, शोषण, दमन, उत्पीड़न, अन्याय के खिलाफ लोगों में पाए जाने वाले गुस्से एवं असंतोष का लाभ उठा कर आतंकवाद अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और अपनी गतिविधियों में और तेजी लाता है। आखिर में वह शोषण, अन्याय तथा वंचना के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने और उसे कमजोर बनाने का काम करता है। आतंकवादी ताकतें साम्राज्यवाद के हाथों में भी खेलती हैं और आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर दूसरे देशों पर साम्राज्यवादी हमलों को कानून सम्मत बनाने की साम्राज्यवादी ताकतों की घिनावनी खेल में आतंकवाद उनकी सहायता करता है। श्रमिक आंदोलन को पूरी दृढ़ता के साथ हर तरह के आतंकवाद का प्रतिकार करना होगा और जनवादी आंदोलन पर

आतंकवादी रास्ता किस कदर नुकसानदेह असर डालता है, साधारण जनता में इसकी पोल भी खोलनी होगी। जनता में यह बात ले जानी होगी कि आतंकवाद आखिर में शोषकों और साम्राज्यवादी ताकतों को लाभ पहुंचाता है और उन्हें बढ़ावा देता है।

असंगठित क्षेत्र – एक वास्तविक चुनौती

असंगठित क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा करते समय कुछ साथियों का कहना था कि हम संगठित क्षेत्र में जरूरत से अधिक ध्यान देते हैं; यह मामला असंगठित क्षेत्र बनाम संगठित क्षेत्र का नहीं है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए और कभी कभार गलती से हम ऐसा मान बैठते हैं। रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तार में चर्चा की गई है और दोनों क्षेत्रों में हमारे कामों का निर्धारण किया गया है। सदस्य संख्या अथवा दखल देने की अपनी क्षमता की दृष्टि से हम संगठित क्षेत्र में अधिक आगे न बढ़ सके हों किन्तु असंगठित क्षेत्र में हमारी तूती बोल रही हो; क्या इस तरह की एक भी उदाहरण देखने को मिलती है? मैं समझता हूं, इस तरह की कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलती। इसकी अपेक्षा हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में हम उचित रूप में संगठित क्षेत्र में मजबूत हैं किन्तु हमने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम में बहुत कम पहलकदमी की है। इस तरह की समीक्षा का तात्पर्य क्या है? रिपोर्ट में पहले ही ठोस शब्दों में बताया जा चुका है कि हमें संगठित क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा और अपने जोखिम पर ही इस काम की अनदेखी कर सकते हैं क्योंकि परिवहन, खनन, दूर संचार, ऊर्जा जिसमें कोयला, विद्युत तथा पेट्रोलियम भी शामिल हैं, जैसे सभी सामरिक उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के संघर्ष सत्ताधारी श्रेणियों को हिला कर रख देने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही हमें असंगठित क्षेत्र में भी अपने संगठन का विस्तार करना होगा क्योंकि यह क्षेत्र देश की श्रम शक्ति की विशाल बहुसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है। एक बार फिर कहूंगा कि पूरे असंगठित क्षेत्र का स्वरूप एक समान नहीं है। हमें किसी कारोबार अथवा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को अपनी पंक्तियों में लाकर और एक विशेष रणनीति के साथ लाना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को संगठित करना होगा। रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तार में चर्चा की गई है। यदि हम संगठित अथवा असंगठित के विवाद में पड़ जाएंगे और प्रश्नचिन्ह खड़े करते रहेंगे तो इसका दुष्प्रभाव अपनी कमियों की पहचान करने की हमारी अवधारणा पर पड़ेगा। हम समस्या का निराकरण करने की बजाए इधर उधर भटकते रह जाएंगे। बेहतर यही होगा कि इस विवाद में न पड़ा जाए।

गैर सरकारी संगठन

बहस के दौरान सेल्फ–हेल्प ग्रुप (एसएचजी) तथा सहकारी समाओं का मुद्दा भी उठाया गया। प्रतीत होता है कि हमारे साथियों के बीच इसकी क्षमता

को लेकर भ्रांतियां पाई जाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि स्वयं अपनी सहायता करने वाले समूह अथवा एसएचजी जनवादी आंदोलन में समाज के लोगों विशेष तौर पर उसकी सबसे गरीब श्रेणी को संगठित करने के काम में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु यदि इस पहलू से भी देखा जाए तो उनकी प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समूह का नेतृत्व किस के हाथ में है। इन समूहों में यदि गैर सरकारी संगठनों अथवा एनजीओ का बर्चस्व है तो इससे एसएचजी को जनवादी आंदोलन का हथियार बनाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसके विपरीत इन समूहों के काम करने की दिशा ही बदल सकती है। सहकारी आंदोलन में भी इस तरह के दो मुंहें संगठन काम करते हैं। ये समूह लोगों को संगठित करने का प्रभावी हथियार बन सकते हैं बशर्ते कि इनका नेतृत्व मेहनतकश अवाम के हाथ में हो और वे अपने मुख्य काम के रूप में जन संघर्षों को आगे बढ़ाने की स्पष्ट अवधारणा के साथ काम करें। इन सभी हथियारों का उपयोग लोगों को एक साथ लाने के लिए बीच के चरण में किया जा सकता है और ये अपने में लक्ष्य कदापि नहीं हैं।

इस संदर्भ में महासचिव की रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठनों पर ठोस विचार पेश किए गए हैं और उनकी सैद्धांतिक विवेचना की गई हैं; इनकी ओर विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नव–उदारीकरण के युग में कुकुरमुत्तों की भांति गैर सरकारी संगठन पैदा हो रहे हैं; यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा; यह अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। उनमें से अधिकांश विदेशी पैसे से चलते हैं। वे अपने धन दाताओं की कार्यसूची के अनुसार काम करते हैं। उनका एजेंडा साफ है। जन एवं वर्गीय संगठनों का स्थान लेना और जनवादी आंदोलन को कमजोर बनाना। ये संगठन कितने भी अच्छे क्यों न हों किन्तु ये वर्गीय संगठन नहीं हो सकते और न ही इनके कार्यक्रम में पूंजीवादी श्रेणी से टकराने अथवा विवाद खड़ा करने की कल्पना की गई है। सत्ताधारी श्रेणी तथा सरकारें चेतन रूप में गैर सरकारी संगठनों को श्रमिक संघों की बजाए अधिक अधिमान देती हैं और कभी कमार तो गैर सरकारी संगठन श्रमिक संघों का स्थान ले लेते हैं। यह अब एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना बन गई है। यह सत्ताधारी श्रेणियों के लाभ में है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में ये संगठन सदा समझौते तक ही सीमित रहते हैं; वे इससे आगे नहीं बढ़ते; वे कभी पूंजीवादी व्यवस्था की ईमानदारी को चुनौती नहीं देते।

श्रमिक आंदोलन वर्ग संघर्ष का हथियार है और इस तरह श्रमिक संघों को जहां श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करनी होती है वहां इसके लिए लड़ना भी होता है; उसे श्रमिक वर्ग के बीच अपने आधार को व्यापक बनाना होता है; श्रमिक संघर्षों को आगे बढ़ाना और उन्हें तीखा करना ही उनका मुख्य काम होता है। इसलिए, गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों और उनके साथ अपने सम्बन्धों को लेकर हमारी एक स्पष्ट सोच और अवधारणा होनी

चाहिए। हमें इस बात का उल्लेख भी करना होगा कि कई बार श्रमिक संघों की कमजोरी और अपने समुदाय अथवा श्रमिकों के बीच काम करने के मामले में विफल रहने – उनके मुद्दों पर प्रभावशाली दखल न दिए जाने की स्थिति में – असंगठित क्षेत्र के श्रमिक गैर सरकारी संगठनों को अधिक महत्त्व दे देते हैं। हमें अपनी इस कमजोरी को दूर करना होगा। इसके साथ ही हमें गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर बड़ी सावधानी के साथ टीका टिप्पणी करनी चाहिए। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते और न ही उनके एजेंडे के अनुसार काम कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन श्रमिक संघों से उनकी भूमिका हथिया लें हम इसकी अनुमति भी नहीं दे सकते।

संघर्षो की दिशा

साथियो, महाधिवेशन की चर्चा ने व्यापक तौर पर महासचिव की रिपोर्ट की स्थापनाओं और उसके द्वारा निर्धारित दिशा का अनुमोदन किया गया है। हमारी दिशा है – शोषणकारी सत्ता के खिलाफ श्रमिक वर्ग के संघर्ष को और ऊंचाईयों पर ले जाना और उसे जन संघर्ष में तबदील करना। नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ वर्ष 1991 से ही श्रमिक वर्ग द्वारा संघर्ष किए जाने के कारण पिछले कई वर्षो से संघर्षो के मंच को व्यापक बनाया जा सका है और इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ा है। हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक राजनीतिक गठबंधन देश का शासन चला रहा है और यह गठबंधन सत्ता में बने रहने के लिए वाम दलों पर निर्भर करता है। सत्ताधारी दल इतना मजबूत नहीं है कि वह अपने तौर पर सत्ता में बना रह सके और इसलिए वह बिना किसी रुकावट के अपनी जन विरोधी नीतियों को आगे नहीं बढ़ा सकता। श्रमिक वर्ग तथा जनवादी आंदोलन द्वारा अपनी नीतियों के विरोध का सामना करते हुए सत्ताधारी गठबंधन हड़बड़ा–सा गया है; वह किसी भी कीमत पर नव–उदारवादी नीतियों के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के पर आमादा है।

इस पश्ष्ठभूमि में श्रमिक आंदोलन को जन विरोधी नीतियों की सत्ता के खिलाफ लगातार संघर्ष करना होगा और दखल देना होगा; घटनाओं को नया मोड़ देने और सत्ताधारी श्रेणी को पीछे हटने पर मजबूर कर देने की जबरदस्त अदम्य शक्ति उसमें है। श्रमिक आंदोलन को अपनी पूरी ताकत के साथ प्रतिगामी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष में मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को लामबंद करने के लिए पहलकदमियां करनी चाहिएं। इस प्रक्रिया में, वह सांझी जन–पक्षीय नीति के अपने दृष्टिकोण और स्पष्ट साम्राज्यवाद विरोधी समझ के साथ तीसरी ताकत को उभारने के लिए वस्तुपरक स्थितियां पैदा करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सीआइटीयू को इस दिशा में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को एकजुट करने के लिए पहलकदमी करनी होगी और इसके साथ ही मेहनतकश अवाम को लामबंद करना होगा।

इसी अवधारणा के साथ हमें अपने संगठन को आगे बढ़ाना होगा। सीआइटीयू को अपना आधार और व्यापक करना होगा ताकि वह संघर्ष में दूसरों को लामबंद करने की क्षमता हासिल कर सके। हमें राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय बनाने के लिए भी पहलकदमी करनी होगी। इसकी शुरूआत हमें अपने ही घर से करनी होगी और महज बयान जारी करने तक ही खुद को सीमित रखने की जगह हमें अपने जन संगठनों को प्रभावशाली ढंग से लामबंद करना होगा। हम पहले ही यह फैसला कर चुके हैं और जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में इस फैसले को बराबर दोहराते रहे हैं। किन्तु अपने घर को ठीक करने की दिशा में हमने बहुत कम काम किया है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जन संगठन के हमारे अपने जन संगठन सक्रिय न हों, यह स्थिति बहुत देर बनी नहीं रहनी चाहिए।

हमने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के साथ बातचीत का एक दौर चलाया है। इसकी शुरूआत के लिए हमने मार्च 2007 के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ मिल कर अखिल भारतीय अभियान दिवस मनाने का फैसला किया है; अधोलिखित मांगों को लेकर देश के सभी जिलों और औद्योगिक केन्द्रों में देशव्यापी लामबंदी की जाएगीः

1. महंगाई के खिलाफ
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना
3. रोजगार गारंटी अधिनियम का सार्वभौमिकीकरण करना और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाना
4 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और खेतिहर श्रमिकों की सेवा स्थितियों तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग–अलग व्यापक कानून बनाना
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित करना
6. एसईज़ैड से सम्बन्धित मुद्दों पर।

हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए तत्काल व्यापक कानून बनाने की मांग को लेकर सीआइटीयू के स्वतंत्र मंच से जोरदार अभियान भी चलाना होगा। असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति ने पहले ही इस मांग को लेकर संघर्ष की देशव्यापी कार्रवाई करने का फैसला किया है। हमें यह अभियान तथा आंदोलन चरणबद्ध ढंग से चलाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना होगा जिसकी चरम परिणति इस मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल के रूप में होगी और इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को शामिल किया जाएगा। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट हड़ताल की तिथि को अंतिम रूप देगा। दूसरे श्रमिक संघों को भी इस संघर्ष में शामिल किए जाने की सम्भावना है और हमारे स्वतंत्र अभियान तथा आंदोलन के जरिए इसके लिए अनुकूल स्थितियां पैदा की जा सकती हैं।

सरकार की जन–विरोधी आर्थिक नीति के विरोध में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 दिसम्बर, 2006 की संयुक्त देशव्यापी हड़ताल की पृष्ठभूमि में यह महाधिवेशन हो रहा है। हमें आने वाले समय में लामबंदी की जुझारू कार्रवाईयां करके इस संयुक्त संघर्ष को और अधिक ऊंचाई तक ले जाना होगा। संघर्ष के संयुक्त मंच द्वारा संघर्ष का आगामी कार्यक्रम बनाने के लिए हमें दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करना होगा। उन्हीं सोलह सूत्रीय मांगों को लेकर संसद के आगामी बजट अधिवेशन के समय संयुक्त अभियान तथा आंदोलन शुरू होने की सम्भावना है। हमें इसके लिए स्वयं को तैयार रखना होगा।

संयुक्त संघर्ष के अगले चरण के लिए पहलकदमी करने के साथ–साथ हमें विभिन्न सेक्टर वार कार्रवाईयां करनी होंगी। इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की ज़ा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सीपीएसटीयू) ने पहले ही नवम्बर 2006 को बंगलौर में अपनी विस्तारित बैठक में इसका फैसला कर लिया था। उसने सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वेतन संशोधन के सातवें चक्र की वार्ता पर जारी श्रमिक विरोधी निदेशों के खिलाफ संसद के बजट सत्र के शुरूआती चरण में सार्वजनिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के एक अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करने का निश्चय किया था। ये निदेश सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। सम्मेलन वाले दिन ही इस मुद्दे पर संसद के आगे प्रदर्शन किया जाएगा। यह अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन अभियान तथा आंदोलन का चरणबद्ध कार्यक्रम बनाएगा जिसमें डीपीई के दिशानिदेशों को रद्द करने की मांग के लिए सीधी कार्रवाई करना भी शामिल है। अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन होने से एक दिन पहले दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सीटू) की एक बैठक होगी।

जैसाकि कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल की बैठकों में विचार किया गया है और कमिशन की बहस में पुनः दोहराया गया है, उसके अनुसार हमें देशव्यापी अभियान तथा आंदोलन चलाने के लिए संविदा श्रमिकों के एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना होगा; यह अभियान और आंदोलन नियमित तथा स्थायी प्रकृति के कामों के गैर कानूनी संविदाकरण के खिलाफ ठोस कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने, संविदा श्रमिकों को समुचित वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने और स्थायी प्रकृति के कामों में लगे श्रमिकों को स्थायी करने जैसी मांगों के लिए चलाया जाएगा।

संगठन

हमारी आंदोलनात्मक गतिविधियां अधिक प्रभावशाली ढंग से चलाई जाएं, इसे यकीनी बनाने के लिए हमें आंदोलनात्मक गतिविधियां चलाने के

साथ–साथ पूरी गम्भीरता से संगठनात्मक कामों को करना होगा। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू संगठन के सभी स्तरों पर जनवादी कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना है। इसके लिए समग्र रूप से संगठनात्मक पहलकदमियां करनी होंगी और श्रमिकों के बीच से कार्यकर्ताओं का विकास करना होगा और उन्हें और अधिक ज्ञानवान बनाना होगा। हमें श्रमिकों की विशाल संख्या जो अभी तक असंगठित है, के बीच अपने संगठन का प्रसार करने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की जरूरत है। इसके लिए हमें श्रमिकों के बीच में से ही प्रमुख कार्यकर्ताओं का विकास करना होगा जो सभी कामकाजी स्थलों में सीआइटीयू के संगठनकर्ता के रूप में काम करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा के हथियार से सुसज्जित करना होगा और उनका सांगठनिक विकास करना होगा। यदि हम श्रमिकों की विशाल संख्या का राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो यह काम हमें करना ही होगा।

हमें अपनी दूसरी गतिविधियां चलाने के साथ–साथ नियमित अंतराल में शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी चलाना होगा। क्योंकि मौजूदा वर्ष हमारे संस्थापक महासचिव कामरेड पी रामामूर्ति का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए हमारे सम्बद्ध श्रमिक संघों, सम्बन्धित इकाईयों की द्वारा सघन शैक्षणिक गतिविधियां चला कर; ट्रेड यूनियन स्कूलों; विचारधारात्मक तथा आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर संगोष्ठियों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करके विशेष तौर पर यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाना चाहिए। पी रामामूर्ति स्मारक ट्रेड यूनियन स्कूल एवं शोध केन्द्र की स्थापना करने के काम को पूरी शक्ति के साथ पूरा करना चाहिए और इसके लिए निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए। मैं इस अवसर पर उन राज्य समितियों जिन्होंने पी रामामूर्ति स्मारक कोष के लिए अपने हिस्से का योगदान अथवा लिया गया कोटा पूरा नहीं किया है, से उसे जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध करूंगा।

अंत में, सीआइटीयू शोषणकारी समाज व्यवस्था को बदलने और उसके समाजवादी विकल्प की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहने का प्रण करता है। इसलिए हमारी सभी गतिविधियों का दैनंदिन संघर्षों से मिलने वाले अनुभवों के द्वारा श्रमिकों की विशाल संख्या का राजनीतिकरण करने की दिशा में केन्द्रित होने चाहिएं; इसके साथ ही हमें उनके भीतर वर्गीय भावना, समझ एवं दृष्टिकोण पैदा करना होगा और उन्हें विचारधारा के हथियार से सुसज्जित करना होगा। पूंजीपति श्रेणी की ओर से श्रमिक वर्ग को विचारधारा से हीन बनाने के लिए किए जा रहे हमले के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष चलाना हमारे लिए निर्णायक महत्त्व का काम है और हमें अपनी पूरी गम्भीरता से यह काम करना होगा।

कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर सीआइटीयू के कार्य

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने 3 से 5 नवम्बर 2006 को विशाखापत्तनम में आयोजित कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन में पारित रिपोर्ट का समर्थन करते हुए सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों और सम्बद्ध यूनियनों को उसे लागू करने और उसमें निश्चित किए गए कार्य करने का आह्वान किया है।

सीआइटीयू का मानना है कि मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए कामकाजी महिलाओं के एक बड़े वर्ग को श्रमिक आन्दोलन की मुख्य धारा में लाना होगा। सीआइटीयू की यह समझ भी है कि कामकाजी महिलाओं के मुद्दे केवल महिलाओं के मुद्दे नहीं हैं बल्कि ये मजदूर वर्ग के मुद्दे हैं और इन मुद्दों का सम्बन्ध पूरे मजदूर वर्ग से है। श्रमिक आंदोलन को ये मुद्दे उठाने चाहिएं और इन पर काम करना चाहिए। इसी समझ के साथ और कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में जगह पाएं, सीआइटीयू ने वर्ष 1979 में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) का गठन किया था।

वार्षिक विवरणी के अनुसार वर्तमान में सीआइटीयू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 22.72 प्रतिशत भाग है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करते समय पता चला कि बहुत–सी यूनियनें अपनी वार्षिक विवरणी जमा कराते समय कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं करतीं। सीआइटीयू की सदस्य संख्या में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या का अनुपात लगभग 25 प्रतिशत होगा। सीआइटीयू के नेतृत्व में चलने वाले संघर्षों तथा अभियानों में भाग लेने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी कामकाजी महिलाएं, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, न केवल यूनियन की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं बल्कि मजदूरों की दूसरी श्रेणियों को संगठित करने के काम में भी सहायता देती हैं। भविष्य में उन्हें सीआइटीयू का और अधिक कार्यभार सौंपने के लिए उनका विकास करने और उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

निर्णय लेने वाली समितियों में पिछले कुछ सालों की तुलना में आज कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। यह एक अच्छा संकेत है। हमें

यह रेखांकित करना होगा कि इससे सीआइटीयू के महिला सदस्यों के अनुपात में बढ़ोतरी को प्रतिबिम्बित नहीं होती। सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन घोषणा करता है कि सीआइटीयू अधिक से अधिक महिलाओं को नेतृत्वकारी पदों पर लाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा। यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे न केवल महिलाओं की यूनियनों बल्कि दूसरी यूनियनों का नेतश्त्व करने की अपनी क्षमताओं को प्रमाणित कर सकती है।

सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन में पारित निम्नलिखित संगठनात्मक कार्यों का समर्थन करता है:

1. विभिन्न स्तरों की कामकाजी महिला समन्वय समितियों की भूमिका स्पष्ट करके उनका विकास करने के लिए कामकाजी महिला समन्वय समिति और सीआइटीयू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित करना।
2. सभी राज्यों में जहां भी संभव हो राज्य और जिला स्तर की कामकाजी महिला समन्वय समितियों का गठन करें और संबंधित सीआइटीयू राज्य कमेटियों के दिशा निदेशों के चलते उनकी सही कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना।
3. सभी सीआइटीयू संबंधित यूनियनों में महिला सदस्यों सहित महिलाओं की उप समितियों का गठन करना; राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठकों में उनकी कार्य प्रणाली पर विचार करना और वे अपना काम नियमित रूप से करें, इसे सुनिश्चित बनाना।
4. कामकाजी महिलाओं की मांगों पर अभियान चलाना और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि सीआइटीयू की राज्य समितियां कामकाजी महिलाओं की प्रमुख मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद जहां कहीं भी संभव हो सके वहां स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर, अभियान चलाने की योजना बनाना और कामकाजी महिलाओं को इसके लिए लामबंद करना।
5. असंगठित क्षेत्र, जिसमें घर कामगार मजदूर शामिल हैं, में कामकाजी महिलाओं, के विभिन्न श्रेणियों को संगठित करने के लिए गम्भीर प्रयास करना। उन क्षेत्रों–उद्योगों की पहचान करना जहां बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं काम करती हैं। सीआइटीयू की राज्य समितियों में विचार विमर्श करने के बाद प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और लक्ष्य बनाकर उन्हें संगठित करने के लिए ठोस योजनाएं बनाना।
6. सीआइटीयू और विभिन्न स्तरों पर उससे सम्बद्ध यूनियनों की निर्णायक समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयत्न करना।
7. कामकाजी महिलाओं के लिए नियमित रूप से अलग से ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन करना; सीआइटीयू की कक्षाओं में महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की सही भागीदारी सुनिश्चित करना।

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के प्रस्ताव

कर्नाटक के श्रमिक वर्ग का अभिनन्दन

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके कर्नाटक राज्य के श्रमिक वर्ग का हार्दिक अभिनन्दन किया गया। महाधिवेशन ने राज्य के श्रमिक वर्ग के प्रति आभार व्यक्त किया जिसने तन, मन, धन से पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग देकर 2500 प्रतिनिधियों के पांच दिनों तक चले इस महाधिवेशन को शानदार सफलता प्रदान की और इसे एक वास्तविकता बनाया।

महाधिवेशन ने गर्व के साथ रेखांकित किया कि पिछले महाधिवेशन के बाद के तीन वर्ष राज्य के श्रमिक आंदोलन संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के लिए बेहद घटनापूर्ण रहे जो मेहनतकश अवाम के अधिकारों की रक्षा में श्रमिक वर्ग की आग्रही भूमिका और केन्द्रीय एवं राज्य दोनों सरकारों की जन विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रतिरोधी आंदोलन के निर्माण के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। दलितों एवं पिछड़ी श्रेणियों के अधिकारों की रक्षा करने जैसे सामाजिक मुद्दों और साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने के प्रश्न पर कर्नाटक का मेहनतकश अवाम राज्य में सभी जन आंदोलनों की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हुआ है।

कर्नाटक सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाईयों का घर (दूसरे शब्दों में हब) है और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाले श्रमिक राज्य के श्रमिक आंदोलन में बेहद सक्रिय एवं मुखर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों ने एक के बाद एक बनने वाली सरकारों द्वारा सार्वजनिक इकाईयों की परिसम्पत्तियों को बेच डालने की घिनावनी खेल के खिलाफ चले संयुक्त संघर्षों तथा संघर्ष की दूसरी कार्रवाईयों के माध्यम से एकजुट होकर अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है।

यूनियन तोड़ने की टोयटा के जपानी प्रबंधन की घृणित खेल जिसमें राज्य सरकार के प्रशासन ने पूरी सक्रियता के साथ उसे संरक्षण दिया था, के खिलाफ श्रमिकों का संघर्ष एक उल्लेखनीय घटना है। इस संघर्ष ने व्यापक तौर पर राज्य के लगभग पूरे श्रम आंदोलन को ऐक्यबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन के लिए लामबंद कर दिया था। इस संघर्ष के दिनों बंगलौर

युनाइटिड ट्रेड यूनियन फोर्म का गठन हुआ; बुनियादी श्रम अधिकारों के मुद्दे पर सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन के निर्माण की दिशा में यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम था। इस मंच को आने वाले दिनों में और मजबूत किया जाना चाहिए। संगठित क्षेत्र में भी अनेक संघर्ष चलाए गए जिनमें माइको आडुगोडी प्लांट, गोयत्जे फैडरल मोगुल, विक्रांत टायर, मैसूर, इनडेल (बेलगाम), रालाश्री सीमेंट, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स इत्यादि के श्रमिकों की ओर से चलाए गए संघर्ष शामिल हैं। बंगलौर, मैसूर, टुमकुर इत्यादि स्थानों में मंझौले दर्जे की औद्योगिक इकाईयों में अनेक संघर्ष चलाए गए। श्रमिकों ने इन संघर्षों के माध्यम से अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। नांजनगुड और बंगलौर के भीतर व उसके आस पास के क्षेत्रों में स्थापित कपड़ा मिलों के श्रमिकों द्वारा भी आंदोलन चलाए गए। बंगलौर के मैटल कैप के श्रमिकों द्वारा किया गया संघर्ष बहुत साहसिक था।

असंगठित क्षेत्र में भी मेहनतकश अवाम निरंतर संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ता रहा है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से सामाजिक सुरक्षा पर व्यापक कानून बनाने और श्रम अधिकारों के प्रश्न पर अलग-अलग संघर्ष चलाए हैं तथा लामबंदियां की हैं जैसे पंचायत श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, हमालियों, बीड़ी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों इत्यादि के संघर्ष। सीआइटीयू की पहलकदमी पर राज्य में मिड-डे मील श्रमिकों की यूनियनों द्वारा अभियान चलाया गया। निर्माण श्रमिकों के राज्यव्यापी अभियानों और आंदोलनों के फलस्वरूप निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन हो सका और राज्य सरकार को इस केन्द्रीय योजना के बनाए जाने के दस वर्ष बाद इसकी अधिसूचना जारी करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसी तरह, आंगनवाड़ी यूनियन ने राज्य स्तर पर अनेक आंदोलन चलाए हैं और कई जीतें हासिल की हैं। ग्राम पंचायत इम्पलाईज़ यूनियन ने पूरी दृढ़ता के साथ अनेक संघर्ष करके सरकार से अनेक सुविधाएं हासिल की हैं। मिड-डे मील श्रमिकों ने पूरे राज्य में इसी तरह के अनेक संघर्ष किए हैं और वे अपने रोजगारों की रक्षा करने में सफल रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से कुछ और सुविधाएं भी हासिल की हैं। हमाली फैडरेशन इस अवधि में निरंतर अभियानों, लामबंदियों तथा संघर्षों के बल पर मजबूत होता चला गया है। बीड़ी मजदूरों की हमारी फैडरेशन ने अनेक आंदोलन एवं अभियान चलाए हैं। कुण्डापुर के टाइल श्रमिकों ने अपने संगठन को मजबूत बनाया है और उनके संघर्षों का प्रभाव उत्तर कन्नड़ा में भी पड़ा है; उन्होंने अपनी सांगठनिक ताकत को बनाए रखा है। बंगलौर के आटो रिक्शा चालकों की यूनियन ने शानदार संघर्ष किया है तथा वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

वर्ष 2004 के बाद तीन राष्ट्रव्यापी हड़तालें हो चुकी हैं; कर्नाटक के श्रमिक वर्ग ने इन तीनों हड़तालों में शानदार प्रत्युत्तर दिया है। राज्य के

श्रमिक वर्ग ने 14 दिसम्बर, 2006 की देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों की लहर पर सवार होकर न केवल उस हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता प्रदान की थी बल्कि इस लहर को जारी रखते हुए इस बारहवें महाधिवेशन को भी शानदार सफलता प्रदान की है। यह महाधिवेशन एक बार फिर कर्नाटक के श्रमिक वर्ग का अभिवादन करता है।

खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने के प्रश्न पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके देश में यूपीए सरकार से मांग की गई कि वह राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए अपने वादे के अनुरूप खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाए ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनके कामकाजी स्थितियों की रक्षा की जा सके।

देश में आठ करोड़ खेत मजदूर अधिकतर सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित एवं पिछड़ी श्रेणियां इत्यादि। इनमें बड़ी संख्या कामकाजी महिलाओं की होती है जो केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा लगातार अमल में लाई जा रही भूमण्डलीयकरण की नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं।

खेत मजदूरों के संगठनों, श्रमिक संगठनों और जनवादी आंदोलन द्वारा पिछले कई वर्षों से खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांग की जाती रही है। यद्यपि देव गोवडा सरकार के समय इसका विधेयक संसद में पेश किया गया था किन्तु इससे पहले कि वह विधेयक पारित हो पाता उस सरकार का पतन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस विधेयक को बट्टेखाते में डाल दिया था। यद्यपि कांग्रेस के नेतश्त्व वाली यूपीए सरकार का आधे से अधिक कार्यकाल समाप्त हो चुका है इस पर भी उसकी ओर से इस विधेयक को संसद में पेश करने के बारे में सोचा तक नहीं गया जबकि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कानून बनाने का आश्वासन दिया गया है।

भारत में सत्ताधारी श्रेणियों की ओर से विकास के पूंजीवादी रास्ते को अपनाया गया है। इसलिए उन्होंने खेत मजदूरों जो देश में गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब हैं, की इस उचित समस्या का समाधान करने के प्रश्न पर कभी ईमानदारी से विचार ही नहीं किया। सरकार की कृषि नीतियों ने अब तक भूमीपतियों की श्रेणी को ही लाभ पहुंचाया है; इन नीतियों से लाभ उठा कर उन्होंने खेत मजदूरों और गरीब किसानों का बेरहमी के साथ शोषण करके अपने पास अपार धन सम्पत्ति जमा कर ली है। देश में व्यापक

भूमि सुधार न होने के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में सामंती व्यवस्था बनी रही है। सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और पिछड़ी सामाजिक संरचना ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल किए जाने के साठ वर्ष बाद भी सामाजिक बहिष्करण, उत्पीड़न को बनाए रखा है। जब कभी भी दलित प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, उन पर हमले किए जाते हैं; उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है; खैरलांजी की घटना इसका जीता–जागता प्रमाण है।

भूमण्डलीयकरण की नव–उदारवादी नीतियों ने हमारी कृषि को बर्बाद कर डाला है; इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी का एक बहुत बड़ा भाग जो केवल खेती पर ही निर्भर करता है, के भूखों मरने अथवा वंचना की स्थिति पैदा हो गई है। अनाजों से नगदी फसलों में फसल ढांचे में बदलाव होने और मजदूरों की जगह मशीनों की सहायता से खेती बाड़ी के विभिन्न काम होने के कारण खेत मजदूरों के कामकाजी दिनों में जबरदस्त कमी आ गई है। आज खेत मजदूरों को वर्ष में केवल 70 दिन के लगभग काम मिल पाता है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप खेत मजदूरों का व्यापक स्तर पर गांवों से शहरों में पलायन हुआ है; वे काम की तलाश में शहरों तथा नगरों में आ जाते हैं; इसके कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के वेतनों का स्तर नीचे सरका है। अधिकांश राज्यों में खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की अधिसूचना जारी नहीं की गई; जिन राज्यों में इसकी अधिसूचना जारी की गई है उनमें भी खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिए जाते। गरीब लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से सरकार के पीछे हट जाने; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के धाराशायी हो जाने के कारण खेत मजदूरों के लिए वंचना की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले आठ वर्षों में लगभग 20,000 खेत मजदूर भूख से तड़प–तड़प इहलोक से परलोक गमन कर चुके हैं।

देश के खेत मजदूरों की कुल संख्या में लगभग आधा भाग कामकाजी महिलाओं का है; उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिए जाते; उन्हें प्रसूति लाभ नहीं दिए जाते और न ही कामकाजी स्थलों में शिशु पलना गश्हों की व्यवस्था होती है। खेत मजदूरों के परिवारों की कामकाजी महिलाओं को बच्चों के देख भाल की सुविधा हासिल हो इसके लिए समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों को दिन के समय बच्चों की देख भाल करने वाले केन्द्रों अथवा शिशु पलना गश्हों के रूप में तबदील कर देने की मांग की गई थी किन्तु सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने आइसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करने का निदेश दिया था किन्तु सरकार ने उसके निदेशों का गम्भीरता से पालन करने के लिए कोई कदम नहीं

उठाया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से स्थायी आधार पर नौकरी उपलब्ध कराने की मांग पर भी सरकार ने विचार नहीं किया है।

यद्यपि सरकार ने वाम दलों के दबाव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया था किन्तु अभी तक इस केवल देश के 200 जिलों तक सीमित रखा गया है। इस अधिनियम के विशेष दिशा निदेशों के विपरीत ठेकेदारों को इस योजना से बाहर रखने के नियमों को ताक पर रख कर कई जिलों में ठेकेदारों को इस काम में शामिल किया जा रहा है; काम करने योग्य सभी श्रमिकों को नौकरी के कार्ड नहीं दिए जाते; उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतनों का भुगतान नहीं किया जाता; उन्हें जो अल्प वेतन दिए जाते हैं उनका भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया जाता।

महाधिवेशन ने सीआइटीयू के इस दृढ़ विश्वास को फिर से दोहराते हुए कहा कि खेत मजदूर श्रमिक वर्ग के सबसे भरोसे योग्य साथी हैं; वे न केवल सरकार की श्रम विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों में बदलाव लाने के संघर्ष के साथी हैं बल्कि समाज में सभी तरह के शोषण की समाप्ति के लिए चल रहे संघर्षों में भी श्रमिक वर्ग के साथी एवं सहयोगी हैं।

यह महाधिवेशन खेत मजदूरों की उचित मांगों के लिए उनके सभी संघर्षों में उनके साथ एकजुटता का इजहार करते हुए सभी राज्य समितियों तथा सभी सम्बद्ध श्रमिक संघों को आह्वान करता है कि वे खेत मजदूरों को संगठित होने की कोशिशों में उनकी सहायता करें और सरकार की प्रतिगामी नीतियों के खिलाफ चल रहे उनके संघर्षों में उनका साथ दें तथा उन्हें पूरा सहयोग दें ।

पेन्शन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक के खिलाफ

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके नयी पेन्शन योजना जो पहले से संदेह के घेरे में है, के माध्यम से विवादास्पद पेन्शन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण कानून बनाने के यूपीए सरकार की कार्रवाई के अपने विरोध को फिर से दोहराया है। यूपीए सरकार इस तरह की कोशिशें करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की कार्रवाई को ही जारी रख रही है। एनडीए सरकार ने जनवरी 2004 से सरकारी सेवाओं में नये दाखिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नयी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लाने की कार्रवाई शुरू की थी। पूर्ववर्ती एनडीए ने जिस समय इसे लाने की घोषणा की थी उसी समय से सरकारी कर्मचारी तथा श्रमिक संघ हर स्तर पर इस नयी योजना का विरोध कर रहे हैं।

श्रमिक संघों की ओर से नयी पेन्शन योजना तथा पीएफआरडीए का

विरोध चार बुनियादी मुद्दों के चलते है। ये मुद्दे हैं:

1. 'परिभाषित लाभ' से लेकर 'परिभाषित अंशदान' तक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की पूरी अवधारणा को ही बदल डालना। इसके अन्तर्गत अंशदान के नाम पर कर्मचारियों के वेतनों पर कटौती थोप देना।
2. कर्मचारियों के पेन्शन कोष सम्बन्धी अंशदान को पेन्शन कोष मैनेजरों के हवाले करके पेन्शन योजना का निजीकरण करना जो वास्तव में म्युचुअल फण्ड की प्रकृति का है और इसके साथ ही वास्तव में पेन्शन की कितनी मात्रा होगी; यह संचित धन पर निर्भर करता है; और इसका फैसला बाजार की ताकतों की ओर से किया जाएगा।
3. सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस अंशदान को सट्टेबाजार की गतिविधियों में लगा देना।
4. इस कार्रवाई के साथ पेन्शन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात् एफडीआइ के लिए अनुमति दे दी गई है।

यही नहीं, नयी पेन्शन योजना पेन्शन योजना का निजीकरण करती है; इसका विकल्प लेना सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है जबकि साधारण भविष्य निधि को ऐच्छिक योजना बना दिया गया है। भट्टाचार्य समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था; उसने भी इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की थी।

यूपीए सरकार द्वारा विधेयक का कहना है, "केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती होने वाले नए लोगों अथवा कर्मचारियों के लिए नयी पेन्शन योजना अनिवार्य होगी।" कर्मचारियों के लिए यह विनाशकारी है क्योंकि सरकार अपने मौजूदा कर्मचारियों (2004 से पहले सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले) को भी नयी पेन्शन योजना में धकेल दिए जाने की बातें करती है।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, "हमारे देश में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवादों का समाधान आपसी बातचीत, सहयोग और सर्वानुमति से किया जाना चाहिए, टकराव से नहीं;" श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किए बिना ही पीएफआरडीए विधेयक लाया गया है। यह उस प्रतिबद्धता का घोर उल्लंघन है।

"सरकार द्वारा वित्त से सम्बन्धित मौजूदा समस्या का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार "नौकरी से मुक्त होने के साथ भुगतान करने" किए जाने की व्यवस्था बनी नहीं रह सकती। यह समस्या खुद सरकार ने ही पैदा की है। अतीत में तत्कालीन अंशदायी भविष्य निधि योजना के एक विकल्प के रूप में मौजूदा पेन्शन योजना शुरू की गई थी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के बराबर अंशदान देती रही है। इसके स्थान पर केन्द्रीय भविष्य निधि योजना लाई गई जिसके लिए केवल केवल

कर्मचारियों को अंशदान देना होता था और इसके बदले में केन्द्रीय सरकार यह नयी पेन्शन योजना लाई है। पांचवें वेतन आयोग ने भी मौजूदा पेन्शन योजना को बनाए रखने की सिफारिश की थी।

सरकार पिछले कई वर्षो से केवल इस धन का उपयोग करती रही है; यह धन पहले की अंशदायी भविष्य निधि योजना का था और कर्मचारियों के प्रति पेन्शन की अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए उपयुक्त कोष की व्यवस्था करने में वह अथवा सरकार नाकाम रही है। इस अपराध की सजा कर्मचारियों को दी जा रही है, पर कर्मचारी इसका खामियाजा क्यों भुगतें?

महाधिवेशन यूपीए सरकार से मांग करता है कि वह नयी पेन्शन योजना को रद्द करे जिसे उसकी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने शुरू किया था और पीएफआरडीए विधेयक को वापस ले। यह महाधिवेशन श्रमिक आंदोलन की सभी श्रेणियों को आह्वान करता है कि वे एकजुट होकर सरकार की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करें और सामाजिक सुरक्षा की इस योजना का निजीकरण किए जाने की खतरनाक कार्रवाई को पराजित करें। यह महाधिवेशन सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति जिसमें जन संख्या की सभी श्रेणियों को शामिल किया गया हो, का निर्धारण करने और उसे लागू करने की मांग के लिए भी संयुक्त संघर्ष चलाने का आह्वान करता है।

पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों का संघर्ष

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके गहरी चिंता के साथ पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों के संघर्ष का उल्लेख किया गया जिन्हें बंगाल चटकल मजदूर यूनियन तथा दूसरे श्रमिक संघों के नेतृत्व में 5 जनवरी 2007 को एक और अनिश्चितकालीन हड़ताल की कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा था। इससे पहले राज्य के चटकल मजदूरों के क्षेत्रों में अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। चटकल मजदूरों ने संयुक्त रूप से 4–9–2006 को सांकेतिक हड़ताल की थी और 10,000 मजदूरों के एक विशाल प्रतिनिधिमण्डल ने चटकल मालिकों के संगठन (जूट मिल ओनर्स एसोसिएशन) के साथ कोलकाता में मुलाकात की थी और उन्हें अपना मांग पत्र दिया था। श्रमिकों की एकता को मजबूत बनाने के लिए मजदूरों की एक और रैली और एक विशाल सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में 15–11–2006 और 7–12–2006 को किया गया था।

महाधिवेशन ने उल्लेख किया कि इस हड़ताल को रोकने और पारस्परिक सर्वानुमति के आधार पर कोई समझौता हो जाए इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने गम्भीर प्रयास किए थे। किन्तु चटकल मालिकों के कठोर रुख अपना लिए जाने के कारण इस हड़ताल को टाला नहीं जा

सका। वास्तव में चटकलों के मालिकों ने पिछले त्रिपक्षीय समझौतों को लागू करने से साफ इन्कार कर दिया था। ये समझौते 5–1–2002, 8–1–2004 तथा 27–11–2004 को हुए थे। इससे पहले चटकलों में काम करने वाले मजदूरों ने इस उद्योग और चट उत्पादन के काम में लगे किसानों को सिंथैटिक लाबी के हमलों से बचाने के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। सिंथैटिक लाबी तथा पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में मौजूदा उसके संरक्षकों ने जूट पैकेजिंग अधिनियम के अन्तर्गत चट के उपयोग की अनिवार्यता को कम करके इस कृषि आधारित, पारिस्थितिकी के प्रति मित्रवत उद्योग को खत्म करने का प्रयास किया था। किन्तु चटकल मालिकों ने समझौते का उल्लंघन किया और चटकलों में अनेक ऐसी कार्रवाईयां कीं जो मजदूरों के लिए अन्यायपूर्ण थीं। उन्होंने मजदूरों को न्यूनतम वेतनों का भुगतान करने से इन्कार कर दिया जिस पर पहले सहमति हो चुकी थी; उन्होंने बेहद कम वेतन लागू किए; नवम्बर 2005 के बाद महंगाई भत्ते को जाम कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप एक चटकल मजदूर को महीने में 488 रुपए का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा। महाधिवेशन चट मालिकों की ओर से इन श्रम कानूनों का बेशर्मी से उल्लंघन करने पर उनकी निंदा करता है जैसे भविष्य निधि तथा ईएसआइ के भुगतान में कोताही करना। इस मद में उनकी ओर 321 करोड़ रुपए से भी अधिक रकम बकाया पड़ी है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को सेवानिवशत्ति के लाभ नहीं देना; इस मद में उनकी ओर 400 करोड़ रुपए की रकम बकाया पड़ी है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया।

चटकल उद्योग कई राज्यों में स्थापित है; इस पर भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय का नियंत्रण है। किन्तु केन्द्रीय सरकार मूक मौन दर्शक बन कर बैठी है जबकि इस उद्योग के मजदूरों का बुरी तरह शोषण किया जा रहा है और मालिक लोग समझौतों को पांवों तले रौंद रहे हैं। इसके कारण औद्योगिक शांति और सौहार्द को गहरी क्षति पहुंची है। सीआइटीयू मांग करता है कि केन्द्रीय सरकार अपनी ताकतों का उपयोग करके हैंकड़बाज मालिकों से त्रिपक्षीय समझौतों को लागू कराए और वेतनों, भविष्य निधि तथा ईएसआइ से सम्बन्धित श्रम कानूनों का पालन कराए ताकि चटकल मजदूरों को इन्साफ मिल सके और इस समस्या का समाधान तत्काल सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके।

मूल्य वृद्धि पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके देश में अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने पर गहरी चिंता का

इजहार किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है:

पिछले कई महीनों से जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं विशेष तौर पर खाद्यान्नों और खाद्य सामग्री के मामले में, के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी होते चले का रुझान चल रहा है; देश की साधारण जनता को इसके कारण जबरदस्त आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी से नवम्बर 2006 के बीच दालों की कीमतों में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई।

25 नवम्बर, 2006 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रा प्रसार की वार्षिक दर 5.30 प्रतिशत थी; यही दर उससे एक वर्ष पहले 4.48 प्रतिशत थी। इस दर ने बुनियादी वस्तुओं के दामों में 6.68 प्रतिशत, ईंधन, ऊर्जा, बिजली एवं लुबरिकैंट्स के दामों में 5.32 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों में 4.82 प्रतिशत मूल्य वृद्धि का योगदान दिया था जबकि इससे पहले वर्ष यह मूल्य वृद्धि का यह योगदान 5.12 प्रतिशत, 7.77 प्रतिशत तथा 2.93 प्रतिशत रहा था। इस मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण खाद्यान्नों के वादा एवं भावी व्यापार और पिछले दो वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में असामान्य बढ़ोतरी थी। यदि अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के वादा व्यापार पर अंकुश लगाया जाए और अनाज व्यापार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को दाखिल होने की इजाजत न दी जाए तो इस कीमतों की इस बढ़ोतरी को रोका जा सकता है। सीआइटीयू का मानना है कि पेट्रोल तथा डीज़ल के मूल्यों में 2 तथा 1 रुपए प्रति लीटर की कमी लाना कोई अर्थ नहीं रखता। सीआइटीयू अपनी इस मांग को फिर से दोहराता है कि स्थायी संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्क/उप कर के ढांचे का पुनर्गठन किया जाए जो इस तरह है, (1) करों एवं शुल्कों का निर्धारण टन के हिसाब से किया जाए पैसे के हिसाब से नहीं। (2) भूमण्डलीय स्तर पर तेल के मूल्यों में होने वाली कमी अथवा बढ़ोतरी की हालत से निपटने के लिए कच्चे तेल पर उपकर की वसूली से इकट्ठा राशि में से एक मूल्य स्थिरिकरण कोष का गठन किया जाए।

पिछली एनडीए सरकार के जमाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ध्वंस कर दिया गया था जिसके चलते यह संकट बद से बदतर हो गया है। यूपीए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्जीवित करने और मौजूदा स्थिति में सुधार लाने के लिए कारगर कदम उठाने की बजाए नैगम घरानों और गल्ला खोरों को खुली छूट दे रखी है और ये लोग सट्टा कारोबार के माध्यम से सुपर प्राफिट कमा रहे हैं।

सीआइटीयू सरकार से मांग करता है, (1) अनाज एवं जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में वादा व्यापार पर रोक लगाई जाए; (2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और (3) पेट्रोलियम उत्पादों के कर

ढांचे का पुनर्गठन किया जाए जो मूल्यों के मोर्चे पर प्रपाती (विनाशकारी) दुष्प्रभाव डालता है।

लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके लौह अयस्क के बेरोकटोक निर्यात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई जिसका हमारे देश के इस्पात उद्योग पर गहरा विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा।

सीआइटीयू ने उल्लेख किया कि दो तरह के लौह अयस्क हीमाटाइट तथा मैगनाटाइट होते हैं जिसमें से एक मोटे अनुमान के अनुसार 11 अरब टन हीमाटाइट प्रमुख तौर पर झारखण्ड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। भारत के इस्पात उद्योग में केवल हीमाटाइट की खपत होती है। विश्व स्तर पर इस लौह अयस्क की क्वालिटी बेहद अच्छी होती है। मैग्नाटाइट एक दूसरी तरह का लौह अयस्क होता है और यह खराब क्वालिटी का होता है। उपयोग में लाने की दृष्टि से यह महंगा भी होता है। तथापि, देश में मैग्नाटाइट लौह अयस्क के भण्डार इस समय लगभग 12 अरब टन हैं। सरकार इस लौह अयस्क के विशाल भण्डार की बात करके उससे हीमाटाइट का निर्यात करने की अपनी कार्रवाई को सही करार दे रही है; उसके अनुसार इस लौह अयस्क का भण्डार तेजी से खत्म हो रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति जो इस्पात उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर की कल्पना करती है, के अनुसार देश में वर्ष 2019–20 तक लौह अयस्क की खपत की कुल मात्रा 1.54 अरब टन हो जाएगी और 2051–52 तक 20. 18 अरब टन हो जाएगी।

बढ़ती घरेलू खपत के उस स्तर पर जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के साथ–साथ निर्यात की मौजूदा गति की इस पृष्ठभूमि में लौह अयस्क की असल खपत योग्य क्वालिटी को देखते हुए कहा जा सकता है कि हीमाटाइट लौह अयस्क के मौजूदा भण्डार 25–30 साल से ज्यादा चल नहीं सकेंगे। आखिरकार, भारत को अपने इस्पात संयंत्र चालू रखने के लिए लौह अयस्क का आयात करना ही होगा।

इसलिए, सीआइटीयू हीमाटाइट किस्म के लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करता है। उत्खनन की गतिविधियों में यदि किसी तरह की कोई पर्यावरणीय समस्या न हो तो मैग्नाटाइट किस्म के लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता है।

सीआइटीयू एक बार फिर मांग करता है कि हीमाटाइट किस्म के लौह अयस्क का निर्यात न हो, भारत सरकार राष्ट्र हित में इन बातों को यकीनी

बनाए:

- मौजूदा इस्पात संयंत्रों को अपनी खदानों का नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और *यथा स्थिति* को भंग न किया जाए।
- जिन मौजूदा इस्पात संयंत्रों के पास अपनी खदानें नहीं हैं और जिनके पास बड़ी परियोजनाएं हैं, को नए इलाकों में अपनी खदाने खोलने में दिलचस्पी होगी, उन्हें नए इलाकों में अपनी खदानें विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि मांग एवं आपूर्ति का संतुलन बना रह सके।
- लौह अयस्क के उत्खनन को इस्पात सेक्टर से असम्बद्ध किए जाने की अनुमति न दी जाए।

औषध उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार, मूल्यों में कमी लाने और अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्रीय सरकार से अनिवार्य दवाओं के उत्पादन, उनके मूल्यों पर नियंत्रण तथा उनकी उपलब्धता और दवा एवं औषध उद्योग की सार्वजनिक इकाईयों के पुनरुद्धार को यकीनी बनाने की मांग करता है।

यूपीए सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में हमारे देश के लोगों की गरीब श्रेणियों को लाभ पहुंचाने के लिए अनिवार्य दवाओं के मूल्यों को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था। औषध उद्योग में सक्रिय श्रमिक संघों की ओर से निरंतर दबाव बनाए रखने के फलस्वरूप रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 354 दवाओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव किया है जिनके नाम अनिवार्य दवाओं की सूची में दर्ज किए जाएंगे। ये दवाएं उन मौजूदा 74 दवाओं के अलावा हैं जिन पर पहले ही मूल्य नियंत्रण लागू किया जा चुका है।

तथापि, महाधिवेशन बहुराष्ट्रीय एवं भारत की बड़ी दवा कम्पनियों के निदेशों पर कोई भी जन पक्षीय कदम उठाने से रोके जाने के प्रयासों को गहरी चिंता के साथ रेखांकित करता है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की ओर से एक समिति का गठन किया गया था जिसके कुल 14 सदस्यों में से 11 सदस्यों का सम्बन्ध निजी क्षेत्र से था। यह समिति रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को जनता के लाभ में इस तरह का कोई भी महत्त्वपूर्ण कदम उठाने से रोक रही है। इसलिए, यह महाधिवेशन केन्द्रीय सरकार के सामने अधोलिखित मांगे रखता है:

- सभी दवाओं के मूल्य कम किए जाएं; सभी दवाओं विशेष तौर पर

उन दवाओं को जिनके नाम अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची में दर्ज हैं, के मूल्यों पर नियंत्रण किया जाए।

- हमारे देश में सभी अनिवार्य बल्क ड्रग्स के उत्पादन को उनके प्रारम्भिक चरण में ही मानिटर किया जाए और उनकी उपलब्धता यकीनी बनाई जाए।
- अनिवार्य दवाओं जिनमें कैंसर, एचआइवी/एडज़ के इलाज में काम आने वाली दवाएं भी शामिल हैं, का उत्पादन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का पुनरुद्धार किया जाए।
- दवाओं के जाली उत्पादकों और बिक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सीआइटीयू ने उपरोक्त मांगों को पूरा कराने के लिए देश भर में अभियान चलाने का प्रस्ताव किया है और अपनी सभी राज्य समितियों को इस क्षेत्र में भी तत्काल आंदोलन की कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया है।

ग्रामीण इलाकों में अशांति

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके कृषि संकट जिसने एक दशक से पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है, पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस संकट की चरम परिणति अपनी गहरी जड़ें जमाए मौजूदा संकट के रूप में हो रही है। इसके चलते ग्रामीण भारत की जनता को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। महाधिवेशन इस तथ्य को पूरी गम्भीरता से लेता है कि यूपीए सरकार नव–उदारीकरण की उन्हीं नीतियों को लगातार जारी रख रही है जो एनडीए सरकार के जमाने में शुरू की गई थीं; यूपीए सरकार आयातों पर अंकुश लगाने और मात्रात्मक प्रतिबंधों इत्यादि को बहाल करने में नाकाम रही है। यदि वह इस दिशा में समुचित कार्रवाई करती तो न केवल कृषि क्षेत्र को पटड़ी पर ले आया जाता बल्कि किसानों को भी राहत मिलती। यह महाधिवेशन सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष चलाने और संघर्ष की भावना का प्रदर्शन करने के लिए किसान जनता का हार्दिक अभिनंदन करता है। यह महाधिवेशन श्रमिक वर्ग को आह्वान करता है कि वह आगे बढ़ कर संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाईयां करे।

महाधिवेशन के विचार में उस समय भी जब नब्बे के दशक के मध्य से ही एक के बाद दूसरे वर्ष कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आती चली जा रही है और पूंजी का सकल गठन नीचे सरक कर 1997 के स्तर पर आ

चुका है, सरकार सिंचाई तथा उससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में पूंजी के सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा नहीं दे रही। इसके विपरीत, सरकार ने अपना पूरा जोर कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडियों में कमी लाने में लगा रखा है; भारत के कृषि क्षेत्र को विकसित देशों के कृषि उत्पादों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जबकि उन देशों में कृषि उत्पादों के लिए बहुत अधिक सब्सिडियां दी जाती हैं। इसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था का यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मौजूदा संकट की दलदल में फंस चुका है; किसान खेती का धंधा छोड़ने पर मजबूर हो रहे है और देश में दो लाख से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। यही कारण है कि दसवीं पंच वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद जिसमें वन तथा मत्स्य पालन भी शामिल है, में केवल 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान तेजी से कम हुआ है; यह योगदान 1950 में 61 प्रतिशत था और इस समय तक गिरता हुआ 21 प्रतिशत रह गया है। यह क्षेत्र देश के कुल रोजगार का 50 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराता है पर कृषि में सार्वजनिक निवेश का स्तर नीचे गिरते–गिरते जीडीपी का केवल 1.3 प्रतिशत रह गया है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं; भारत सरकार के खुद अपने अनुमानों के अनुसार इसके चलते 74.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या गरीबी की दलदल में फंस गई है।

महाराष्ट्र में आत्महत्याएं करने वाले किसानों की संख्या 2,000 से अधिक हो चुकी है; ये आत्महत्याएं उसके केवल एक क्षेत्र विदर्भ में हुई हैं; यह क्षेत्र कपास उत्पादन का गढ़ रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्षों तक समृद्ध रहा है। अमरीका के कपास उत्पादकों को सब्सिडी की ताकत हासल है और उनके पास प्रौद्योगिकी की ताकत भी है; भारत के कपास उत्पादक उनका सामना कर ही नहीं सकते; वे इतने सक्षम नहीं हैं; यह एक तथ्य है जिसे स्वीकार करने में शायद भारत सरकार को लज्जा का अनुभव हो। अमरीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है; वह अपने कपास उत्पादकों को एक साल में 4.7 अरब डालर तक सब्सिडी प्रदान करता है।

यद्यपि भारत सरकार इस संकट की स्थिति को स्वीकार करती है और अपने इस रुख पर कायम है कि इस संकट का भूमण्डलीयकरण से कुछ लेना–देना नहीं है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में इस संकट का समाधान करने के लिए केवल कुछेक प्रस्ताव पेश किए गए हैं और ये प्रस्ताव अल्पावधि के लिए हैं; यह महाधिवेशन इस तथ्य को गहरी चिंता के साथ रेखांकित करता है।

विकसित देश अपने बुनियादी कृषि उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को उत्पादन की लागत से कम रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे

हैं;महाधिवेशन का दृढ़ विचार है कि सरकार को चाहिए कि वह विश्व के इस आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रख कर एक सुदृढ़ आर्थिक नीति का निर्धारण करे। वह आंख मूंद कर विशेष आर्थिक अंचलों अथवा कृषि एवं विपणन के नैगमकरण के प्रस्तावों को अमल में ला रही है; इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के काम धंधों पर लगे रहने और रोजगार की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी।

सीआइटीयू महाधिवेशन सरकार से मांग करता है कि वह सिंचाई तथा प्रौद्योगिकीय सहायता जैसे क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सार्वजनिक निवेश करे और किसानों को उन बीज़ों की उपलब्धता हो जिन पर वे निर्भर कर सकें, उर्वरकों और आसान किश्तों पर कृषि ऋणों की सहायता समय पर किसानों को मिले इसे सुनिश्चित बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। महाधिवेशन ने फिर से दोहराया कि कृषि संकट का समाधान केवल भूमि सुधारों से ही सम्भव हो सकता है; छोटे–मोटे सुधारों से यह संकट दूर नहीं होगा।

महाधिवेशन मांग करता है कि देश के सभी भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तेजी से लागू हो; सरकार इसे सुनिश्चित बनाए और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों की खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकीकरण किया जाए।

सीआइटीयू का यह बारहवां महाधिवेशन श्रमिक वर्ग को आह्वान करता है कि वह इन प्रश्नों पर निरंतर अभियान चला कर और श्रमिकों एवं मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों को लामबंद करके ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने पर मजबूर करे।

राजस्थान में किसानों का संघर्ष

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन एक प्रस्ताव पारित करके राजस्थान में श्रीगंगानगर और घड़साना किसानों की ओर से चलाए जा रहे ऐतिहासिक संघर्ष का पूरा समर्थन करता है; किसान–मजदूर–व्यापारी संघर्ष समिति के नेतश्त्व में पानी देने की मांग को लेकर ये किसान 2004 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

यह महाधिवेशन संघर्ष करने वाले किसानों पर बर्बर अत्याचार ढाने के लिए राज्य में भाजपा के नेतृत्व में चल रही सरकार की तीखी निंदा करता है। इस राज्य सरकार ने उस समझौते का आदर करने से इन्कार कर दिया है जिस पर 11–12–2004 को केन्द्रीय कारागार में बंद संघर्ष समिति के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। किसान इस समझौते को लागू करने की

मांग कर रहे हैं। तथापि, राज्य प्रशासन ने इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए आतंक और बर्बर दमन का चक्र चला रखा है।

इस संघर्ष के दौरान पुलिस फायरिंग में 6 किसान मारे गए; मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं; दो और किसानों की मौत बाद में हुई; ये किसान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए थे और जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ गए। सीआइटीयू तथा संघर्ष समिति के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को झूठे मुकद्दमों में फंसाया गया है और उन्हें अत्यंत अमानवीय स्थितियों में जेल में बंदी बना कर रखा गया है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना तक को बुला लिया गया।

यह महाधिवेशन गहरी चिंता के साथ उल्लेख करता है कि सीआइटीयू की राजस्थान राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड हेतराम बेनिवाल तथा दूसरे प्रमुख नेताओं को पिछले चार महीनों से जेल रखा गया है। पुलिस द्वारा कामरेड बेनिवाल पर बर्बर अत्याचार किया गया और यातनाएं दी गई हैं। इस तरह राज्य में तनाव पूर्ण स्थिति पैदा हो गई है।

यह मजदूर–किसान गठबंधन की एक अच्छी उदाहरण है जहां सीआइटीयू के नेता तथा कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से किसानों के संघर्ष में माग ले रहे हैं और वे लगातार धन तथा दूसरे साधनों से इस आंदोलन को सहायता दे रहे हैं।

यह महाधिवेशन मांग करता है कि कामरेड बेनिवाल तथा गिरफ्तार किए गए दूसरे नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए; राज्य सरकार इस संघर्ष को समाप्त कराने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ समझौते को लागू करे।

भारत–अमरीका परमाणु समझौते पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके भारत–अमरीका परमाणु समझौते पर अमरीकी कांग्रेस की ओर से पारित कानून पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

सीआइटीयू का विचार है कि भारत के साथ नागरिक नाभिकीय सहयोग से सम्बन्धित कानून उस आश्वासन से पीछे हट जाना है जो भारत सरकार ने अगस्त 2006 में संसद में दिया था। सरकार का यह रुख कि देश को अंतिम द्विपक्षीय समझौते की इंतजार करनी चाहिए, संदेहास्पद है। स्पष्ट तौर पर अमरीकी प्रशासन समझौते पर बातचीत करते समय इस अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ है। भारत को बता देना होगा कि वह भी नाभिकीय एवं परमाणु के क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों तथा सम्प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए अपनी संसद में दिए गए आश्वासनों से बंधा हुआ है।

अमरीकी कानून भारत को अपने यहां परमाणु ईंधन बनाने से रोकता है जो ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण है। यह कानून अमरीकी प्रशासन के लिए अनिवार्य बना देता है कि वह परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने वाले दूसरे देशों के समूह के साथ मिल कर काम करे और उन्हें भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति रोक देने के लिए कहे। परमाणु ईंधन की आपूर्ति लगातार होना इस बात को यकीनी नहीं बना सकता कि हम अमरीकी कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं में रह कर काम करें। भारत की समझ है कि खर्च किए जा चुके ईंधन की री–प्रोसैसिंग, यूरेनियम संवर्धन तथा भारी पानी का उत्पादन भी "पूर्ण नागरिक नाभिकीय समझौते" का एक भाग है। इस समझ को भी गहरा धक्का लगा है क्योंकि अमरीका इसे सैनिक गतिविधियों में शामिल करता है, नागरिक गतिविधियों में नहीं। नाभिकीय ऊर्जा के लिए थोरियम का उपयोग करने की भारत की भावी योजनाएं निर्णायक तौर पर री–प्रोसैसिंग पर निर्भर करती हैं। भारत और अमरीका के बीच परमाणु समझौते का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उपकरण, प्रौद्योगिकीय तथा ईंधन बेचने के अमरीकी कम्पनियों के हितों की सेवा करना है जो अरबों अमरीकी डालर में होता है; अमरीकी कानून इस बात को विशेष तौर पर स्पष्ट करता है; यह एक तथ्य है। इसके अलावा उसका इरादा अपने सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को कनिष्ठ सहयोगी के रूप में बांध कर रखना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके साथ–साथ भारत के निजी कम्पनियों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को नर्म बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

सीआइटीयू ने जोर देकर कहा कि नाभिकीय ईंधन का री–प्रोसैसिंग करना भारत का सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार है; किसी भी मूल्य पर इस पर समझौता नहीं किया जा सकता; भले ही वह किसी भी देश से आयात किया गया सवंर्धित युरेनियम हो अथवा प्राकृतिक। सीआइटीयू ने सरकार को चेतावनी दी कि नागरिक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को आयातित युरेनियम पर निर्भर बनाना न केवल भारत की आत्म निर्भरता के लिए खतरा है बल्कि आयातित युरेनियम पर बढ़ती निर्भरता ऊर्जा की उत्पादन लागत को और बढ़ा देगी क्योंकि विश्व स्तर पर युरेनियम का मूल्य पहले ही बढ़ रहा है। इसके अलावा, अमरीकी कानून हमारे स्वतंत्र नाभिकीय शोध एवं विकास कार्यक्रम को भी क्षति पहुंचाता है।

सीआइटीयू परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को नर्म बनाने के किसी भी ऐसे प्रयास का विरोध करता है; यह अधिनियम विशेष तौर पर यह निश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा का संवेदनशील सामरिक क्षेत्र केवल भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे।

सीआइटीयू इस देश के लोगों को आह्वान करता है कि वे अमरीकी

कानून के खिलाफ जन मत जागृत करें और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश की सम्प्रभुसत्ता को क्षति पहुंचाने के किसी भी प्रयास का जोरदार प्रतिकार करें।

काम का अधिकार

सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन भारत के श्रमिक वर्ग को आह्वान करता है कि वह काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में दर्ज करने की अपनी मांग के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाए। इसका महत्त्व केवल इस लिए नहीं कि यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष चलाने का हथियार है बल्कि यह मौजूदा आर्थिक सत्ता के लिए एक शक्तिशाली प्रतिरोध भी है जिसने भूमण्डलीयकरण के इस युग में रोजगार विहीन रास्ता पूरी अर्थव्यवस्था पर थोप रखा है।

भारत में एक के बाद एक बनने वाली सरकारें निदेशक सिद्धांत के रूप में समानता के लिए अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटती रही हैं। इसकी बजाए उन्होंने सम्पत्ति के बटवारे के मामले में लाभों के नीचे टपकने के सिद्धान्त (tricling down principle) को अपना लिया है और यह सिद्धान्त उनकी विचारधारा का केन्द्रीय बिन्दु बन चुका है। महाधिवेशन ने इस तथ्य का विशेष तौर पर उल्लेख किया है। आज यदि रोजगार की स्थिति गुणवत्ता तथा संख्या दोनों दृष्टियों से बदतर हुई है तो इसका यही कारण है। वर्ष 2000 तथा 2004 के दौरान बुनियादी क्षेत्रों में श्रम शक्ति में और अधिक गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों में बेरोजगारी की दर 1993–94 में 5.96 प्रतिशत थी और वर्ष 2004 में यह दर बढ़ कर 9 प्रतिशत हो गई; शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ कर 8.1 प्रतिशत हो गई। । इसी तरह इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी की दर 5.6 प्रतिशत से बढ़ कर 9.3 प्रतिशत हो गई और ग्रामीण क्षेत्रों में 10.5 प्रतिशत से बढ़ कर 11.7 प्रतिशत हो गई। इससे भी खतरनाक बात यह है कि दसवीं पंच वर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार नौजवानों में बेरोजगारी नवीं पंच वर्षीय योजना के अंत में 13 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। दसवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में और अनुमान लगाया गया है कि नौजवानों में व्याप्त बेरोजगारी की दर दसवीं पंच वर्षीय योजना के अंत तक 15 प्रतिशत के आंकड़े को छूने लग जाएगी। हाल ही में प्रकाशित आइएलओ की रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। उसके अनुसार नौजवानों में बेरोजगारी खतरनाक सीमा तक बढ़ रही है।

महाधिवेशन मांग करता है कि सरकार काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने के लिए संसद में एक विधेयक लाए और उसके अनुकूल आर्थिक नीति की दिशा का निर्धारण भी करे। काम

के अधिकार को उत्पादक रोजगार का समान अर्थी है जिसमें समुचित काम हो अथवा दूसरे शब्दों में यह गरिमापूर्ण रोजगार होना चाहिए। भारत के मजदूरों को खराब हालतों में काम करना पड़ता है; उनका रोजगार गरिमापूर्ण नहीं होता, इसका उल्लेख यूएनडीपी और आइएलओ की ओर से हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टस् में किया गया है। उनमें एनएसएस की अध्ययन रिपोर्ट का उल्लेख भी किया गया है। यह महाधिवेशन इस तर्क को रद्द करता है कि दरिद्रता की समस्या का समाधान करने के लिए हंगामी तौर पर पैदा किए गए रोजगार जैसा कि एनआरईजीए के मामले में देखने को मिला है, काम के अधिकार का विकल्प ही हैं। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि रिपोर्ट के अनुसार 33 प्रतिशत भारतीय मजदूर प्रति दिन एक अमरीकी डालर से भी कम आय पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं।

महाधिवेशन मांग करता है कि काम के अधिकार को पूरी वफादारी से लागू करने के लिए उसे संविधान में शामिल किया जाए; इसके लिए सरकार उस आर्थिक नीति का निर्धारण करे जो गरीबों, श्रमिकों, किसानों, मध्यम श्रेणी के पक्ष में हो और यह आर्थिक नीति इन श्रेणियों के लोगों की जरूरतों पर आधारित आर्थिक मांगों को पूरा करे और समग्र मानवीय विकास के मुद्दों का समाधान करे।

महाधिवेशन श्रमिक वर्ग को आह्वान करता है कि वह दुर्गापुर तथा कोलकाता सम्मेलनों की भावनाओं का संचारण फिर से अपने भीतर करे और श्रमिक वर्ग के इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर साधारण जनता को लामबंद करे।

सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के खिलाफ

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके यूपीए सरकार से मांग करता है कि वह सार्वजनिक परिवहन की मोटर गाड़ियों पर 1 जनवरी, 2007 से लागू की गई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में तीखी बढ़ोतरी को वापस ले।

प्रीमियम की संशोधित दरों के अनुसार आटो रिक्शा के लिए 982 रुपए की मौजूदा दर के स्थान पर 2,160 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह, पांच व्यक्तियों को बिठाने की क्षमता वाली टैक्सियों के मामले में यह दर 2,135 रुपए से बढ़ा कर 7,127 रुपए कर दी गई है। इसी के अनुरूप पचास व्यक्तियों को बिठाने की क्षमता वाली बसों का प्रीमियम 11,195 रुपए से बढ़ा कर 25,001 रुपए कर दिया गया है। 12,000 किलोग्राम वजन तक माल ढोने वाले वाहनों का प्रीमियम 4,158 रुपए से

बढ़ा कर 10,242 रुपए कर दिया गया है।

यह पूरे मोटर परिवहन उद्योग और देश भर में इस उद्योग में काम करने वाले लाखों श्रमिकों पर जबरदस्त प्रहार है। भारत में मोटर परिवहन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के चलते असीम दिक्कतों एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते इस उद्योग की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। प्रीमियम में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक बढ़ोतरी होने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह महाधिवेशन रेखांकित करता है कि मोटर परिवहन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की एक उल्लेखनीय संख्या स्वः रोजगार प्राप्त है। इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में तीखी बढ़ोतरी होने के कारण उन्हें यह उद्योग छोड़ना पड़ सकता है।

महाधिवेशन सरकार से मांग करता है कि वह सार्वजनिक परिवहन की मोटर गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में की गई नयी बढ़ोतरी को तत्काल वापस ले। महाधिवेशन श्रमिक आंदोलन को आह्वान करता है कि वह इस अन्यायपूर्ण एवं अनुचित बढ़ोतरी का एकजुट होकर प्रतिकार करे।

विनिवेश और निजीकरण को आगे बढ़ाने की नीति पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके "विनिवेश के माध्यम से और अब सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों के मूल्यांकन के मानदण्डों में तबदीली लाकर सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों (सीपीएसयूज़) का धीरे–धीरे निजीकरण किए जाने" के सम्बन्ध में यूपीए सरकार की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाईयों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।"

सीआइटीयू विनिवेश सम्बन्धी फैसले अथवा वित्त मंत्री द्वारा अपनाए गए आइपीओ जिसे वह अपने नोडल मंत्रालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सम्बन्धित इकाईयों पर थोप रहे हैं, का मार्ग अपना कर सरकारी शेयरों में कमी लाए जाने की कार्रवाईयों को रेखांकित करता है। सरकार की ये कार्रवाईयां स्पष्ट तौर पर यह दर्शाती हैं कि सरकार विनिवेश का सहारा लेकर अथवा सरकारी शेयरों को बेच कर संसाधन जुटाने के मार्ग पर चल रही है जिसे वह अपने संसाधनों का स्रोत मान रही है। यह एक खराब अर्थशास्त्र है; इस पर कम से कम यही कहा जा सकता है। जब सरकार बट्टेखाते में पड़ी हजारों करोड़ रुपए की राशि को यह कह कर माफ कर देती है कि उसे वसूल नहीं किया जा सकता तब संसाधन जुटाने के लिए सरकारी शेयरों को बेच देना समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता।

सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का मूल्यांकन करने के मानदण्डों को बदल डाला है; केवल इसलिए कि उन्हें *'नवरत्न'* एवं *'मिनी रत्न'* के दर्जे से वंचित किया जा सके। सीआइटीयू सरकार के इन हथकण्डों की निंदा करता है। सीआइटीयू को आशंका है कि यह सब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को *'नव रत्न'* और *'मिनी रत्न'* करार देकर उनमें विनिवेश का एक और दौर चलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के मूल्यांकन के मानदण्ड में प्रस्तावित तबदीली से स्टाक मार्किट की छवि बनती है जिसके अन्तर्गत यह देखा जाना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में उपयोग की कितनी क्षमता है, उसकी लाभकारिता कितनी है, इत्यादि। इन मानदण्डों के अलावा कम्पनी का बाजार के हिसाब से पूंजीकरण और मूल्य अर्जन के अनुपात से प्रति शेयर आमदन (ईपीएस) के मौजूदा मानदण्ड के विकल्प के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की स्थिति तथा दर्जा पूरी तरह स्टाक मार्किट पर निर्भर करेगा। यह संदेहजनक है; इसमें अनेक तरह के हथकण्डे अपनाए जाएंगे और सेनसैक्स की तर्ज पर बुलबुले की भांति बन व फूट सकते हैं।

असला कारखानों सहित प्रतिरक्षा के क्षेत्र, प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा प्रतिरक्षा की शोध एवं विकास इकाईयों में पिछले दरवाजे से निजीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है; सीआइटीयू सरकार कीं इस लुकाछिपी की खेल की निंदा करता है। केलकर समिति की सिफारिशों पर चरणबद्ध ढंग से अमल किए जाने के माध्यम से प्रतिरक्षा से विभाग से जुड़े असला कारखानों का नैगमकरण करके और प्रतिरक्षा से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा उनकी शोध एवं विकास इकाईयों में सरकार के शेयरों में कमी लाई जा रही है। यह महाधिवेशन विदेशी और भारतीय नैगम घरानों के हित में प्रतिरक्षा जैसे सामरिक क्षेत्र को कमजोर करने के लिए उठाए जा रहे सरकार के इन प्रतिगामी कदमों के खिलाफ प्रतिरक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष का पूरा समर्थन करता है।

इस समीक्षा अवधि में नायवेली लिग्नाइट तथा नालको में विनिवेश के खिलाफ श्रमिकों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा और उसे कम से कम इस समय लाभ कमाने वाली इन इकाईयों में विनिवेश के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा है। यह महाधिवेशन श्रमिकों के संघर्ष की सराहना करते हुए इस घटना को रेखांकित करता है। किन्तु यह एक अस्थायी शांति है और सरकार इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से कदम उठाने जा रही है। एनएलसी और नालको का संघर्ष जिसमें कर्मचारियों के अलावा विभिन्न श्रेणियों के जनवादी लोगों ने भी भाग लिया था, दर्शाता है कि देश की जनता सार्वजनिक उपक्रमों को केवल आमदनी के लिए चलाए जा रहे वित्तीय संसाधन के तौर पर नहीं देखती बल्कि वह इसे औद्योगिक, प्रौद्योगिकीय तथा मानव संसाधन की परिसम्पत्तियों

के रूप में देखती है जिन्हें लम्बे समय की मेहनत के बाद बनाया जा सका था। वह इन इकाईयों को आत्म निर्भरता एवं आत्म गौरव के रूप देखती है।

सीआइटीयू अपने इस प्रण को फिर दोहराता है कि इन राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए वह सरकार के सभी हथकण्डों के खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। वह सभी देशभक्त, जनवादी लोगों और राजनीतिक दलों को आह्वान करता है कि वे इसे केवल मात्र कर्मचारियों तथा श्रमिक संघों से जुड़ा मुद्दा ही न समझें बल्कि इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा मान कर इस संघर्ष में भाग लें।

निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रश्न पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाने की मांग की है।

निजी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की अवधारणा का समावेश राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया था। पूरे भारत में पूंजीपतियों की लाबी ने इस पर भारी अप्रसन्नता व्यक्त की थी। उन्होंने खुल कर आरक्षण के विचार का विरोध किया जो उनके अनुसार निजी क्षेत्र की कार्य दक्षता पर खराब असर डालेगा।

सीआइटीयू रेखांकित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण होने के बाद बनने वाले नए निजी मालिक रोजगार आरक्षण के लिए बाध्य नहीं थे। उनके द्वारा जब अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने की प्रक्रिया चलाई गई तो इसकी सबसे अधिक मार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों पर पड़ी है। सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में नयी भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध का भी इन श्रेणियों से जुड़ लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। हजारों रिक्त पद अभी तक खाली पड़े हैं; उन्हें भरा नहीं गया। इनमें वे पद भी शामिल हैं जिन पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोग काम करते थे। सरकार की ओर से हजारों पद मनमाने ढंग से खत्म कर दिए गए हैं। इसके चलते स्थिति और जटिल हो गई है। सरकारी विभागों को खत्म कर दिए जाने और सार्वजनिक उपक्रमों के कामबंदियों ने सरकारी सेवाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले लोगों के रोजगार पर भीषण प्रहार किया है।

इन परिस्थितियों में, बड़े कारोबारी घरानों के प्रतिनिधि संगठनों भारतीय उद्योगों के परिसंघ अर्थात् सीआइआइ और एसोसिएटिड चैम्बर

ऑफ कामर्स अर्थात् एसोचैम की ओर से गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट को पूरी दृढ़ता से खारिज करता है। इस टास्क फोर्स का गठन इस प्रश्न पर कानून को टालने के तरीकों एवं साधनों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक है, "अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर भारतीय उद्योग द्वारा प्रस्तावित ठोस कदम।" यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री को भेंट की गई। रिपोर्ट में टरकाऊ शब्दावली की पूरी भरमार है। रिपोर्ट निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों को रोजगार की गारंटी नहीं देती। उदाहरण के लिए, वह तर्क देती है कि बेहतर शिक्षा का सार्वभौमिक सुलभता के माध्यम से आखिरकार समानता आ ही जाएगी।

यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के छः दशक बाद भी निजी क्षेत्र ने ऐसा बहुत कम किया है जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए सार्थक हो। उन्हें शिक्षा के समान अवसर सुलभ नहीं कराए गए। रिपोर्ट में सोचे समझे ढंग से हमारे समाज की कठोर वास्तविकताओं की अनदेखी करती है; सत्य तो यह है कि अत्यंत दलित एवं पिछड़ी श्रेणियों को वे जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं जो उनके मानवीय अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी थीं। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक उनके लिए बेहतर शिक्षा की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आशा नहीं की जा सकती। टास्क फोर्स ने यह बताने का कष्ट भी नहीं किया कि निजी क्षेत्र के बड़े मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में इस समय कितने नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं; यद्यपि निजी क्षेत्र में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने की बहस दो वर्षों से अधिक समय से चल रही है।

सीआइटीयू समझता है कि तथा कथित सकारात्मक कार्रवाई निजी क्षेत्र में आरक्षण यकीनी बनाने के लिए कानून को टालने का एक हथकण्डा मात्र है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'इस बात को मानते हुए कि उद्योगों के लघु क्षेत्र के पास सीमित संसाधन होते हैं, हमें समझना होगा कि इन ठोस कदमों को लागू करने में उन्हें दिक्कतें पेश आ सकती हैं।' बड़े मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में उद्योगों के लघु क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों से सम्बद्ध कर्मचारियों का अनुपात अधिक है; कम से कम श्रमिक संघों का अपना अनुभव तो यही कहता है और यह एक तथ्य है।

इसलिए सीआइटीयू मांग करता है कि सरकार राज्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण को यकीनी बनाने के लिए कानून बनाए। सीआइटीयू का विश्वास है कि इस तरह का कानूनी प्रावधान किए बिना संगठित निजी क्षेत्र के सेवा योजक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ नहीं कराएंगे। सीआइटीयू

श्रमिक वर्ग को आह्वान करता है कि वह हमारे समाज के इस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को यकीनी बनाने के लिए ठोस कानून के लिए एकजुट होकर अभियान चलाए।

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने और उसके साथ–साथ बीमा क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंकिंग को कमजोर किए जाने की भारत सरकार की कोशिशों का विरोध किया है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के नाम पर संसद में चार विधेयक पेश किए जा चुके हैं। ये विधेयक (1) बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 (2) बैंकिंग कम्पनीज़ (तबादला एवं अधिग्रहण) अधिनियम 1970, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय स्टेट बैंक सब्सिडेयरी अधिनियम 1959 में संशोधन लाने के लिए पेश किए गए हैं। जहां बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के पीछे काम कर रहा असल मकसद मौजूदा 10 प्रतिशत सीमा के विपरीत विदेशी निवेशकों को निजी बैंकों में आनुपातिक मताधिकार की अनुमति देना है; बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम 1970 में संशोधन करने का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम्पनी कानून के घेरे में लाना है ताकि उनके नैगमकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यदि मताधिकारों की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो भविष्य में यही सिलसिला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में भी दोहराया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक सब्सिडेयरी बैंक अधिनियम में संशोधन करने का उद्देश्य यह है (1) भारतीय स्टेट बैंक के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की एक्विटी को मौजूदा 55 प्रतिशत से कम करके 51 प्रतिशत कर देना और (2) अनेक सब्सिडेयरीज़ बैंकों के मामले में एक्विटी को मौजूदा 100 प्रतिशत से नीचे लाकर 56 प्रतिशत करना।

ये सभी विधेयक संसद के सामने पेश किए जा चुके हैं। यदि ये विधेयक पारित हो जाने दिया गया तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह महाधिवेशन भारत सरकार को इस तरह की राष्ट्र विरोधी कार्रवाई से बाज आने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करने और जनता के हितों की सेवा करने के लिए उनकी सेवाओं को लगातार बनाए रखने की मांग करता है।

यह महाधिवेशन गहरी चिंता से उल्लेख करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग व्यवस्था के नियामक एवं पर्यवेक्षी (supervisory) प्राधिकरण के रूप में देश के विकास में अपनी भूमिका और दूसरी महत्त्वपूर्ण

गतिविधियों का त्याग करता चला जा रहा है। आरबीआइ की एक विफलता ग्रामीण क्षेत्र और एसएमई को बैंक ऋणों का आबंटन करने में विफल रहा है। उसका रुख अब बड़े नैगम घरानों की ओर हो गया है। सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन से भारतीय रिजर्व बैंक का पीछे हट जाना जिसका प्रस्ताव है, के फलस्वरूप वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों पर और अधिक दबाव पड़ जाएगा और क्षेत्रीय विषमताएं और व्यापक हो जाएंगी। महाधिवेशन भारतीय रिजर्व बैंक से मांग करता है कि वह और अधिक कठोरता के साथ नियामक एवं पर्यवेक्षी (supervisory) कार्रवाईयां करे, विकास की अपनी भूमिका निभाए और उसमें किसी तरह की कमी न आने दे; भारत सरकार से भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता की धारणा को खारिज करने की मांग की गई।

भारत सरकार उदारीकरण के नाम पर राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र को कमजोर बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है; महाधिवेशन ने इस तथ्य को बड़ी सजगता के साथ रेखांकित किया। भारतीय जीवन बीमा निगम राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों के बचतों के धन को जुटाने में प्रशंसनीय काम कर रहा है। वह अंदरूनी ढांचे के विकास के लिए जरूरी धन उपलब्ध कराने में सक्षम है। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत बनाने के स्थान पर निजी बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। इस तरह की कार्रवाईयों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारी घरेलू बचतों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का मौका मिल जाएगा। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का केपिटल बेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जो भविष्य में इस संस्थान के निजीकरण की प्रस्तावना होगी। आइआरडीए भी शेयर धारकों को ऋण सम्बन्धी 'शोध–क्षमता के अंतर' (solvency margin) प्रदान करने की जिद करके इस षडयंत्र में शामिल हो रहा है जबकि इस संस्थान की ओर से अतिरिक्त धन जुटाया जा रहा है और इसके लिए किसी तरह से ऋण सम्बन्धी 'शोध–क्षमता के अंतर' की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि नियामक सरकार को एलआइसी का निजीकरण करने के लिए उकसा रहा है।

साधारण बीमा के क्षेत्र में पिछले सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों को घाटे पर चलने वाले मोटर इंश्योरेंस कारोबार का पिछला ऋण माफ करने का दबाव डाल कर कमजोर बनाया जा रहा है जबकि इसी क्षेत्र की निजी कम्पनियों ने उनके पिछले ऋण माफ करने से इन्कार कर दिया है। लाभ पर चलने वाले इस कारोबार के टैरिफ को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप प्रीमियम में बेतहाशा कटौती करने जैसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्रवाईयां होने लग जाएंगी। यह महाधिवेशन मांग करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें एक

दूसरी में विलीन कर दिया जाए ताकि वे न केवल प्रतिस्पर्धा में टिकी रह सकें बल्कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की जरूरतों को भी पूरा करती रहें। आश्चर्य का विषय है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में चलने वाले बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूती लाने पर बल दे रही है किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को मजबूत बनाए जाने के खिलाफ काम कर रही है।

यह महाधिवेशन भारत सरकार की इन कार्रवाईयों की तीखे शब्दों में निंदा करता है ओर इसके खिलाफ बैंक एवं बीमा कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष का पूरा समर्थन करता है।

असम में उग्रवादी हिंसा

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके असम में चरमपंथी संगठन उलफा के उग्रवादियों की ओर से हाल ही में हिन्दी भाषी गरीब एवं निर्दोष मजदूरों की हत्याएं किए जाने की तीखी निंदा की है।

उलफा के लोगों ने 5 तथा 6 जनवरी 2007 को इन लोगों पर हिंसक हमला किया जिसमें 70 से अधिक मजदूर मारे गए और सैंकड़ों घायल हो गए। इस तरह उन्होंने पूरे राज्य में आतंक का साम्राज्य कायम कर रखा है। सैंकड़ों गरीब हिन्दी भाषी लोगों को इसके चलते शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। इस तरह की जघन्य घटनाओं से असम और समग्र रूप में पूरे देश के लोगों की एकता खतरे में पड़ सकती है।

सीआइटीयू को इस बात की प्रसन्नता है कि विशेष तौर असमी समुदाय ने इस हत्या कांड की जोरदार निंदा की है और इसके खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों का आयोजन किया गया है। सीआइटीयू की राज्य समिति ने दूसरे जनवादी जन संगठनों के साथ मिल कर पूरे राज्य में विरोध रैलियों का आयोजन किया है।

राज्य सरकार राज्य में लोगों की जान और माल की रक्षा करने में नाकाम रही है; यह महाधिवेशन इसकी भी तीखी निंदा करता है। यह महाधिवेशन शांति कामी जनवादी जनता की सभी श्रेणियों को अनुरोध करता है कि वे असम और समग्र रूप में पूरे देश के लोगों की एकता को बनाए रखने के लिए चरमपंथी ताकतों के खिलाफ जन मत जागृत करें।

कोलार गोल्ड माइन्स में भारत गोल्ड माइन्स के पुनरुद्धार के बारे में

ग्लोबल गोल्ड माइन्स को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने केजीएफ

में स्थित सोने की खदानों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव रखा था किन्तु भारत सरकार ने इसमें कोई उत्साह नहीं दिखाया। बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार के इस रुख की निंदा की है।

ग्लोबल गोल्ड माइन्स को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने खदान मजदूरों को इन खदानों का पुनरुद्धार करने का मौका नहीं दिया जबकि खदान मजदूरों की विशाल बहुसंख्या ने ही इस सोसायटी का गठन किया था। ग्लोबल गोल्ड माइन्स को–आपरेटिव सोसायटी द्वारा मजदूरों को आश्वासन् दिया गया है कि उनके दावों और उन्हें दी जा रही राशि के बीच अंतर को देखते हुए उन्हें 72.45 करोड़ रुपए के वीआरएस लाभ के अलावा और 52 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

फिर भी मजदूरों की सहकारी सभा की ओर से खदानों के पुनरुद्धार के लिए की जा रही कोशिशों का समर्थन करने की बजाए सरकार गैर कानूनी तौर पर एक छोटे–से ग्रुप की पीठ थपथपा रही है; इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाला एक केन्द्रीय मंत्री भी इस ग्रुप की गतिविधियों में शामिल है और इस तरह सरकार मजदूरों की पीठ के पीछे इस सम्पत्ति को औने–पौने दामों पर बेच डालने का गंदा खेल खेल रही है। इतनी दिलचस्पी लेकर मंत्रिमण्डल ने खदानों को आराम से बंद कर देने का फैसला कर लिया है। तथापि, मजदूर सरकार की कामबंदी की इन कोशिशों का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इन खदानों के पुनरुद्धार के लिए अपने यत्न जारी रखे हुए हैं।

यह महाधिवेशन भारत सरकार से मांग करता है कि

1. एक छोटे–से समूह को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उसका समर्थन करना बंद करो।
2. ग्लोबल गोल्ड माइन्स को–आपरेटिव सोसायटी के दावे को मान्यता दी जाए क्योंकि वह मजदूरों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।
3. मजदूरों को 52 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने के लिए ग्लोबल गोल्ड माइन्स को–आपरेटिव सोसायटी को अनुमति दो और उन्हें इन खदानों का पुनरुद्धार करने की अनुमति दो।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) पर

बंगलौर (कर्नाटक) में 17–21 जनवरी, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन एक प्रस्ताव पारित करके मांग करता है कि यूपीए सरकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन के अनुसार

समेकित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए तत्काल कदम उठाए। आइसीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को स्थायी बनाने और तृणमूल स्तर पर आइसीडीएस का बुनियादी काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दर्जा-III और दर्जा– IV कर्मचारियों के रूप में नियमित करने की मांग भी की गई। यह महाधिवेशन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बहुत उचित मांगों का पूरा समर्थन करता है और यूपीए सरकार से मांग करता है कि वह इन मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल सकारात्मक कदम उठाए।

आइसीडीएस को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किए 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इसने एक अत्यंत व्यापक कार्यक्रम के रूप में खुद को स्थापित किया है। इसने गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, दूध पिलाने वाली माताओं एवं 6 साल से कम आयु के बच्चों की समस्याओं का समाधान किया है। जहां सरकार और मीडिया का एक हिस्सा वृद्धि दर पर खुशी के मारे उछल रहा है और 21वीं शताब्दी में एक भूमण्डलीय ताकत बनने की दिशा में देश के आगे बढ़ने के बारे में घिसे पिटे राग पर थिरक रहा है वहीं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान विश्व के सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। यह स्थिति हमारे उप–महाद्वीप के कई देशों की हालत से भी बदतर है। शिशु मृत्यु दर तथा गर्भवती माताओं की मृत्यु दर अब भी विश्व में सबसे अधिक बनी हुई है; पैदा होने वाले लगभग एक तिहाई शिशुओं का जन्म से ही वजन कम होता है। भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या विश्व भर में सबसे अधिक है; यह संख्या सब सहारा अफरीका से भी अधिक है।

बच्चे हमारे देश के अत्यंत बहुमूल्य भावी मानव संसाधन हैं; उनके शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के काम में आइसीडीएस एक व्यापक दृष्टिकोण अपना कर सहायता देता है; वह खुराक, स्वास्थ्य, शिक्षा पर अधिकार को सुनिश्चित बनाने में अपना योगदान देता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन के अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक धन का आबंटन करने के अलावा सरकार को आइसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करने और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए गरिमापूर्ण कामकाजी एवं जीवन स्थितियां यकीनी बना कर उनके काम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी धन का आबंटन करना चाहिए। आंगनवाड़ी केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें आंगनवाड़ी और खेत मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के बच्चों की दिन के समय देख भाल करने वाले केन्द्र बना देना चाहिए।

इस समय देश में लगभग 16 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं; उनमें लगभग सभी महिलाएं हैं; वे अधिकतर सामाजिक तौर पर दलित एवं दमित और आर्थिक तौर पर पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्ध रखती हैं। उनकी

समस्याओं का समाधान करने के मामले में सरकार जिस असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है, यह महाधिवेशन इसकी तीखी निंदा करता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा दिया गया है इसके बावजूद उन्हें बेहद कम 'मानदेय' दिया जाता है; उन्हें सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ हासिल नहीं है; उन्हें महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता और न ही तरक्की के मौके उपलब्ध कराए जाते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डलों ने बार–बार मंत्रियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने की मांग की है किन्तु सरकार के बहरे कानों तक उनकी आवाज पहुंचती ही नहीं।

यह महाधिवेशन उच्चतम न्यायालय की ओर से हाल ही में दिए गए फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त करता है; अदालत ने अपने फैसले में सरकार और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच सेवा योजक और कर्मचारी के रिश्ते को मान्यता नहीं दी है; वह केवल तकनीकी बातों तक ही सीमित रहा है; उसने फैसला दिया है कि इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। यह महाधिवेशन रेखांकित करता है कि उच्चतम न्यायालय ने ही इससे पहले दिए अपने एक कठोर फैसले में आइसीडीएस का तत्काल सार्वभौमिकीकरण करने की मांग की थी। मौजूदा फैसला श्रमिक वर्ग के अधिकारों के प्रति अदालत के रुख को प्रतिबिम्बित करता है। यह फैसला लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियों से पल्लू छुड़ा लेने की सरकार की नीति में मजबूती लाएगा। यह महाधिवेशन आंगनवाड़ी कर्मचारियों और उनके साथ–साथ इस योजना से लाभान्वित होने वाले करोड़ों लोगों को आह्वान करता है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ–साथ आइसीडीएस को नियमित बनाने के संघर्ष में शामिल हों।

बारहवां महाधिवेशन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए वीरोचित संघर्षों के लिए बधाई देता है। इन संघर्षों में पिछले वर्ष दिल्ली में ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स के नेतश्त्व में चलाया गया क्रमिक अनशन का कार्यक्रम भी शामिल है। महाधिवेशन ने उनके सभी संघर्षों में पूरा समर्थन देने का यकीन दिलाया। उसने अपनी सभी राज्य समितियों और सम्बद्ध श्रमिक संघों को आह्वान किया कि वे आंगनवाड़ी महिलाओं का न केवल उनके संघर्षों में बल्कि अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनकी ओर से की जा रही कोशिशों में पूरा सहयोग एवं समर्थन दें। महाधिवेशन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आह्वान किया कि केन्द्र तथा अनेक राज्यों की सरकारों की श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत के मजदूर वर्ग की ओर से चलाए जा रहे अनेक संघर्षों में भारी संख्या में भाग लें। इन संघर्षों में भाग लेने से ही उन्हें अपनी मांगें पूरी कराने में सहायता मिलेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल

सीआइटीयू के बारहवें अखिल भारतीय महाधिवेशन में अनेक विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों ने भाग लिया। उनकी इस शमुलियत ने महाधिवेशन को एक नया आयाम दिया है। दूसरे देशों के इन भ्रातृ प्रतिनिधि मण्डलों के गठन में अनेक उल्लेखनीय पहलू देखने को मिले। उनमें से सबसे अधिक सार्थक भागीदारी क्यूबा, वेनजुएला, चीन और वियतनाम के प्रतिनिधि मण्डलों की थी। हमारे पड़ोसी देशों का प्रतिनिधित्व भरपूर संख्या में हुआ। अफरीका और अरब जगत के देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भारी संख्या में भाग लेकर इस महाधिवेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एएफएल–सीआइओ के दोफाड़ हो जाने के बाद नए–नए अस्तित्व में आए अमरीका के ट्रेड यूनियन केन्द्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी एक उल्लेखनीय पहलू थी। इसी तरह युरोप और अनेक विकसित औद्योगिक देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भी महाधिवेशन में भाग लिया। वास्तव में, ब्रिटिश टीयूसी ने पहली बार हमारे महाधिवेशन में भाग लिया था। डब्ल्यूएफटीयू के नव–निर्वाचित महासचिव की उपस्थिति महाधिवेशन के प्रतिनिधियों के लिए भारी उत्साह का विषय थी। आइएलओ के दस्ते में उसके नयी दिल्ली स्थित दक्षिणी एशियाई उप क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक तथा बरिष्ठ विशेषज्ञ और आइएलओ संचालन समिति के दो श्रमिक सदस्य शामिल थे।

विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मण्डलों के साथ अलग–अलग द्विपक्षीय विचार विमर्श हुआ जो इसका एक और महत्त्वपूर्ण पहलू था। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सम्मान में आधिकारिक तौर पर आयोजित रात्रि भोज के पहले पारस्परिक हित के अनेक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस रात्रि भोज में सीआइटीयू के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिव मण्डल के दूसरे सदस्य भी शामिल थे। विचार विमर्श के सत्र की शुरूआत करते हुए एम के पन्धे ने हमारे देश में चल रहे संघर्षो और उनके मुद्दों के साथ–साथ श्रमिक वर्ग की एकता के बारे में हमारी अवधारणा और भागीदारी पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि सीआइटीयू अपने बुनियादी राजनीतिक रुख पर कोई समझौता किए बिना विशेष मुद्दों पर व्यापक आधार पर चलने वाले संघर्षो को अपना समर्थन देना जारी रखेगा।

साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ

संघर्षों पर आधारित श्रमिक वर्ग की व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए सीआइटीयू के मौजूदा रुख को सही तौर पर अन्तराष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डलों की संरचना प्रतिबिम्बित करती थी। इतनी बड़ी संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डलों की उपस्थिति इस तथ्य का सूचक भी थी कि नव–उदारवादी नीतियों का हमला बढ़ता चला जा रहा है; विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों में श्रमिक वर्ग का उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसलिए इन नीतियों के खिलाफ व्यापक आधार वाले संयुक्त संघर्ष के लिए स्थितियां परिपक्व हो चुकी हैं।

हमारे महाधिवेशन में भाग लेने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का विवरण और उनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं:

देश	प्रतिनिधि का नाम	संगठन
आस्ट्रेलिया	इवान थामसन	आस्ट्रेलियन कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियनस्
	थामस वाने राबर्टस	कंस्ट्रक्शन, फारैस्ट्री, माइनिंग एण्ड एनर्जी यूनियन
आस्ट्रिया	ओलिवर जानिस्कीट	आस्ट्रेलियन ट्रेड यूनियन फैडरेशन–लैफ्ट ब्लाक
बंगला देश	महाबुर रहमान मजनू	बंगला देश ट्रैड यूनियन, केन्द्र
चीन	चेंग रोंगशु	आल चायना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस् (एसीएफटीयू)
	हुआंग फी	— —
	याओली	— —
क्यूबा	रेमण्डो एम नावाराओ फर्नाडेस	सेंट्रल डे तराबाजाडोरेसडे क्यूबा (सीटीसी)
सइप्रस	सोटिराकिस फीलास	पांसिप्रियन फैडरेशन ऑफ लेबर (पीईओ)
इजिप्ट	मोहम्मद आबद राबोह	इजप्टियन ट्रेड यूनियन फैडरेशन
	मोहम्मद हसन खलीफा	— —
	सामी अब्दुल फतेह अली	जनरल ट्रेड यूनियन ऑफ

	साकर	पेट्रोलियम वर्कर्स
	अहमद मोहम्मद महमूद अली	— —
फ्रांस	एलेन सिमोन	आइ ई एम ओ
	सर्जी टेरियर	एफएनएमई–सीजीटी
	जीन–माइकल जौबियर	सीजीटी
	जीन–माइकल पेटिट	एफएनआइसी–सीजीटी
	दौनिया हामेट	— —
	राबर्ट इप्पोलिटी	— —
	मिसिज कास्टे इप्पोलिटी	— —
	जीन पियरे पेज	ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता
ग्रीस	मावरिकोस जार्जियोस	द वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस्
	मिसिज अनास्टासाकी	— —
हंगरी	इरिका टामस	डेमोक्रेटिक कनफैडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियनस्
	पीटर कोनिया	— —
इटली	ल्यूपोल्डो टारटाग्लिया	सीजीआइएल
	मिसिज इयोलांडा कासारी	— —
जापान	मियागाकी तादाशो	नेशनल कनफैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस्
	काटो मासुयो	— —
लिबिया	खलीफा इलामाब्रूकएल — ग्टेवी	जनरल यूनियन प्रोफैशनल कान्फ्रेंस आफ आयल
मार्शियस	पुरमननसिंह झूमक	आर्टिसन एण्ड जनरल वर्कर्स यूनियन
	सूदेश चेंतामुम	— —

मैक्सीको	संकेजओरटिज़ जुआन	सीआरओसी
	सलगाडो एसआर ओरियोल	— —
	फर्नांडो अर्मेजकुआ कैस्टिल्लो	यूआइएस–टैम्पकपिया एण्ड सिंडीकाटो मैक्सीकानो डि–इलेक्ट्रिसिसटास
	लउरो लोपेज़ गार्शिया	— —
नेपाल	बिष्णु रिमाल	जनरल फैडरेशन ऑफ नेपालीज़ ट्रेड यूनियन्स
पाकिस्तान	पीरजादा सय्यद इम्तियाज अली	आल पाकिस्तान फैडरेशन ऑफ युनाइटिड ट्रेड यूनियनस्
रूस	मिरोनोव लेव	आरओजीडब्ल्यू
	लुकियानोवालारिसा	— —
स्पेन	ओरटेगाफुयेनटेस अलेजांडरा	कमिशनेस ओबरेरास (सीसी. ओओ)
	रुंकला डेलावेगायसाबेल	— —
श्रीलंका	अरुमुगम रामइया	सीलोन फैडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस्
सीरिया	गाजे डवेयर	जीएफटीयूएसएआर
	अदनान अज़ाउज	— —
थाईलैंड	अरोकिया डास	सिगटुर
यूके	साइमन बेनेडिकट स्कीनी	टीयूसी एण्ड वर्कर मैम्बर, आइएलओ गवर्निंग बाडी
यूएसए	कार्ल लीनोनेन	एसईआइयू
उजबेकिस्तान	नीटुलायेव सागिनडिक	काराकलगाक रिपब्लिक यूनियन आफ ट्रेड यूनियनस्

	डिजालिलोवामालिका	सेंट्रल कौंसिल ऑफ कल्चरल वर्कर्स ट्रेड यूनियनस्
वियतनाम	व्योंग वान वीट	वियतनाम जनरल कनफैडरेशन ऑफ लेबर (वीजीसीएल)
	वो वान नहाट	— —
वेनजुएला	पेड्रो इयूस्से	सीयूटीवी
आइएलओ	मिस लीला टेगमो रेड्डी	आइएलओ, नयी दिल्ली
	पोंग सुलाहन	— —

क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट

साथियो,

मैं क्रेडेंशियल कमेटी की ओर से आपके सामने यह रिपोर्ट पेश कर रहा हूं।

सीआइटीयू के बारहवां महाधिवेशन में 32 पदाधिकारियों तथा महिला प्रतिनिधियों (12.4 प्रतिशत) सहित कुल 2,439 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस महाधिवेशन में भी 55 भ्रातृ संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं; ये प्रतिनिधि आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बंगला देश, चीन, क्यूबा, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, इटली, जापान, लीबिया, मार्शियस, मैक्सीको, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, स्पेन, श्रीलंका, सीरिया, थाईलैंड, यूके, यूएसए, उजबेकिस्तान, वियतनाम, वेनजुएला तथा आइएलओ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके अलावा, इस महाधिवेशन में 17 राष्ट्रीय महासंघों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता भाग ले रहे हैं और उन्होंने इस महाधिवेशन के प्रतिनिधियों का अभिनन्दन किया है।

कमेटी की ओर से कुल 2451 क्रेडेंशियल फार्म जारी किए गए थे; उनमें से 36 प्रतिनिधियों के फार्म वापस नहीं मिले हैं। 343 प्रतिनिधि पहली बार सीआइटीयू महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं जबकि 8 साथियों ने सीआइटीयू के सभी बारह महाधिवेशनों में भाग लिया है।

प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या (1243) 46–60 के बीच के आयु वर्ग की है ओर केवल 134 प्रतिनिधि 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह उल्लेख करना रुचिकर होगा कि 109 प्रतिनिधि 71 वर्ष से अधिक आयु के हैं। हमें यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस महाधिदेशन में भाग ले रहे सीआइटीयू के पूर्व महासचिव कामरेड समर मुखर्जी सबसे अधिक आयु के प्रतिनिधि हैं।

प्रतिनिधियों के जीवन परिचय से पता चला है कि 694 प्रतिनिधि पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के रूप में जिला समितियों के साथ सम्बद्ध हैं और 288 प्रतिनिधि यूनियन के स्तर पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। 47 साथी फैडरेशनों अर्थात् महासंघों के अखिल भारतीय केन्द्रों में काम करते हैं और

243 साथी राज्य केन्द्रों में पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। 32 साथी अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं जबकि 161 राज्य स्तर पर पदाधिकारी हैं।

यह उल्लेख करना रुचिकर होगा कि महाधिवेशन में भाग लेने वाले 1032 प्रतिनिधियों ने 1977–1990 के दौरान जबकि 17 प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व श्रमिक आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था।

शिक्षा की दृष्टि से 1095 प्रतिनिधि मैट्रिक पास हैं जबकि 764 ग्रेजुएट और प्रोफैशनल डिग्री होल्डर हैं। कारोबार के तौर पर 332 प्रतिनिधि कार्यालयों में काम करते हैं तथा 304 कारखाना मजदूर हैं जबकि 1053 विभिन्न स्तरों पर पूर्ण कालिक कार्यकर्ता हैं। महाधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में से 497 प्रतिनिधि निजी क्षेत्र में काम करते हैं जबकि 519 सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। वे सभी यूनियन के स्तर पर पदाधिकारी हैं अथवा समितियों के सदस्य।

438 साथी प्रतिशोध की कार्रवाईयों का शिकार हो चुके हैं– उन्हें नौकरी से बर्खास्त, निलम्बित अथवा किसी न किसी रूप में दण्डित किया गया था।

अंत में कहना होगा कि इस महाधिवेशन के 612 प्रतिनिधियों ने जेल की सजा काटी है और उनमें से पश्चिम बंगाल के कामरेड दिलिप विश्वास ने 7 वर्ष से अधिक समय कारावास में बिताया है। कुछ साथियों को किसी न किसी कारणवश विभिन्न अवधियों में भूमिगत रह कर काम करना पड़ा था। उन साथियों में कामरेड समर मुखर्जी भी शामिल हैं जिन्होंने कुल आठ वर्ष तक भूमिगत रह कर काम किया है।

क्रेडेंशियल समिति रेखांकित करती है कि उसे बड़ी संख्या में खाली फार्म प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रतिनिधियों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। राज्य समितियों को यकीनी बनाना चाहिए कि सभी फार्म समुचित ढंग से भरे जाएं। तभी महाधिवेशन की पूरी और सही जानकारी एवं तस्वीर पेश की जा सकेगी।

क्रेडेंशियल समिति को नयी यूनियनों के 150 आवेदन भी मिले हैं; उनकी कुल सदस्य संख्या 71,999 है। इन आवेदनों की जांच करते समय समिति ने पाया कि ये आवेदन न्यूनाधिक व्यवस्थित हैं और इसलिए समिति नयी यूनियनों को सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध करने की सिफारिश करती है। इसका राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	आवेदन देने वाली यूनियनों की संख्या	सदस्य संख्या
आंध्र प्रदेश	25	4473
असम	4	1173
दिल्ली	3	302
गुजरात	4	1520
हिमाचल प्रदेश	1	227
झारखण्ड	4	25689
कर्नाटक	4	466
केरल	27	12867
मध्य प्रदेश	7	1484
महाराष्ट्र	15	9709
उड़ीसा	3	650
पंजाब	5	837
राजस्थान	6	136
उत्तर प्रदेश	2	155
पश्चिम बंगाल	40	12311
कुल	150	71999

क्रेडेंशियल समिति संतोष के साथ उल्लेख करती है कि राज्य समितियां नए आवेदन भेजने के काम को देख रही हैं किन्तु इस मामले में कुछ कमियां अब भी पाई जा रही हैं।

अंत में, कहेंगे कि यदि क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट पारित हो जाती है तो आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि आज सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या 40 लाख से बस 10,000 ही कम रह गई है।

क्रेडेंशियल समिति की ओर से

रणजीत बसु
(संयोजक)

सोमेन कुण्डु, लालजी बाबू,
आर सिंगारावेलू, रवीन्द्र शुक्ला (सदस्य)

सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन
अध्यक्ष का समापन भाषण

हम अपने सफल महाधिवेशन का समापन कर रहे हैं। सभी प्रतिनिधियों के सहयोग से हम इस महाधिवेशन को

समय पर समाप्त करने में सफल रहे हैं। स्वागत समिति ने महाधिवेशन की शानदार तैयारियां की थीं जिनके लाभदायक परिणाम निकले हैं। सीआइटीयू की कर्नाटक राज्य समिति को महाधिवेशन का आयोजन करने के लिए अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इस पर भी सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं ने दिन रात कड़ा परिश्रम करके इस महाधिवेशन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। इस भाषण के प्रारम्भ में हम स्वागत समिति और कर्नाटक में सीआइटीयू से सम्बद्ध सभी यूनियनों द्वारा किए गए काम के लिए उनका अभिनन्दन करते हैं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। महासचिव की बहुत अच्छी रिपोर्ट में पिछले तीन वर्षों की घटनाओं की समीक्षा करने के साथ–साथ उन चुनौतियों की चर्चा की गई है जिनका सामना आज भारत मं श्रमिक आंदोलन को करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह पूंजीपति श्रेणी के हमलों का प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार करने के लिए श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलन को संगठित किया जा रहा है। रिपोर्ट पर बहस में उस सामान्य समझदारी को रेखांकित किया गया है जो महाधिवेशन के दौरान बनी है। यद्यपि कुछ वक्ताओं ने स्वयं को केवल स्थानीय गतिविधियों की रिपोर्ट देने तक ही सीमित रखा है तथापि कुल मिला कर बहस में भाग लेने वाले साथियों ने महासचिव की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की है।

श्रमिकों की कामकाजी एवं जीवन स्थितियों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए श्रमिक संघों के संयुक्त आंदोलन को कई गुणा अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों के आगे अधिक से अधिक समर्पण करती चली जा रही है इसके चलते सीआइटीयू को आगामी वर्गीय संघर्षों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यूपीए सरकार अमरीकी साम्राज्यवाद की गुलाम बन रही है;

अमरीका के साथ हाल ही में किया गया परमाणु समझौता इसकी कहानी बयान करता है। हमारे देश की नाभिकीय ऊर्जा के स्वतंत्र विकास पर इस परमाणु गुलामी का बहुत बुरा असर पड़ेगा; हमें इस सौदे का पूरी दृढ़ता से विरोध करना होगा।

हमारे संयुक्त आंदोलन को शंघाई सहयोग को मज़बूत बनाने की जरूरत को पूरे देश में लोकप्रिय बनाना चाहिए जिसमें रूस, चीन और भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। हमारे उपग्रह को एक ध्रुवीय बनाने और उसे दुनिया के दूसरे देशों पर थोपने के अमरीकी साम्राज्यवादियों के हथकण्डों को पराजित करने के काम में यह एक शक्तिशाली हथियार होगा। जब तक श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम द्वारा संघर्ष की कार्रवाईयां लगातार नहीं चलाई जाएंगी और संघर्षो की निरंतरता को बनाए नहीं रखा जाएगा तब तक सें शंघाई सहयोग में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए यूपीए सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकेगा।

श्रमिक वर्ग को विचारधारा की दृष्टि से तैयार किए बिना आगामी संघर्षो में उसकी भागीदारी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए, सीआइटीयू को श्रमिक वर्ग के बीच अपना विचारधारात्मक अभियान तेज करना होगा ताकि पूंजीपति वर्ग तथा उसके भाड़े के गुर्गो द्वारा किए चलाए जाने वाले झूठे प्रचार अभियान की पोल श्रमिकों के बीच खोली जा सके। जब तक पूंजीपति वर्ग द्वारा पैदा की जाने वाली गलतफहमियों और भ्रांतियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक उसका हाथ ऊपर रहेगा और वर्तमान परिस्थितियों में वर्ग संघर्ष को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। पूरे देश में इस तरह का संघर्ष चलाया जाना चाहिए और सीआइटीयू उचित तौर पर इसकी जरूरत पर बल देता है ताकि भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए श्रमिक वर्ग को विचारधारा के हथियार से लैस किया जा सके।

हमने छःह कमिशनों में पेश किए गए दस्तावेजों पर विस्तश्त बहस की है; श्रमिकों के बीच सघन प्रचार अभियान चला कर सीआइटीयू की सही नीतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए यह हमारा हथियार होगा। इन मुद्दों को लेकर श्रमिक वर्ग में एकता लाने के लिए हमें जोरदार कोशिशें करनी होंगी; इस महाधिवेशन के तत्काल बाद हमारी ओर से श्रमिकों के संघर्ष चलाए जाएंगे और इस महाधिवेशन में पेश इन कमिशनों में हमने जो बहस की है और उसके जो निष्कर्ष निकाले हैं उनसे हमें इन संघर्षो में

मार्ग दर्शन मिलेगा।

मैंने सभी कमिशनों की बैठकों में हिस्सा लिया है और मैंने देखा है कि हमारे साथियों ने पूरे उत्साह के साथ इन कमिशनों की बहस में भाग लिया है; उन्होंने तश्ण मूल स्तर पर संघर्षो के अपने अनुभव सुनाए हैं इससे नेताओं के लिए श्रमिक वर्ग के मुद्दों पर सामान्य समझ बनाने में मदद मिली है। श्रमिक वर्ग की मानसिक स्थिति को जानना बेहद जरूरी है। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट इन बहसों की रौशनी में इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देगा। हमें इन दस्तावेजों को श्रमिकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाना चाहिए ताकि हमारे देश के श्रमिक वर्ग में नीति को लेकर सही समझ बनाई जा सके और आगे के लिए उसका विकास किया जा सके।

विशाखापत्तनम में आयोजित कामकाजी महिलाओं के विशेष सम्मेलन में निकाले गए निष्कर्षो के आलोक में बारहवें महाधिवेशन ने सही तौर पर कामकाजी महिलाओं के बीच हमारी गतिविधियों में मजबूती लाने पर बल दिया है। यद्यपि कामकाजी महिलाओं के बीच हमारी गतिविधियां बढ़ी हैं और इस मामले में हम प्रगति कर रहे हैं इस पर भी हमें महिलाओं को संगठन के सभी स्तरों पर नेतृत्वकारी पदों पर लाने की दिशा में और प्रगति करनी होगी। हमारे भ्रातृ संगठनों के साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक महिला कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ हमारी गतिविधियों में भाग लेती हैं। जहां हम उनका स्वागत करते हैं वहीं हमें समन्वय समिति की गतिविधियों में अपनी कामकाजी महिला नेत्रियों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी में और मजबूती लानी होगी। हमने इस महाधिवेशन से पहले जनरल कौंसिल की बैठक में जो फैसला किया था उससे कहीं कम महिला प्रतिनिधियों ने इस महाधिवेशन में भाग लिया है; हमें इस तथ्य को रेखांकित करना होगा।

हमने अपने महाधिवेशन में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं जिसका अर्थ है आने वाले समय में हमारी ओर से उन पर काम करना। ये प्रस्ताव हमारी फाईलों की शोभा न बढ़ाते रहें बल्कि हम उन पर काम करें ताकि हमारी गतिविधियां उस फैसले में प्रतिबिम्बित हों जो हमने महाधिवेशन में लिया है। पेन्शन पर पारित प्रस्ताव में स्पष्ट बताया गया है कि भारत सरकार किस तरह सुनियोजित तरीके से सामाजिक सुरक्षा के हमारे लाभ में कटौती करने की कोशिश कर रही है। श्रमिक वर्ग ने अतीत में इसके लिए अनेक भीषण संघर्ष किए थे। तभी उसे सामाजिक

सुरक्षा के ये लाभ हासिल हुए थे और सरकार इन लाभों को कम करने की कोशिशों में लगी है; उसके इन कुत्सित इरादों को परास्त करने के लिए किस तरह एक संयुक्त श्रमिक आंदोलन चलाया जाए, इस पर प्रस्ताव में चर्चा की गई है।

पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के दैव अपने उन वादों को पूरा नहीं कर रहे जो उन्होंने श्रमिक संघों से किए थे। इसके खिलाफ जूट श्रमिक जबरदस्त संघर्ष चला रहे हैं। जूट मिलों के मालिक जूट श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने जो कानूनी तौर पर उनका हक है, की मांग नहीं मान रहे; वे आनाकानी कर रहे हैं। हमारी यूनियन को इसके लिए अभियान चलाना चाहिए; उसे जूट श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए ताकि उनका संयुक्त संघर्ष सफल हो सके।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पारित प्रस्ताव को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए जो यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों का सबसे अधिक शिकार हुए हैं और उनकी हालत बेहद शोचनीय हो गई है। केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे श्रमिक वर्ग की विशाल बहुसंख्या को लाभ मिल सके। सीआइटीयू को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के समर्थन में आगे आकर श्रमिक वर्ग को लामबंद करना होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पूरे देश में होने जा रही एक दिवसीय हड़ताल की तैयारियों में हमें दिन रात एक कर देना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं पर समुचित ढंग से सरकार का ध्यान खींचा जा सके। सीआइटीयू की सभी यूनियनों एवं समितियों को चाहिए कि वे इस काम को शीर्ष प्राथमिकता दें ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जरूरी एकजुट सहायता दी जा सके।

हमने एक प्रस्ताव पारित करके अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे क्यूबा, फलस्तीन, इराक, लेबनान तथा दूसरे देशों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। हमें दुनिया भर में संघर्षशील श्रमिक वर्ग के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाईयां करनी चाहिएं।

भारत के सत्रह भ्रातश संगठनों ने हमारे महाधिवेशन का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया है। यह भूमण्डलीयकरण के खिलाफ संघर्ष में भारत के श्रमिक वर्ग और मेहनतकश अवाम के बीच बढ़ती एकता का सूचक है। हमें उनके साथ अपने मित्रता सम्बन्धों को और मजबूत बनाना चाहिए

ताकि आने वाले दिनों में संघर्ष की एकता को मजबूत किया जा सके। हमने भारी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों का यहां स्वागत किया है; यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये प्रतिनिधि दूर के देशों से हमारे प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहां आए हैं। पहली बार अमरीका के श्रमिक वर्ग के साथ हमारे सम्बन्धों में मजबूती लाने के लिए अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल आया है। सीआइटीयू ने 45 से अधिक देशों के श्रमिक संगठनों के साथ अपने दोस्ताना सम्बन्धों का विकास किया है। हम विचारधारा और सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर विदेशी श्रमिक संगठनों के साथ अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं। इससे विश्व में पूंजीवादी शोषण के खिलाफ श्रमिक वर्ग की एकता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

हम लातिनी अमरीका के देशों में अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ श्रमिक वर्ग के उभार का स्वागत करते हैं। लातिनी अमरीका जिसे अमरीकी साम्राज्यवाद का पिछवाड़ा समझा जाता था अब साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में पेश पेश है और इस संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। हमें उनके साथ अपने सम्बन्ध अधिक से अधिक विकसित करने चाहिएं ताकि हम उनके न्यायोचित संघर्षों के प्रति एकजुटता व्यक्त कर सकें।

विश्व का श्रमिक आंदोलन आज दोराहे पर खड़ा है। जहां भूमण्डलीयकरण के खिलाफ संघर्षो का घेरा व्यापक होता चला जा रहा है वहां इन संघर्षो की धार कम तेज रखी जा रही है। आइसीएफटीयू तथा डब्ल्यूसीएल के बीच हाल ही में हुए एकीकरण को हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए। नए संगठन आइटीयूसी ने विचारधारा के मतभेदों से ऊपर उठ कर श्रमिक आंदोलन में एकता लाने की अपील नहीं की है। इसके विपरीत वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विश्व बैंक के साथ नयी समझदारी बनाने के लिए बातचीत कर रहा है। हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा उनके समर्थकों के खिलाफ संघर्ष चलाना चाहिए ताकि उनकी लूटमार को समय पर रोका जा सके। विश्व में बढ़ती असमानता के चलते आज गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके विपरीत अमीर लोगों के पास विशाल धन दौलत का अम्बार लग रहा है।

हाल ही में विकसित नयी प्रौद्योगिकी में विश्व के सभी लोगों को आवास, शिक्षा, डाक्टरी सुविधाएं, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। किन्तु ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि नयी प्रौद्योगिकी का उपयोग लाभ की भूखी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा

रहा है। भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया लम्बे समय तक चल नहीं सकती और विश्व भर के लोग इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। यह अवश्यंभावी है। श्रमिक संघों के विश्व महासंघ अर्थात् डब्ल्यूएफटीयू ने वर्ग संघर्ष तथा साम्राज्यवाद विरोध के आधार पर श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने की दिशा में ईमानदारी से कोशिशें की हैं। उसने अपना नया केन्द्रीय कार्यालय एथेन्स में खोला है जिसने काम करना शुरू कर दिया है। तथापि, सभी प्रमुख पूंजीवादी देशों में डब्ल्यूएफटीयू के साथ सम्बद्ध कोई यूनियन नहीं है। अपनी सांगठनिक गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उसके पास संसाधनों की कमी है। वह श्रमिक वर्ग की शक्ति पर निर्भर करके इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है।

कोसाटू (दक्षिणी अफरीका), सीयूटी (ब्राजील), सीजीटी (फ्रांस), जियोफोंट (नेपाल), ज़ेनरोरेन (जापान), सीजीआइएल (इटली) जैसे जुझारू संगठन आइटीयूसी के साथ सम्बद्ध होने की जरूरत महसूस करते हैं। क्यों? हमें इस पर विचार करना होगा। हमारे इन सभी संगठनों के साथ अच्छे भ्रातृ सम्बन्ध हैं और हम इन सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं।

सीआइटीयू को अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में अधिक ध्यान देना चाहिए; प्रतिनिधियों ने सही तौर पर इसकी जरूरत पर जोर दिया है। हमने उनकी भावनाओं को समझा है और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विकास करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

हमने इस महाधिवेशन में सर्वसम्मति से सीआइटीयू के नए नेतृत्व का चुनाव किया है। नए नेतृत्व के आगे करने के लिए भारी काम है। हमें केन्द्रीय स्तर पर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा; हमें राष्ट्रीय समितियों के कामों में सुधार लाना होगा ताकि हम उन जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर सकें जो इस महाधिवेशन ने हमारे कंधों पर डाली हैं।

आईए, हम इस ऐतिहासिक महाधिवेशन द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें। यदि हम क्रांतिकारी भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो हम सीआइटीयू के आगामी तेरहवें महाधिवेशन में इसका वर्णन बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

हम चुनौतियों का सामना करने में सफल होंगे!

हमारी जीत जरूर होगी क्योंकि हम सही हैं!

सीआइटीयू के नए अखिल भारतीय पदाधिकारी

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में 35 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवमण्डल का चुनाव किया गया जो इस प्रकार है:

अध्यक्ष:
एम के पन्धे

महासचिव:
चित्तब्रत मजुमदार

कोषाध्यक्ष:
रणजीत बसु

उपाध्यक्ष:
1. ज्योति बसु
2. ई बालानन्दन
3. मोहम्मद अमीन
4. टी के रंगराजन
5. के एन रवीन्द्रनाथ
6. पी के गुरुदासन
7. श्यामल चक्रवर्ती
8. आरती दासगुप्त
9. के एल बजाज
10. वी जे के नायर
11. एस के बख्शी
12. देबेन भट्टाचार्य
13. के ओ हबीब
14. रघुनाथ सिंह
15. मर्सिकुट्टी अम्मा
16. सुधा भास्कर

सचिव
1. कनाई बनर्जी
2. जीवन राय
3. तपन सेन
4. स्वदेश देवराय
5. डब्ल्यू आर वरद राजन
6. के हेमलता
7. अर्धेन्दु दाक्षी
8. दीपंकर मुखर्जी
9. एम एम लारेंस
10. ए के पद्मनाभन
11. काली घोष
12. एस वीरैय्या
13. ए सौंदरराजन
14. के के दिवाकरन
15. माणिक डे
16. कश्मीर सिंह ठाकुर

सीआइटीयू जनरल कौंसिल के नव निर्वाचित सदस्य

अंध्र प्रदेश

पी रोजा*	बी भीक्षमय्या	वाई सिद्धय्या
के कोटमराजू	एम साईबाबू*	एम घन लक्ष्मी
एन रामाराव*	एम चुकय्या	आर लक्ष्मय्या*
कल्याणम वेंकटेश्वरालू	डी वी कृष्णा*	रामअंजनयेलू
एस नरसिम्हा रेड्डी*	टी वीरारेड्डी	बेबी रानी*
सीएच बाबूराव	रिक्त स्थान	जे मलिकार्जुन राव
अजय शर्मा	श्रीनिवास	एस पुण्यवथी
सुब्बामा	पी राजाराव	सुलोचना
ए वी नागेश्वर राव	रिक्त स्थान	भूपाल
रिक्त स्थान	पी भास्कर	ललिथम्मा

असम

अशित दत्ता*	नगेन चुटिया	तपन सरमा*
ममानी दत्ता	प्रकाश राजखोवा	गोपाल भूमिज

बिहार

रिक्त स्थान	रिक्त स्थान

छत्तीसगढ़

बी सान्याल	ए के लाल

दिल्ली

मोहन लाल*	सुधीर कुमार	के एम तिवारी

गुजरात

सुबोध मेहता

हिमाचल प्रदेश

रविन्द्र कुमार*	कुमारी सरोज शर्मा

हरियाणा

सतबीर सिंह*	बलबीर सिंह	सुरेन्द्र सिंह
विनोद कुमार		

जम्मू एवं कश्मीर

के के बख्शी

झारखण्ड

डी डी रामानन्दन*	मिथिलेश सिंह	मिहिर चौधरी
के के त्रिपाठी	ए के राय	

कर्नाटक

बी माधव*	बालकृष्ण शेट्टी	एस प्रसन्न कुमार*
सुकुमार ठोकोटू	एस वरलक्ष्मी*	सय्यद मुजीब
मीनाक्षी सुन्दरम*	के शंकर	ई के एन राजन
शांता घण्टे	के एन उमेश	यमुना गावकर
एन नाजुंदा		

केरल

के एम सुधाकरन*	के जे थामस	ए नाजीमुन्नीसा*
के पी सुगानन	पी नन्दकुमार*	ओ जी मदानन
एनथलावात्तोम आनन्दन*	के एस मोहनन	पेरूरकदा सदासिवन*
एस सौंदर माणिक्कम	के अनिरुद्धन*	पी ए राजू
एस एस पोट्टी*	ई के नारायणन	ई कासिम*
पी एस मोहनन	के तुलसीधरन*	के ए चकोचन
वी वी शशिधरन*	के ए पुष्पाकरण	पी लालाजी बाबू*
बी हमसा	के सी राजगोपाल*	के जे जैकब
के के चेलाप्पन*	बेबी जान	वी एस मणि*
एम एम वर्गीज़	के प्रसाद*	के एफ डेविस
वी आर भास्करन*	के वी जोस	के के जयचन्द्रन*
वी रामकृष्णन	के चन्द्रन पिल्ले*	ए प्रभाकरन
एस शर्मा*	एन पी सय्यदअलवी	के पद्मनाभन*
एम एस सकारिया	सी ओ पोलस*	जोरगे के एंटनी
टी शिवदासन मेनन*	वी शशिकुमार	ए के बालन*
के रामदास	एम चन्द्रन*	वी प्रभाकरन

के मूसाकुट्टी*
पी टी राजन
सी भास्करन*
पी वी कृष्णन
पी राघवन*
वादी रवि
के परमेश्वरन पिल्ले
ए के नारायणन
थिरुवल्लम शिवराजन
पी सारासप्पन
पुल्लूविला स्टेनले
नेदूवाथूर सुन्दरेशन
ए सम्पथ
पी एम मोहम्मद
एस प्रकाश
के सुकुमार पिल्ले
ओचीरा थनकप्पन
जे ससनकन
पी पी चितरंजन
जया चन्द्रन
बी राजेन्द्रन

के दासन
एलाराम करीम*
टी दासन
पी रामाचन्द्रन*
टी रामाकृष्णन
के सुकेशन
पंचायिल नानु
नान्नीयोडे रवि
टी के राजन
के राजन बाबू
सी वी जोय
पट्टम वामादीवान नायर
टी एन राजन
बी तुलसीधारा कुरुप
वी कुंचीकृष्णन
जी विक्रमण
ओ पुष्पन
पी के सोमाराजन
सीबीसी वारियर
एन रामकृष्णन नायर
पी पी कल्याणी

टी पी रामाकृष्णन*
वी पी कुन्हीकृष्णन
के पी सहदेवन*
सी कृष्णन
एम के कमलम्मा*
अरक्कन बालन
कट्टाकाडा ससि
के बालकृष्णन
एम आर रवि
ए पी वासु
बी सत्यन
जी राजम्मा
मुरली मदनथनकोडु
पी एस मधुसूदनन
के सुभागन
के जयमोहन कुमार
पी जे अजय कुमार
के ए अली अकबर
एन आर बाबूराज
वी वी राजा
वी एन वसावन

मध्य प्रदेश

बादल सरोज*
महेश श्रीवास्तव
प्रमोद प्रधान

महाराष्ट्र

डी एल कराद*
एम एच शेख
उद्धव भावलकर
सूर्याजी सालुंके
अमरुत मेश्राम
सय्यद अहमद*
शुभा शमीम

उड़ीसा

लम्बोदर नायक*
सुभाष सिंह
दुष्यंत कुमार दास
बिमन मैती
शिवाजी पटनायक*
इन्द्रमणि बेहरा
विष्णु मोहंती*
राधा रमन सारंगी
जहांगीर अली

पंजाब

विजय मिश्रा*	सुच्चा सिंह	देवराज वर्मा*
राम सिंह	तरलोचन सिंह	अमरदीप सिंह साहनी
सतिन्दरपाल सिंह	रिक्त स्थान	

राजस्थान

रविन्द्र शुक्ला*	आर के स्वामी	बी एस राणा

तमिलनाडु

जे हेमचन्द्रन*	एम राजी (महिला)	पी एम कुमार*
जी सुकुमारन	आर सिंगारावेलू*	आर करुमालयन
के पलानीवेलु*	एस के त्यागराजन	एस पंचरत्नम*
एम अशोकन	मैथली चित्तीबाबू (महिला)*	के आर गणेषण
वी कुमार*	पी एन उन्नी	एम अन्नादुराई*
आर विश्वनाथन	एल सुन्दर राजन*	ए जानकी रमन
एस अप्पुनू*	एन कासीनाथन	यू के वेलिनगिरी
बी विक्रमणन	के चेलाप्पन	के उन्नीकृष्णन
एम चन्द्रन	एस सुबरामनी	ई पोनमुदी
टी कुमारावेल	ए पी अनबालागन	सी अरुमुगम
एस एस सुबरामण्यन	के विजयन	पी इन्दिरा (महिला)
एस प्रेमा (महिला)		

त्रिपुरा

पियूष नाग*	साधन बासु	तपन चक्रवर्ती*
इन्दुबाला दास	सुदर्शन दास*	रविन्द्र सिंह
शंकर दत्ता*	गोरा चक्रवर्ती	सुधामय मजुमदार
विमु भूषन राय	मदन दास	समर चक्रवर्ती
माधव साहा	(रिक्त स्थान)	

उत्तर प्रदेश

दौलत राम*	कमलापति त्रिपाठी	

उत्तराखण्ड

वीरेन्द्र भण्डारी	जगमोहन जखमोला	

पश्चिम बंगाल

सोमेन कुण्डु*
तारिणी राय
दिलीप चैटर्जी*
सुधीर राय
जगदीश दास*
समीर चक्रवर्ती
आनन्द पाठक*
स्वपन साहा
मश्णाल दास*
प्रद्युत सेन
निरंजन चैटर्जी*
प्रशांत पात्र
सुभाष चक्रवर्ती*
आनन्दी साहू
निर्मल मुखर्जी*
निरुपमा चटोपाध्याय
पी के दास*
मनिषा चक्रवर्ती
बादल कार*
लक्षमण भट्टाचार्य
मंटू बोस*
मोहम्मद इस्त्राइल
गोबिन्द गुहा*
जाहर घोषाल
अशीम बनर्जी*

प्रणव मजुमदार
बासुदेव आचार्य*
राधामदन हेंस
छाया चटर्जी*
मलय नन्दी
देबाशीष मोइत्र
निर्मल जाना

विजय तिवारी
सान्ताश्री चैटर्जी*
सिहरन आचार्य
निखिल मुखर्जी*
तरित घोष
लक्षमण सेठ*
सुजीत घोष
राजदेव गवाला*
श्यामल पाल
प्रशांत नन्दी चौधरी*
बाटाकृष्ण राय
देबांजन चक्रवर्ती*
सुजीत दास
नेपाल देव भट्टाचार्य*
मुरारी बोस
किंकर पोषक*
मलिना घोष
रथीन सेन*
अशीम दासगुप्त
नारायण साहा*
दिलीप दासगुप्त
तुषार डे*
गणेष अधिकारी
साधन कांजीलाल*
बिजन मित्रा

रत्ना दत्ता*
काली नायक
लक्षमण बागदी*
सुजीत मुखर्जी
विकास भट्टाचार्य
विप्लव सेनगुप्त
निशा राय

मृणाल बैनर्जी*
प्रणव दास, मालदा
दिलीप मजुमदार*
बादल राय
दीपक दासगुप्त*
लगनदेव सिंह
माणिक सान्याल*
प्रतीप मुखर्जी
निमाई सामंत*
निर्मल मजुमदार
सुभाष मुखर्जी*
भास्कर सेन
रणजीत कुण्डू
अशीम दत्ता
गोपाल भट्टाचार्य*
नीलिमा मोइत्र
विनय चक्रवर्ती*
सिद्धार्थ सेनगुप्त
मोहम्मद निजामुद्दीन*
बंसदेव मण्डल
जिया उल आलम*
राजेन राय
तड़ित बर्मन तोपदार*
प्रणव दास
अजीत सरकार, *
दार्जिलिंग
कल्याण मुखर्जी
अमिताव नन्दी*
एस बी कर्माकर
प्रशांत घोष
प्रदीप रथ
जयदेव घोष
रमनपद दास

सुभाष चक्रवर्ती, बंदरगाह	रणजीत मण्डल	तारापदराय चौधरी
पियूष सरकार	प्रदीप चक्रवर्ती	एस के इस्लाम
रघुनाथ कुसारी	हिमांशु दास	अपर्णा दास
हेमलाल चैटर्जी	जीवन साहा	रबीन राय
अबुल हसनत खान	आदित्य मिश्र	चितरंजन सरकार
सुखमोइत ओरांव	प्रणव विश्वास	रामलाल मुर्मू
आमिया साहू	शांतिमय भट्टाचार्य	अनंत बेरा
सुजान चक्रवर्ती	अशोक पटनायक	सचिन पाल
सुब्रत पोंडा	आशुतोष बैनर्जी	बिरेन बोस
प्रद्युत सेन, पुरुलिया	दीपक सरकार	कृष्णपद सिंहदेव
विश्वनाथ दास	सुखेन्दु विश्वास	सुशीन सरकार
प्रशांत घोष, हुगली	सुबीर विश्वास	अजीत भौमिक
प्रदीप चक्रवर्ती, चौबीस परगना	वामपद मुखर्जी	दीपक मित्रा
देवब्रत बैनर्जी	अजीत सरकार	अजीत मुखर्जी
कनक दास	दिलीप सरकार	देवी पाठक
विवेक चौधरी	वरुण घटक	काली शंकर पाल
प्रलय दासगुप्त	गौरंग चैटर्जी	शिवानी सेनगुप्त
गंगा यादव	दिलीप सेन	(रिक्त स्थान)

केन्द्र

समर मुखर्जी*	आर उमानाथ*	सुकोमल सेन*
पी के गांगुली*	रंजना निरुला*	अशोक वासिष्ठ
के दामोदरन	ए आर सिंधु	सुमंत सेन
जयंत डे		

* सदस्य कार्य समिति

CLASS STRUGGLE